

वर्ष 2020-2021 के लिये अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची

(आंकड़े रुपयों में)

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि			पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण त्मक टीप	अनुदानों की मांगों पुस्तिका क्रमांक
			मतदेय	भारित	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
.	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	1,64,60,21,46,000	1,64,60,21,46,000	5	146	4
..	भारित विनियोग- लोक ऋण	पूंजी	0	1,63,46,13,06,000	1,63,46,13,06,000	7	148	4
001	सामान्य प्रशासन	राजस्व	6,35,16,44,000	59,01,15,000	6,94,17,59,000	9	151	1
		पूंजी	67,87,06,000	0	67,87,06,000	10	151	1
002	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	95,65,71,000	0	95,65,71,000	12	155	1
003	पुलिस	राजस्व	73,23,10,10,000	1,52,50,000	73,24,62,60,000	13	157	2
		पूंजी	6,53,82,83,000	0	6,53,82,83,000	14	157	2
004	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	94,33,43,000	3,00,000	94,36,43,000	16	161	2
		पूंजी	1,000	0	1,000	16	161	2
005	जेल	राजस्व	4,11,98,11,000	0	4,11,98,11,000	18	163	3
		पूंजी	30,30,00,000	0	30,30,00,000	18	163	3
006	वित्त	राजस्व	1,72,96,22,54,000	3,30,05,47,000	1,76,26,28,01,000	19	164	4
		पूंजी	1,30,70,03,000	0	1,30,70,03,000	20	164	4
007	वाणिज्यिक कर	राजस्व	32,00,80,83,000	23,00,000	32,01,03,83,000	22	168	5
		पूंजी	17,02,00,000	0	17,02,00,000	23	168	5
008	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	19,01,48,13,000	3,98,49,000	19,05,46,62,000	24	171	7
		पूंजी	1,71,10,01,000	0	1,71,10,01,000	25	171	7
009	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	62,59,12,000	0	62,59,12,000	26	174	43
010	वन	राजस्व	16,84,43,37,000	25,99,000	16,84,69,36,000	27	175	10
		पूंजी	10,33,27,47,000	0	10,33,27,47,000	28	175	10
011	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	3,18,62,27,000	25,000	3,18,62,52,000	30	178	11
		पूंजी	5,92,50,02,000	0	5,92,50,02,000	30	178	11
012	ऊर्जा	राजस्व	47,90,62,26,000	1,000	47,90,62,27,000	32	181	13
		पूंजी	11,20,57,11,000	0	11,20,57,11,000	32	181	13
013	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	1,04,61,36,51,000	34,00,000	1,04,61,70,51,000	34	183	14
		पूंजी	4,000	0	4,000	35	183	14
014	पशुपालन	राजस्व	8,94,20,10,000	13,88,000	8,94,33,98,000	36	186	35
		पूंजी	9,57,75,000	0	9,57,75,000	36	186	35
015	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व	20,45,75,000	1,00,000	20,46,75,000	38	188	40
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000	38	188	40
016	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	89,62,82,000	17,35,000	89,80,17,000	39	189	36
		पूंजी	78,20,000	0	78,20,000	39	189	36
017	सहकारिता	राजस्व	6,10,70,62,000	2,00,000	6,10,72,62,000	40	191	15
		पूंजी	30,26,52,000	0	30,26,52,000	40	191	15
018	श्रम	राजस्व	8,13,04,48,000	3,00,000	8,13,07,48,000	41	193	16

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि			पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण त्मक टीप	अनुदानों की मांगों पुस्तिका का क्रमांक
			मतदेय	भारित	योग			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
019	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	72,30,87,01,000	25,50,000	72,31,12,51,000	42	194	17
		पूंजी	1,74,42,51,000	0	1,74,42,51,000	43	194	17
020	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	5,37,80,06,000	5,00,00,000	5,42,80,06,000	44	198	34
		पूंजी	40,67,38,23,000	0	40,67,38,23,000	44	198	34
021	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	60,35,01,000	0	60,35,01,000	46	200	32
		पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000	46	200	32
022	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	20,52,96,13,000	11,00,000	20,53,07,13,000	47	201	18
		पूंजी	15,25,89,73,000	10,00,00,000	15,35,89,73,000	48	201	18
023	जल संसाधन	राजस्व	11,81,38,72,000	0	11,81,38,72,000	50	205	31
		पूंजी	48,81,40,28,000	1,00,00,000	48,82,40,28,000	52	205	31
024	लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल	राजस्व	11,58,13,89,000	0	11,58,13,89,000	61	223	19
		पूंजी	50,09,52,06,000	2,55,00,00,000	52,64,52,06,000	61	223	19
025	खनिज साधन	राजस्व	47,76,12,000	7,50,05,00,000	7,97,81,12,000	63	225	12
		पूंजी	9,00,01,000	0	9,00,01,000	63	225	12
026	संस्कृति	राजस्व	1,31,58,29,000	2,00,000	1,31,60,29,000	65	227	30
		पूंजी	21,95,04,000	0	21,95,04,000	65	227	30
027	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	1,77,02,97,33,000	2,00,000	1,77,02,99,33,000	66	229	20
		पूंजी	3,90,00,01,000	0	3,90,00,01,000	66	229	20
028	राज्य विधान मंडल	राजस्व	97,62,28,000	65,21,000	98,27,49,000	68	231	47
029	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	16,93,68,04,000	1,70,41,59,000	18,64,09,63,000	69	232	21
		पूंजी	2,20,00,02,000	0	2,20,00,02,000	70	232	21
030	ग्रामीण विकास	राजस्व	9,30,80,51,000	6,81,000	9,30,87,32,000	72	235	22
		पूंजी	28,67,96,04,000	0	28,67,96,04,000	73	235	22
031	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	99,08,45,000	1,00,000	99,09,45,000	74	237	23
032	जनसंपर्क	राजस्व	3,45,36,94,000	10,000	3,45,37,04,000	75	239	24
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000	79	239	24
033	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	78,62,99,09,000	5,00,000	78,63,04,09,000	80	245	25
		पूंजी	10,98,78,50,000	0	10,98,78,50,000	80	245	25
034	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	7,37,28,80,000	1,20,000	7,37,30,00,000	82	247	26
035	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	3,96,24,70,000	2,000	3,96,24,72,000	83	249	28
		पूंजी	2,90,50,03,000	0	2,90,50,03,000	83	249	28
036	परिवहन	राजस्व	97,08,85,000	4,00,000	97,12,85,000	84	251	8
		पूंजी	13,60,00,000	0	13,60,00,000	84	251	8
037	पर्यटन	राजस्व	51,20,46,000	80,000	51,21,26,000	85	252	33
		पूंजी	50,34,03,000	0	50,34,03,000	85	252	33
038	आयुष	राजस्व	4,53,80,24,000	8,00,000	4,53,88,24,000	86	254	53
		पूंजी	19,45,01,000	0	19,45,01,000	86	254	53
039			8,78,53,29,000	1,10,000	8,78,54,39,000	88	256	29

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है	सम्पूर्ण धनराशि	पृष्ठ		स्पष्टीकरण त्मक	अनुदानों की मांगें		
			मतदेय	भारित			योग	क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व						
		पूँजी	3,87,31,000	0	3,87,31,000	88	256	29
040	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	33,75,63,60,000	30,00,000	33,75,93,60,000	90	258	20
		पूँजी	3,05,40,62,000	0	3,05,40,62,000	90	258	20
041	प्रवासी भारतीय	राजस्व	90,93,000	0	90,93,000	92	261	11
042	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राजस्व	1,13,04,05,000	1,000	1,13,04,06,000	93	262	46
		पूँजी	6,89,06,000	0	6,89,06,000	93	262	46
043	खेल और युवा कल्याण	राजस्व	1,03,48,17,000	5,00,000	1,03,53,17,000	95	264	9
		पूँजी	52,27,32,000	0	52,27,32,000	95	264	9
044	उच्च शिक्षा	राजस्व	24,97,93,37,000	10,00,000	24,98,03,37,000	96	265	38
		पूँजी	5,35,84,05,000	0	5,35,84,05,000	96	265	38
045	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,000	0	1,000	98	267	31
046	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	1,16,92,88,000	0	1,16,92,88,000	99	268	41
		पूँजी	34,00,02,000	0	34,00,02,000	99	268	41
047	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	8,86,82,06,000	4,00,000	8,86,86,06,000	100	269	42
		पूँजी	3,34,80,41,000	0	3,34,80,41,000	100	269	42
048	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	13,29,96,000	0	13,29,96,000	102	272	27
		पूँजी	23,98,93,68,000	60,00,000	23,99,53,68,000	102	272	27
049	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	9,84,08,32,000	10,00,000	9,84,18,32,000	106	276	45
		पूँजी	2,63,07,05,000	0	2,63,07,05,000	106	276	45
050	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	5,13,40,55,000	1,00,000	5,13,41,55,000	108	278	52
		पूँजी	68,00,00,000	0	68,00,00,000	108	278	52
051	अध्यात्म	राजस्व	48,14,41,000	1,50,000	48,15,91,000	109	279	6
		पूँजी	1,000	0	1,000	109	279	6
052	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	12,85,86,76,000	0	12,85,86,76,000	110	280	51
		पूँजी	7,75,00,37,000	0	7,75,00,37,000	110	280	51
053	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,57,21,48,34,000	0	1,57,21,48,34,000	112	281	22
		पूँजी	1,16,04,01,000	0	1,16,04,01,000	115	281	22
054	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	1,64,14,21,000	0	1,64,14,21,000	117	285	14
055	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	49,91,42,89,000	2,15,000	49,91,45,04,000	118	286	39
		पूँजी	93,76,06,000	0	93,76,06,000	118	286	39
056	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व	1,08,34,55,000	1,00,000	1,08,35,55,000	120	288	48
		पूँजी	1,37,08,000	0	1,37,08,000	120	288	48
057	पर्यावरण	राजस्व	21,00,02,000	0	21,00,02,000	121	290	54
		पूँजी	27,20,000	0	27,20,000	121	290	54
058	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त	राजस्व	49,62,18,30,000	10,000	49,62,18,40,000	122	291	7

(आंकड़े रुपयों में)

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि			पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण टिप	अनुदानों की मांगें पुस्तिका क्रमांक
			मतदेय	भारित	योग			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	क्षेत्रों में राहत पर व्यय							
		पूंजी	1,00,01,000	0	1,00,01,000	122	291	7
059	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	11,31,28,00,000	0	11,31,28,00,000	124	293	22
060	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	44,65,00,000	0	44,65,00,000	125	294	23
		पूंजी	5,43,74,96,000	0	5,43,74,96,000	125	294	23
061	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	8,000	0	8,000	126	295	23
		पूंजी	8,000	0	8,000	126	295	23
062	पंचायत	राजस्व	2,00,27,01,000	50,000	2,00,27,51,000	128	298	49
063	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	17,41,56,000	0	17,41,56,000	129	299	37
		पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000	129	299	37
064	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	70,80,87,76,000	7,20,00,00,000	78,00,87,76,000	130	300	18
		पूंजी	59,00,00,000	0	59,00,00,000	131	300	18
065	विमानन	राजस्व	24,76,14,000	0	24,76,14,000	133	303	44
		पूंजी	62,00,01,000	0	62,00,01,000	133	303	44
066	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	7,45,88,85,000	0	7,45,88,85,000	134	304	50
		पूंजी	17,74,02,000	0	17,74,02,000	134	304	50
067	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व	3,85,56,02,000	2,00,00,000	3,87,56,02,000	135	305	19
		पूंजी	99,44,28,000	0	99,44,28,000	135	305	19
योग - राजस्व			13,88,59,52,60,000	1,85,05,48,14,000	15,73,65,00,74,000			
योग - पूंजी			3,14,19,76,16,000	1,66,12,73,06,000	4,80,32,49,22,000			
वृहद योग			17,02,79,28,76,000	3,51,18,21,20,000	20,53,97,49,96,000			

मांग संख्या - .

भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

I. भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	0	0	0
भारत	1,64,60,21,46	0	1,64,60,21,46

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत
एक - राजस्व अनुभाग							
2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन							
0	0	0	1	0	1	{101}- निक्षेप निधि	0 1
0	0	0	1	0	1	योग लेखा शीर्ष - 2048	0 1
2049- ब्याज अदायगियां							
[01]- आन्तरिक ऋण पर ब्याज							
0	73,29,73,99	0	81,23,59,25	0	81,92,35,63	{101}- बाजार कर्जों पर ब्याज	0 1,00,15,40,19
0	1,16,35	0	0	0	0	{115}- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम पर ब्याज	0 0
0	21,63,32,24	0	22,50,00,00	0	22,50,00,00	{123}- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	0 24,50,00,00
0	12,03,65,68	0	13,96,33,96	0	11,92,37,93	{200}- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज	0 12,79,95,03
0	12,66,85	0	1,05,00,00	0	6,00,00	{305}- ऋण प्रबंध	0 1,05,00,00
[03]- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज							
0	12,11,71,49	0	14,72,57,61	0	13,48,07,23	{104}- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	0 14,93,79,39
0	0	0	1	0	0	{107}- न्यासों और धर्मादायों पर ब्याज	0 0
0	0	0	17,46,80	0	3,00,00	{108}- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज	0 3,00,00
[04]- केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज							
0	6,03,60,77	0	4,35,60,01	0	4,35,60,00	{101}- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	0 6,25,00,00
0	0	0	2,56,70	0	0	{102}- केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	0 0

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान			
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021			
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		
0	0	0	1	0	0	{103}-	केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	0	0
0	3,64,45	0	6,53,40	0	0	{104}-	योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	0	0
0	1,66,02,37	0	2,25,00,00	0	1,38,71,00	{109}-	12वां वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार आयोजना कर्जों पर ब्याज	0	1,11,56,00
						[60]-	अन्य दायित्वों पर ब्याज		
0	15,17	0	3,97,39,72	0	1,85,26,62	{701}-	विविध	0	3,76,50,84
0	1,26,95,69,3 6	0	1,44,32,07,4 7	0	1,37,51,38,4 1	योग लेखा शीर्ष - 2049		0	1,64,60,21,4 5
0	1,26,95,69,3 6	0	1,44,32,07,4 8	0	1,37,51,38,4 2	योगएक - राजस्व अनुभाग		0	1,64,60,21,4 6
0	1,26,95,69,3 6	0	1,44,32,07,4 8	0	1,37,51,38,4 2	योग मांग संख्या - .		0	1,64,60,21,4 6

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - ..

भारत विनियोग- लोक ऋण

I. भारत विनियोग- लोक ऋण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	0	0	0
भारत	0	1,63,46,13,06	1,63,46,13,06

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	मतदेय	भारत	
दो - पूंजी अनुभाग								
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण								
0	54,95,25,00	0	59,21,07,03	0	59,21,00,10	{101}- बाजार कर्ज	0	69,20,04,00
0	9,39,59	0	9,00,00	0	9,29,81	{103}- भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	0	8,70,00
0	93,59	0	95,00	0	98,57	{104}- भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	0	95,00
0	14,50,00,00	0	17,00,00,00	0	15,99,89,79	{105}- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	0	17,40,43,67
0	94,32,00	0	47,16,02	0	47,16,02	{106}- प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0	3
0	0	0	1	0	1	{107}- भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से कर्ज	0	1
0	38,67,55	0	40,00,00	0	38,03,99	{108}- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	0	40,00,00
0	25,00,00	0	23,43,01	0	39,24,52	{109}- अन्य संस्थाओं से कर्ज	0	23,43,01
0	33,76,38,00	0	40,00,00,00	0	2	{110}- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	0	40,00,00,00
0	18,85,52,95	0	16,97,93,85	0	19,00,00,00	{111}- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	20,30,00,00
0	1,23,75,48,68	0	1,34,39,54,92	0	95,55,62,83	योग लेखा शीर्ष - 6003	0	1,47,63,55,72
6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम								
[01]- योजनेत्तर कर्ज								
0	3,57,91	0	4,43,81	0	4,43,81	{115}- पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ऋण	0	4,88,19
0	1,50	0	6,05	0	6,05	{201}- आवास निर्माण अग्रिम	0	6,05
0	0	0	2	0	2	{800}- अन्य व्यय	0	2
[02]- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज								

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	7,68,00,93	0	9,02,45,50	0	9,88,45,50	{101}- एकमुश्त कर्ज	0 10,75,30,05
0	3,76,63,20	0	4,54,96,00	0	4,54,96,00	{105}- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित कर्ज	0 5,00,45,60
						[03]- केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	
0	0	0	1	0	1	{102}- भू	0 1
0	0	0	2	0	2	{800}- अन्य व्यय	0 2
						[04]- केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	
0	0	0	1,87,30	0	1,87,30	{102}- भू	0 1,87,30
0	0	0	1	0	1	{103}- हाथकरघा उद्योगों के लिए ऋण	0 1
0	0	0	1	0	1	{107}- सहकारी साख संस्थाओं के लिये ऋण	0 1
0	0	0	1	0	1	{108}- अन्य सहकारी ऋण	0 1
0	0	0	1	0	1	{109}- कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	0 1
0	0	0	1	0	1	{205}- पारेषण तथा वितरण	0 1
0	0	0	5	0	5	{800}- अन्य व्यय	0 5
0	11,48,23,54	0	13,63,78,81	0	14,49,78,81	योग लेखा शीर्ष - 6004	0 15,82,57,34
0	1,35,23,72,2 ₂	0	1,48,03,33,7 ₃	0	1,10,05,41,6 ₄	योग दो - पूंजी अनुभाग	0 1,63,46,13,0 ₆
0	1,35,23,72,2₂	0	1,48,03,33,7₃	0	1,10,05,41,6₄	योग मांग संख्या - ..	0 1,63,46,13,0₆

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 001

सामान्य प्रशासन

I. सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	6,35,16,44	67,87,06	7,03,03,50
भारित	59,01,15	0	59,01,15

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक							
[03]- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक							
0	4,45,82	0	7,15,11	0	4,08,02	{090}- सचिवालय	0 7,14,32
0	42,15	0	56,70	0	40,91	{101}- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते	0 1,06,50
36,80	0	90,93	0	0	0	{102}- विवेकाधीन अनुदान	1,00,00 0
0	4,21,84	0	5,29,77	0	3,21,49	{103}- पारिवारिक स्थापना	0 5,11,04
0	1,54	0	3,50	0	1	{104}- आतिथ्य भत्ता	0 4,38
0	1,32	0	16,00	0	0	{105}- चिकित्सा सुविधाएं	0 0
28,98	75	35,00	75	2	1	{106}- मनोरंजन खर्च	37,00 75
0	29,41	0	13,00	0	0	{107}- संविदा भत्ते से व्यय	0 0
0	11,80	0	4,80	0	0	{108}- दौरा खर्च	0 0
0	9,01	0	8,05	0	1,31	{800}- अन्य व्यय	0 0
65,78	9,63,64	1,25,93	13,47,68	2	7,71,75	योग लेखा शीर्ष - 2012	1,37,00 13,36,99
2013- मंत्रिपरिषद्							
2,16,94	0	5,12,35	0	2,13,02	0	{101}- मंत्रियों और उप	3,46,49 0
5,08,11	0	9,36,35	0	5,20,67	0	{102}- आतिथ्य और अन्य भत्ते	9,36,35 0
1,50,10,42	0	1,01,74,49	0	1,40,56,29	0	{105}- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	1,24,00,00 0
97,35	0	93,08	0	56,48	0	{108}- दौरा खर्च	93,08 0
6,36,16	0	7,62,71	0	4,53,15	0	{800}- अन्य व्यय	4,87,57 0
1,64,68,98	0	1,24,78,98	0	1,52,99,61	0	योग लेखा शीर्ष - 2013	1,42,63,49 0
2015- निर्वाचन							
18,77,84	0	1,38,36,90	10,00	19,42,05	1	{101}- निर्वाचन आयोग	1,68,82,52 10,00
18,77,84	0	1,38,36,90	10,00	19,42,05	1	योग लेखा शीर्ष - 2015	1,68,82,52 10,00
2051- लोक सेवा आयोग							

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	22,55,88	19,20	45,97,60	3	21,00,97	{102}- राज्य लोक सेवा आयोग	48,20	45,50,16
0	22,55,88	19,20	45,97,60	3	21,00,97	योग लेखा शीर्ष - 2051	48,20	45,50,16
2052- सचिवालय								
1,01,54,32	0	1,38,93,21	60	1,10,08,61	1	{090}- सचिवालय	1,41,61,35	1,00
15,22,40	0	21,73,48	60	16,95,23	0	{091}- संलग्न कार्यालय	20,65,47	1,00
1,16,76,72	0	1,60,66,69	1,20	1,27,03,84	1	योग लेखा शीर्ष - 2052	1,62,26,82	2,00
2055- पुलिस								
22,36,70	0	27,06,31	4,00,00	24,63,39	1	{101}- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	29,50,21	1,00
22,36,70	0	27,06,31	4,00,00	24,63,39	1	योग लेखा शीर्ष - 2055	29,50,21	1,00
2059- लोक निर्माण कार्य								
[80]- सामान्य								
6,94,70	0	9,50,27	0	7,45,70	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	6,24,99	0
0	0	0	0	0	0	{053}- रखरखाव तथा मरम्मत	1	0
6,94,70	0	9,50,27	0	7,45,70	0	योग लेखा शीर्ष - 2059	6,25,00	0
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं								
9,41,70	0	11,34,96	60	9,13,05	1	{003}- प्रशिक्षण	11,46,82	1,00
33,02,15	0	40,54,34	0	34,72,55	0	{104}- सतर्कता	40,57,97	0
9,64	0	41,73	0	9,69	0	{105}- विशेष जांच आयोग	33,09	0
42,53,49	0	52,31,03	60	43,95,29	1	योग लेखा शीर्ष - 2070	52,37,88	1,00
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण								
[60]- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम								
0	0	1,64	0	0	0	{200}- अन्य कार्यक्रम	1,25	0
0	0	1,64	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	1,25	0
2251- सचिवालय								
32,69,83	0	38,61,62	0	35,41,79	0	{090}- सचिवालय	39,89,64	0
32,69,83	0	38,61,62	0	35,41,79	0	योग लेखा शीर्ष - 2251	39,89,64	0
3451- सचिवालय								
24,45,30	0	31,61,69	0	27,38,03	0	{090}- सचिवालय	31,54,43	0
24,45,30	0	31,61,69	0	27,38,03	0	योग लेखा शीर्ष - 3451	31,54,43	0
4,29,89,34	32,19,52	5,84,40,26	63,57,08	4,38,29,75	28,72,76	योग एक - राजस्व अनुभाग	6,35,16,44	59,01,15
दो - पूंजी अनुभाग								
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- कार्यालय भवन								
38,88,60	0	77,65,08	0	37,32,55	0	{051}- निर्माण	62,87,06	0
38,88,60	0	77,65,08	0	37,32,55	0		62,87,06	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	5,00,00	0	2,89,14	0	5,00,00	0
0	0	5,00,00	0	2,89,14	0	5,00,00	0
38,88,60	0	82,65,08	0	40,21,69	0	67,87,06	0
4,68,77,94	32,19,52	6,67,05,34	63,57,08	4,78,51,44	28,72,76	7,03,03,50	59,01,15

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

0	0	0	-30,00,00	0	-11,52,00	0	-19,28,00
0	0	0	-30,00,00	0	-11,52,00	0	-19,28,00
0	0	0	-30,00,00	0	-11,52,00	0	-19,28,00
0	0	0	-30,00,00	0	-11,52,00	0	-19,28,00

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

4,68,77,94	32,19,52	6,67,05,34	33,57,08	4,78,51,44	17,20,76	7,03,03,50	39,73,15
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

मांग संख्या - 002

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

I. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	95,65,71	0	95,65,71
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2052- सचिवालय								
7,25,00	0	7,27,45	0	6,91,93	0	{092}- अन्य कार्यालय	9,00,04	0
7,25,00	0	7,27,45	0	6,91,93	0	योग लेखा शीर्ष - 2052	9,00,04	0
2053- जिला प्रशासन								
46,01	0	1,04,55	0	18,94	0	{800}- अन्य व्यय	1,04,55	0
46,01	0	1,04,55	0	18,94	0	योग लेखा शीर्ष - 2053	1,04,55	0
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं								
21,59	0	82,35	0	23	0	{105}- विशेष जांच आयोग	82,35	0
10,05,03	0	16,90,88	0	11,40,63	0	{800}- अन्य व्यय	17,48,77	0
10,26,62	0	17,73,23	0	11,40,86	0	योग लेखा शीर्ष - 2070	18,31,12	0
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण								
[60]- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम								
19,35,14	0	27,27,93	0	8	0	{107}- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	24,00,00	0
37,36,02	0	40,00,00	0	1,58,22	0	{200}- अन्य कार्यक्रम	40,00,00	0
3,56,01	0	6,02,87	0	3,33,52	0	{800}- अन्य व्यय	2,64,00	0
60,27,17	0	73,30,80	0	4,91,82	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	66,64,00	0
2250- अन्य सामाजिक सेवाएं								
16,76	0	32,25	0	10,41	0	{800}- अन्य व्यय	66,00	0
16,76	0	32,25	0	10,41	0	योग लेखा शीर्ष - 2250	66,00	0
78,41,56	0	99,68,28	0	23,53,96	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	95,65,71	0
78,41,56	0	99,68,28	0	23,53,96	0	योग मांग संख्या - 002	95,65,71	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 003

पुलिस

I. पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	73,23,10,10	6,53,82,83	79,76,92,93
भारित	1,52,50	0	1,52,50

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2055- पुलिस								
1,09,00,68	0	1,26,83,92	0	1,11,50,74	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,29,35,54	0
1,43,98,34	0	1,66,96,86	0	1,59,61,71	0	{003}- शिक्षा और प्रशिक्षण	1,75,19,26	0
2,74,47,56	0	3,10,56,52	0	3,00,78,27	0	{101}- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	3,30,21,98	0
11,56,28,89	0	13,07,36,83	0	12,69,47,58	0	{104}- विशेष पुलिस	13,82,87,44	0
62,09	0	94,70	0	72,96	0	{105}- सीमा सुरक्षा बल	23,56	0
22,25,94	0	25,80,36	0	36,84,99	0	{108}- राज्य मुख्यालय पुलिस	41,59,41	0
37,51,81,72	1,26,17	39,08,63,11	1,50,00	38,65,74,69	77,42	{109}- जिला पुलिस	41,46,20,75	1,50,00
1,25,76	0	2,01,39	0	1,56,39	0	{110}- ग्राम पुलिस	2,76,95	0
1,14,04,34	0	1,25,27,62	0	1,19,98,53	0	{111}- रेल पुलिस	1,31,84,94	0
25,28,31	0	22,06,32	0	18,96,45	0	{113}- पुलिस कार्मिकों का कल्याण	25,67,17	0
1,42,81,41	0	1,59,84,06	0	1,37,69,36	0	{114}- बेतार और कम्प्यूटर	1,77,37,73	0
39,74,59	0	54,99,61	0	14,64,85	0	{115}- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	21,74,42	0
19,85,79	0	32,83,89	0	28,44,88	0	{116}- न्यायालयिक विज्ञान	31,36,00	0
0	0	0	0	0	0	{797}- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण	10,00,00	0
1,60,28,51	0	1,63,44,27	0	1,39,16,20	0	{800}- अन्य व्यय	2,15,44,41	0
59,61,73,93	1,26,17	64,07,59,46	1,50,00	62,05,17,60	77,42	योग लेखा शीर्ष - 2055	68,21,89,56	1,50,00
2059- लोक निर्माण कार्य								
[01]- कार्यालय भवन								
6,33,72	0	5,91,05	0	4,36,26	0	{053}- रखरखाव तथा मरम्मत	4,00,00	0
6,33,72	0	5,91,05	0	4,36,26	0	योग लेखा शीर्ष - 2059	4,00,00	0
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं								
4,19,49,24	0	3,87,41,95	2,00	4,34,25,16	1	{107}- होम गार्ड	4,72,25,54	2,50
4,19,49,24	0	3,87,41,95	2,00	4,34,25,16	1	योग लेखा शीर्ष - 2070	4,72,25,54	2,50
2075- विविध सामान्य सेवाएं								

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
13,92	0	13,64	0	4,48	0	{104}- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार	15,00	0
13,92	0	13,64	0	4,48	0	योग लेखा शीर्ष - 2075	15,00	0
						2216- आवास		
						[05]- साधारण पूल आवास		
28,98,18	0	27,27,93	0	21,36,73	0	{053}- रख	24,80,00	0
28,98,18	0	27,27,93	0	21,36,73	0	योग लेखा शीर्ष - 2216	24,80,00	0
64,16,68,99	1,26,17	68,28,34,03	1,52,00	66,65,20,23	77,43	योग एक - राजस्व अनुभाग	73,23,10,10	1,52,50
						दो - पूंजी अनुभाग		
						4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		
61,59,50	0	1,72,13,67	0	1,01,51,04	0	{207}- राज्य पुलिस	1,91,25,72	0
0	0	2	0	0	0	{208}- विशेष पुलिस	5,00,03	0
0	0	10,00,00	0	7,00,00	0	{210}- अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण	5,00,00	0
2,58,27,90	0	3,50,40,02	0	3,27,40,00	0	{211}- पुलिस आवास	3,24,00,00	0
50,00,00	0	1,73,64,62	0	1,17,94,48	0	{800}- अन्य व्यय	1,24,57,08	0
3,69,87,40	0	7,06,18,33	0	5,53,85,52	0	योग लेखा शीर्ष - 4055	6,49,82,83	0
						4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
30,00	0	5,00,00	0	1,50,00	0	{800}- अन्य व्यय	4,00,00	0
30,00	0	5,00,00	0	1,50,00	0	योग लेखा शीर्ष - 4070	4,00,00	0
3,70,17,40	0	7,11,18,33	0	5,55,35,52	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	6,53,82,83	0
67,86,86,39	1,26,17	75,39,52,36	1,52,00	72,20,55,75	77,43	योग मांग संख्या - 003	79,76,92,93	1,52,50

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग

						2055- पुलिस		
0	0	0	0	-8,50,08	0	{800}- अन्य व्यय	-6,00,01	0
0	0	-6,00,01	0	-8,50,08	0	योग लेखा शीर्ष - 2055	0	0
0	0	-6,00,01	0	-8,50,08	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

						4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		
0	0	0	0	0	0	{207}- राज्य पुलिस	-4,00,00	0
0	0	-4,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4055	0	0
0	0	-4,00,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
0	0	-10,00,01	0	-8,50,08	0	योग मांग संख्या - 003	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

मांग संख्या - 003 : पुलिस

(आंकडे हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
67,86,86,39	1,26,17	75,29,52,35	1,52,00	72,12,05,67	77,43	79,76,92,93	1,52,50

योग मांग संख्या - 003

मांग संख्या - 004

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

I. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	94,33,43	1	94,33,44
भारित	3,00	0	3,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2013- मंत्रिपरिषद								
1,80,00	0	2,72,79	0	2,17,60	0	{800}- अन्य व्यय	1,50,00	0
1,80,00	0	2,72,79	0	2,17,60	0	योग लेखा शीर्ष - 2013	1,50,00	0
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं								
28,51	0	35,26	0	27,24	0	{106}- सिविल रक्षा	12,06	0
8,36,71	0	11,28,26	60	8,07,30	1	{114}- वाहन का क्रय तथा रखरखाव	10,74,34	1,00
8,65,22	0	11,63,52	60	8,34,54	1	योग लेखा शीर्ष - 2070	10,86,40	1,00
2216- आवास								
[80]- सामान्य								
1,00,00	0	1,54,58	1,20	95,92	1	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,53,17	2,00
1,00,00	0	1,54,58	1,20	95,92	1	योग लेखा शीर्ष - 2216	1,53,17	2,00
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण								
[60]- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम								
3,36,50	0	4,55	0	60	0	{102}- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन	3,50,00	0
36,84,36	0	40,65,73	0	28,75,13	0	{200}- अन्य कार्यक्रम	43,19,76	0
40,20,86	0	40,70,28	0	28,75,73	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	46,69,76	0
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी								
[01]- जनगणना								
90	0	91	0	84,53	0	{800}- अन्य व्यय	33,74,10	0
90	0	91	0	84,53	0	योग लेखा शीर्ष - 3454	33,74,10	0
51,66,98	0	56,62,08	1,80	41,08,32	2	योग एक - राजस्व अनुभाग	94,33,43	3,00

दो - पूंजी अनुभाग

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

[60]- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

मांग संख्या - 004 : गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
75,00	0	50,00	0	22,80	0	{800}- अन्य व्यय	1 0
75,00	0	50,00	0	22,80	0	योग लेखा शीर्ष - 4235	1 0
75,00	0	50,00	0	22,80	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1 0
52,41,98	0	57,12,08	1,80	41,31,12	2	योग मांग संख्या - 004	94,33,44 3,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 005

जेल

I. जेल के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	4,11,98,11	30,30,00	4,42,28,11
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2056- जेल								
11,29,09	0	14,35,26	0	11,91,98	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	19,26,19	0
3,12,43,28	0	3,88,14,54	0	3,56,08,93	0	{101}- जेले	3,92,71,92	0
4,82,07	0	2,19,91	0	1,54,30	0	{102}- जेल उत्पादन	0	0
3,28,54,44	0	4,04,69,71	0	3,69,55,21	0	योग लेखा शीर्ष - 2056	4,11,98,11	0
3,28,54,44	0	4,04,69,71	0	3,69,55,21	0	योगएक - राजस्व अनुभाग	4,11,98,11	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- कार्यालय भवन								
0	0	25,47,00	0	14,47,92	0	{051}- निर्माण	30,30,00	0
0	0	25,47,00	0	14,47,92	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	30,30,00	0
0	0	25,47,00	0	14,47,92	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	30,30,00	0
3,28,54,44	0	4,30,16,71	0	3,84,03,13	0	योग मांग संख्या - 005	4,42,28,11	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 006

वित्त

I. वित्त के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,72,96,22,54	1,30,70,03	1,74,26,92,57
भारित	3,30,05,47	0	3,30,05,47

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

								(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान			
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021			
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		
एक - राजस्व अनुभाग									
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं									
2,22,77	0	3,05,61	0	2,33,83	0	{103}- अल्प बचतों की अभिवृद्धि	2,80,81	0	
2,22,77	0	3,05,61	0	2,33,83	0	योग लेखा शीर्ष - 2047	2,80,81	0	
2052- सचिवालय									
15,72,92	0	22,90,38	17,09	14,04,00	0	{091}- संलग्न कार्यालय	29,65,32	6,00	
0	0	1,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0	
15,72,92	0	23,90,38	17,09	14,04,00	0	योग लेखा शीर्ष - 2052	29,65,32	6,00	
2054- खजाना और लेखा प्रशासन									
1,25,14	0	1,89,78	0	1,73,08	0	{003}- प्रशिक्षण	2,27,34	0	
45,54,32	0	2,80,82,26	50,00,00	53,43,29	0	{095}- लेखा और खजाना निदेशालय	3,18,94,69	1,00,05,00	
66,23,92	0	85,82,19	0	72,50,00	0	{097}- खजाना स्थापना	83,06,13	0	
42,88,71	0	54,08,80	0	44,25,87	0	{098}- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	51,46,82	0	
1,55,92,09	0	4,22,63,03	50,00,00	1,71,92,24	0	योग लेखा शीर्ष - 2054	4,55,74,98	1,00,05,00	
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
2,68,48	0	9,09,34	0	1,48,29	0	{800}- अन्य व्यय	10,00,03	0	
2,68,48	0	9,09,34	0	1,48,29	0	योग लेखा शीर्ष - 2070	10,00,03	0	
2071- पेंशन तथा सेवा निवृत्ति हितलाम									
[01]- सिविल									
74,08,60,82	2,13,40	83,40,64,65	76,95,82	83,39,66,33	6,44,33	{101}- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते	1,01,08,22,47	1,02,74,09	
78,63,72	0	30,57,90	2,54,82	92,44,01	2,10	{102}- पेंशन का संराशिकृत मूल्य	5,91,32,88	10,00,00	
18,64	0	47,57	11,89	1,88,47	45	{103}- अनुकम्पा भत्ता	4,54,86	50,00	
13,73,62,76	0	13,20,20,00	86	10,42,16,39	4,36,45	{104}- उपदान	15,78,12,00	5,00,00	
18,97,49,48	0	27,83,41,35	5,95	27,83,30,66	16,64	{105}- परिवार पेंशन	23,83,41,35	1,00,00,00	
0	85,46	0	1,12,10	0	1,95,93	{106}- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार	0	11,70,37	

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
58	0	7,61	0	31,10	0	{108}- भविष्य निधि के लिए अंशदान	35,00	0
31,88,50	0	69,87,15	0	30,14,78	0	{111}- विधायकों को पेंशन	37,95,93	0
4,61,48,25	0	6,67,79,61	0	3,38,66,50	0	{115}- छुट्टी नगदीकरण हितलाभ	4,84,38,81	0
7,28,88,39	0	7,00,00,00	0	8,57,31,25	0	{117}- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान	15,73,09,82	0
2,71	0	23,20,94	0	18,55	0	{200}- अन्य पेंशन	22,65	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,20,00	0
1,19,80,83,85	2,98,86	1,39,36,26,78	80,81,44	1,34,86,08,04	12,95,90	योग लेखा शीर्ष - 2071	1,67,62,85,77	2,29,94,46
2075- विविध सामान्य सेवाएं								
31	0	90,93	0	1	0	{797}- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण	1,00,00	0
25,44,13	0	35,46,36	0	25,71,63	0	{800}- अन्य व्यय	33,20,63	1
25,44,44	0	36,37,29	0	25,71,64	0	योग लेखा शीर्ष - 2075	34,20,63	1
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं								
0	0	90,93	0	0	0	{797}- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण	95,00	0
0	0	90,93	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 3475	95,00	0
1,21,82,84,55	2,98,86	1,44,32,23,36	1,30,98,53	1,37,01,58,04	12,95,90	योग एक - राजस्व अनुभाग	1,72,96,22,54	3,30,05,47
दो - पूंजी अनुभाग								
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
4,31,80	0	75,00,01	0	20,14,60	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
4,31,80	0	75,00,01	0	20,14,60	0	योग लेखा शीर्ष - 4070	1	0
4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय								
24,70,00	0	2	0	0	0	{107}- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश	20,00,01	0
24,70,00	0	2	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4425	20,00,01	0
4885- उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय								
[01]- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश								
0	0	5,00,00	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1	0
0	0	5,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4885	1	0
6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज								

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
65,00,00	0	1,10,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,10,00,00	0
65,00,00	0	1,10,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 6075	1,10,00,00	0
						7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
0	0	70,00	0	0	0	{201}- भवन निर्माण अग्रिम	70,00	0
0	0	70,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 7610	70,00	0
						7810- अन्तर्राज्यीय परिशोधन		
1,05,04	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
1,05,04	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 7810	0	0
95,06,84	0	1,90,70,03	0	20,14,60	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1,30,70,03	0
1,22,77,91,39	2,98,86	1,46,22,93,39	1,30,98,53	1,37,21,72,64	12,95,90	योग मांग संख्या - 006	1,74,26,92,57	3,30,05,47

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 007

वाणिज्यिक कर

I. वाणिज्यिक कर के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	32,00,80,83	17,02,00	32,17,82,83
भारित	23,00	0	23,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2020- आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण							
20	0	20	0	19	0	{105}- संग्रहण प्रभार	19 0
20	0	20	0	19	0	योग लेखा शीर्ष - 2020	19 0
2030- स्टाम्प पंजीकरण							
[01]- स्टाम्प							
9,57,63	0	19,22,73	18,00	13,25,21	1	{001}- निदेशन और प्रशासन	27,00,39 12,00
3,23,00	0	4,09,19	0	6,35,73	0	{101}- स्टाम्पों की लागत	4,60,00 0
1,32,23	0	2,72,79	0	2,72,79	0	{102}- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	2,00,00 0
[02]- स्टाम्प							
37,47,22	0	25,46,07	0	39,36,41	0	{101}- स्टाम्पों की लागत	26,00,00 0
3,88,33	0	54,55,87	0	54,55,87	0	{102}- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	50,50,00 0
0	0	5,70,66,00	0	5,70,66,00	0	{797}- आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें	6,00,00,00 0
[03]- पंजीकरण							
46,56,84	0	56,62,98	0	46,36,94	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	54,05,54 0
1,02,05,25	0	7,33,35,63	18,00	7,33,28,95	1	योग लेखा शीर्ष - 2030	7,64,15,93 12,00
2039- राज्य उत्पाद शुल्क							
17,13,63,10	0	23,51,75,75	1,00	18,17,89,45	1	{001}- निदेशन और प्रशासन	16,68,01,25 10,00
49,95	0	50,00	0	83,80	0	{102}- अफीम आदि का क्रय	1,00,00 0
1,12,18	0	33,20	0	42	0	{104}- लिकर तथा स्पिरिट का क्रय	1,00,00 0
1,39	0	19,31	0	18	0	{800}- अन्य व्यय	18 0
17,15,26,62	0	23,52,78,26	1,00	18,18,73,85	1	योग लेखा शीर्ष - 2039	16,70,01,43 10,00
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर							
3,70,32	0	6,12,90	0	4,60,09	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	6,14,51 0
0	0	4,00	0	0	0	{101}- संग्रहण प्रभार	3 0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
3,70,32	0	6,16,90	0	4,60,09	0	योग लेखा शीर्ष - 2040	6,14,54	0
						2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क		
26,64,08	0	51,26,10	0	21,55,12	0	{001}- निर्देशन और प्रशासन	46,94,41	0
1,76,28,03	0	2,32,78,61	60	1,74,15,61	1	{101}- संग्रह शुल्क	2,03,50,71	1,00
0	0	0	0	0	0	{797}- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण	1	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
2,02,92,11	0	2,84,04,71	60	1,95,70,73	1	योग लेखा शीर्ष - 2043	2,50,45,14	1,00
						2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
0	0	3,60	0	0	0	{101}- संग्रहण प्रभार	3,60	0
2,41,23	0	80,56,11	0	80,56,11	0	{797}- आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेख	5,10,00,00	0
2,41,23	0	80,59,71	0	80,56,11	0	योग लेखा शीर्ष - 2045	5,10,03,60	0
20,26,35,73	0	34,56,95,41	19,60	28,32,89,92	3	योग एक - राजस्व अनुभाग	32,00,80,83	23,00
						दो - पूंजी अनुभाग		
						4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
						[01]- कार्यालय भवन		
0	0	0	0	0	0	{051}- निर्माण	17,02,00	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	17,02,00	0
0	0	0	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	17,02,00	0
20,26,35,73	0	34,56,95,41	19,60	28,32,89,92	3	योग मांग संख्या - 007	32,17,82,83	23,00
टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है								
						एक - राजस्व अनुभाग		
						2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	-1	0
0	0	-1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2043	0	0
0	0	-1	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0
0	0	-1	0	0	0	योग मांग संख्या - 007	0	0
टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।								
20,26,35,73	0	34,56,95,40	19,60	28,32,89,92	3	योग मांग संख्या - 007	32,17,82,83	23,00

मांग संख्या - 008

भू राजस्व तथा जिला प्रशासन

I. भू राजस्व तथा जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	19,01,48,13	1,71,10,01	20,72,58,14
भारित	3,98,49	0	3,98,49

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2029- भू राजस्व								
74,53,04	0	1,51,74,22	0	1,18,73,98	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,49,70,85	0
62,40,19	0	28,99,22	0	26,91,75	0	{102}- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य	68	0
6,43,79,20	43	9,59,26,58	0	8,11,47,94	0	{103}- भू	8,92,66,58	0
7,80,72,43	43	11,40,00,02	0	9,57,13,67	0	योग लेखा शीर्ष - 2029	10,42,38,11	0
2052- सचिवालय								
4,51,97	1,10,14	6,07,71	2,05,84	4,62,21	1,12,24	{099}- राजस्व बोर्ड	6,01,56	1,88,00
4,51,97	1,10,14	6,07,71	2,05,84	4,62,21	1,12,24	योग लेखा शीर्ष - 2052	6,01,56	1,88,00
2053- जिला प्रशासन								
2,24,75,09	5,38	2,80,44,58	0	2,51,40,46	0	{093}- जिला स्थापना	3,14,01,14	2,09,99
3,54,18,92	0	4,15,99,17	0	3,92,26,63	0	{094}- अन्य स्थापनाएं	4,65,72,04	0
19,87,91	0	30,24,88	0	21,85,34	0	{101}- आयुक्त	27,41,97	0
78,44	0	1,20,55	0	83,52	0	{800}- अन्य व्यय	1,10,80	0
5,99,60,36	5,38	7,27,89,18	0	6,66,35,95	0	योग लेखा शीर्ष - 2053	8,08,25,95	2,09,99
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण								
0	0	32,49,31	0	25,99,47	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	44,39,40	0
0	0	13,48	0	0	0	{797}- आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण	0	0
0	0	32,62,79	0	25,99,47	0	योग लेखा शीर्ष - 2058	44,39,40	0
2075- विविध सामान्य सेवाएं								
36	0	1,50	0	36	0	{800}- अन्य व्यय	48	0
36	0	1,50	0	36	0	योग लेखा शीर्ष - 2075	48	0
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण								
[01]- पुनर्वास								
66,13	0	42,87	0	34,21	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	42,63	0
0	0	1	50	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	50
66,13	0	42,88	50	34,21	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	42,63	50

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
13,85,51,25	1,15,95	19,07,04,08	2,06,34	16,54,45,87	1,12,24	योग एक - राजस्व अनुभाग	19,01,48,13	3,98,49
दो - पूंजी अनुभाग								
4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	5,40,00	0	6,79	0	{103}- सरकारी मुद्रणालय	6,12,00	0
0	0	5,40,00	0	6,79	0	योग लेखा शीर्ष - 4058	6,12,00	0
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- कार्यालय भवन								
94,28,22	0	1,66,00,00	0	97,73,23	0	{051}- निर्माण	1,39,98,00	0
94,28,22	0	1,66,00,00	0	97,73,23	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	1,39,98,00	0
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	25,00,00	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4070	25,00,00	0
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	1	0	0	0	{101}- भूमि सीमा (कृषीय भूमि को छोड़कर)	1	0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 5475	1	0
6401- फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज								
54	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
54	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 6401	0	0
94,28,76	0	1,71,40,01	0	97,80,02	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1,71,10,01	0
14,79,80,01	1,15,95	20,78,44,09	2,06,34	17,52,25,89	1,12,24	योग मांग संख्या - 008	20,72,58,14	3,98,49

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 009

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

I. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	62,59,12	0	62,59,12
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2810- अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत								
[01]- बायो								
0	0	0	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,86,47	0
[02]- सौर								
0	0	0	0	0	0	{101}- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम	1	0
0	0	0	0	0	0	{102}- प्रकाश वोल्टीय	50,00,03	0
[60]- अन्य								
0	0	0	0	0	0	{600}- उर्जा के अन्य स्रोत	1,00,00	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	9,72,61	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2810	62,59,12	0
0	0	0	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	62,59,12	0
0	0	0	0	0	0	योग मांग संख्या - 009	62,59,12	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग								
2810- अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत								
[02]- सौर								
0	0	0	0	0	0	{102}- प्रकाश वोल्टीय	-50,00,00	0
0	0	-50,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2810	0	0
0	0	-50,00,00	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0
0	0	-50,00,00	0	0	0	योग मांग संख्या - 009	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तिओं को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

0	0	-50,00,00	0	0	0	योग मांग संख्या - 009	62,59,12	0
----------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------------------------	-----------------	----------

मांग संख्या - 010

वन

I. वन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	16,84,43,37	10,33,27,47	27,17,70,84
भारित	25,99	0	25,99

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2055- पुलिस								
16,95,51	0	21,45,77	0	18,55,59	0	{104}- विशेष पुलिस	20,17,72	0
16,95,51	0	21,45,77	0	18,55,59	0	योग लेखा शीर्ष - 2055	20,17,72	0
2216- आवास								
[05]- साधारण पूल आवास								
8,48,48	0	13,36,52	0	9,34,73	0	{053}- रख	7,28,13	0
8,48,48	0	13,36,52	0	9,34,73	0	योग लेखा शीर्ष - 2216	7,28,13	0
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन								
[01]- वानिकी								
65,59,46	0	84,95,18	0	60,66,18	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	79,16,47	0
18,42,83	0	23,93,71	0	18,74,06	0	{003}- शिक्षा तथा प्रशिक्षण	24,73,22	0
43,04,40	0	72,16,84	0	29,45,58	0	{004}- अनुसंधान	48,48,32	0
10,43,82,19	0	10,22,75,17	54,00	9,58,46,03	6,34	{101}- वन संरक्षण तथा विकास तथा संपोषण	10,94,26,01	14,47
36,46,49	0	81,72,57	0	49,57,57	0	{102}- समाज तथा फार्म वानिकी	19,20,30	0
39,71,24	0	45,64,61	0	18,80,28	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	28,96,89	0
88,51,70	0	1,13,21,60	0	84,66,92	0	{203}- ईमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	1,09,70,78	0
10,88,05	0	13,60,23	0	9,55,86	0	{204}- बांस का राजकीय व्यापार	5,91,35	0
0	0	10	0	0	0	{206}- खैर का राजकीय व्यापार	0	0
1,06	0	9,09	0	0	0	{797}- आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें	1	0
15,49,95	29,87	15,62,54	36,00	12,22,82	24,20	{800}- अन्य व्यय	14,59,94	11,52
[02]- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन								
2,06,20,84	0	3,04,53,79	0	1,79,69,80	0	{110}- वन्य जीवन	2,21,52,31	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
1,01,70	0	12,31,04	0	4,20,41	0	{111}- चिडियाघर	3,11,39	0
15,69,19,91	29,87	17,90,56,47	90,00	14,26,05,51	30,54	योग लेखा शीर्ष - 2406	16,49,66,99	25,99
						3054- सडक तथा सेतु		
						[04]- जिला तथा अन्य सडके		
1,54,24	0	2,78,00	0	2,28,77	0	{337}- सडक निर्माण	2,10,60	0
1,54,24	0	2,78,00	0	2,28,77	0	योग लेखा शीर्ष - 3054	2,10,60	0
						3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		
						[60]- अन्य		
4,56,10	0	5,19,93	0	2,56,32	0	{600}- अन्य योजनाएं	5,19,93	0
4,56,10	0	5,19,93	0	2,56,32	0	योग लेखा शीर्ष - 3425	5,19,93	0
16,00,74,24	29,87	18,33,36,69	90,00	14,58,80,92	30,54	योग एक - राजस्व अनुभाग	16,84,43,37	25,99
						दो - पूंजी अनुभाग		
						4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय		
						[01]- वानिकी		
44,82,47	0	51,01,19	0	38,94,73	0	{070}- संचार तथा भवन	36,01,19	0
2,63,18,83	0	4,90,45,07	0	4,22,32,43	0	{101}- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	3,98,93,56	0
1,38,46,03	0	1,47,85,40	0	71,43,01	0	{102}- समाज तथा फार्म वानिकी	88,21,15	0
3,60,18,00	0	0	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	0	0
30,20,45	0	2,55,09,31	0	4,85,01	0	{800}- अन्य व्यय	5,10,11,57	0
8,36,85,78	0	9,44,40,97	0	5,37,55,18	0	योग लेखा शीर्ष - 4406	10,33,27,47	0
8,36,85,78	0	9,44,40,97	0	5,37,55,18	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	10,33,27,47	0
24,37,60,02	29,87	27,77,77,66	90,00	19,96,36,10	30,54	योग मांग संख्या - 010	27,17,70,84	25,99

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग		2406- वानिकी तथा वन्य जीवन		[01]- वानिकी		{797}- आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें		योग लेखा शीर्ष - 2406	
-36,38,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36,38,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36,38,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत

मांग संख्या - 011

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

I. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	3,18,62,27	5,92,50,02	9,11,12,29
भारित	25	0	25

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

								(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान			
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021			
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		
एक - राजस्व अनुभाग									
2230- श्रम तथा रोजगार									
[01]- श्रम									
1,16,19	0	1,55,38	0	1,18,74	0	{102}- कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	1,37,88	0	
1,16,19	0	1,55,38	0	1,18,74	0	योग लेखा शीर्ष - 2230	1,37,88	0	
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग									
[102]- लघु उद्योग									
5,75,00	0	6,83,00	0	1,21,04	0	{102}- लघु उद्योग	5,00,00	0	
5,75,00	0	6,83,00	0	1,21,04	0	योग लेखा शीर्ष - 2851	5,00,00	0	
2852- उद्योग									
[80]- सामान्य									
19,04	0	1	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	0	0	
2,80,93,00	0	3,53,00,20	0	3,46,83,00	0	{800}- अन्य व्यय	3,07,12,00	0	
2,81,12,04	0	3,53,00,21	0	3,46,83,00	0	योग लेखा शीर्ष - 2852	3,07,12,00	0	
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं									
[200]- अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन									
4,53,14	0	5,87,74	0	4,56,86	0	{200}- अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन	5,12,39	25	
4,53,14	0	5,87,74	0	4,56,86	0	योग लेखा शीर्ष - 3475	5,12,39	25	
2,92,56,37	0	3,67,26,33	0	3,53,79,64	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	3,18,62,27	25	
दो - पूंजी अनुभाग									
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय									
[800]- अन्य व्यय									
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0	
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4851	0	0	
4875- अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय									
[60]- अन्य उद्योग									
0	0	17,00,00	0	1	0	{190}- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	95,00,03	0	
2,02,50,00	0	3,77,74,01	0	3,09,14,01	0	{800}- अन्य व्यय	2,47,49,99	0	

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
2,02,50,00	0	3,94,74,01	0	3,09,14,02	0	योग लेखा शीर्ष - 4875	3,42,50,02	0
						6851- ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज		
22,16,00	0	1	0	0	0	{101}- औद्योगिक क्षेत्र	0	0
22,16,00	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 6851	0	0
						6856- पेट्रो		
2,50,00,00	0	2,50,00,00	0	1,87,50,00	0	{800}- अन्य व्यय	2,50,00,00	0
2,50,00,00	0	2,50,00,00	0	1,87,50,00	0	योग लेखा शीर्ष - 6856	2,50,00,00	0
						6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज		
						[60]- अन्य		
0	0	1	0	0	0	{600}- अन्य	0	0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 6860	0	0
4,74,66,00	0	6,44,74,04	0	4,96,64,02	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	5,92,50,02	0
7,67,22,37	0	10,12,00,37	0	8,50,43,66	0	योग मांग संख्या - 011	9,11,12,29	25

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 012

ऊर्जा

I. ऊर्जा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	47,90,62,26	11,20,57,11	59,11,19,37
भारित	1	0	1

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क							
44,79,52	0	36,01,91	5,20,12,59	31,23,32	0	{103}- संग्रहण प्रभार	5,36,54,23 1
44,79,52	0	36,01,91	5,20,12,59	31,23,32	0	योग लेखा शीर्ष - 2045	5,36,54,23 1
2801- बिजली							
[80]- सामान्य							
97,66,54,52	0	73,09,21,00	2,00,00,00	67,53,45,00	0	{101}- बिजली बोर्डों को सहायता	42,54,08,03 0
97,66,54,52	0	73,09,21,00	2,00,00,00	67,53,45,00	0	योग लेखा शीर्ष - 2801	42,54,08,03 0
98,11,34,04	0	73,45,22,91	7,20,12,59	67,84,68,32	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	47,90,62,26 1
दो - पूंजी अनुभाग							
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
[02]- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन							
59,28,23	0	3,38,68,00	0	1,80,00,00	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2,06,00,02 0
[05]- संचरण तथा वितरण							
18,54,59,31	0	5,31,41,92	0	98,97,53	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	3,80,00,01 0
19,13,87,54	0	8,70,09,92	0	2,78,97,53	0	योग लेखा शीर्ष - 4801	5,86,00,03 0
6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज							
2,96,21,27	0	7,07,71,10	0	2,11,89,53	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	1,59,57,03 0
0	0	0	0	0	0	{204}- ग्रामीण विद्युतीकरण	1 0
89,03,46	0	1,91,86,01	0	6,51,44	0	{205}- संचरण और वितरण	3,75,00,04 0
3,85,24,73	0	8,99,57,11	0	2,18,40,97	0	योग लेखा शीर्ष - 6801	5,34,57,08 0
22,99,12,27	0	17,69,67,03	0	4,97,38,50	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	11,20,57,11 0

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
1,21,10,46,3 1	0	91,14,89,94	7,20,12,59	72,82,06,82	0	योग मांग संख्या - 012	59,11,19,37	1

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

[05]- संचरण तथा वितरण

-18,00,00	0	-5,72,00,00	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	-5,00,00,00	0
-18,00,00	0	-10,72,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4801	0	0
-18,00,00	0	-10,72,00,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
-18,00,00	0	-10,72,00,00	0	0	0	योग मांग संख्या - 012	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

1,20,92,46,3 1	0	80,42,89,94	7,20,12,59	72,82,06,82	0	योग मांग संख्या - 012	59,11,19,37	1
-------------------	---	-------------	------------	-------------	---	-----------------------	-------------	---

मांग संख्या - 013

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

I. किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,04,61,36,51	4	1,04,61,36,55
भारित	34,00	0	34,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2401- फसल कृषि कर्म								
4,33,45,40	3,85	5,69,42,18	30,00	4,62,03,81	2,12	{001}- निदेशन और प्रशासन	5,09,59,42	24,00
1,29,09,38	0	6,01,78,17	0	2,33,32,75	0	{102}- खाद्यान्न फसलें	2,89,08,57	0
3,02,88,73	0	1,16,95,80	0	83,39,67	0	{103}- बीज	16,32,19	0
89,58,36	0	1,69,13,13	0	76,06,25	0	{105}- खाद तथा उर्वरक	1,15,66,69	0
14,87	0	32,97	0	18,62	0	{107}- वनस्पति रक्षण	22,47	0
14,61,31	0	86,05,31	0	20,38,76	0	{108}- वाणिज्यिक फसलें	18,92,48	0
1,37,99,00	0	2,30,31,45	0	1,23,89,62	0	{109}- विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण	1,09,40,90	0
8,31,91,43	0	22,00,65,35	0	28,57,28,70	0	{110}- फसल बीमा	8,00,00,00	0
2,21,72,32	8,23	2,95,95,37	10,00	2,14,70,64	1,31	{113}- कृषि इंजीनियरी	1,66,77,33	10,00
75,14,30,59	0	1,10,89,96,10	0	44,67,26,75	0	{800}- अन्य व्यय	26,63,33,35	0
96,75,71,39	12,08	1,53,60,55,83	40,00	85,38,55,57	3,43	योग लेखा शीर्ष - 2401	46,89,33,40	34,00
2402- मृदा तथा जल संरक्षण								
8,42	0	5,83,23	0	2,85,17	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	6,35,07	0
11,47,34	0	15,32,50	0	12,62,79	0	{101}- मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण	12,89,89	0
55,28,12	0	67,27,65	0	59,55,16	0	{102}- मृदा संरक्षण	65,70,15	0
11,37	0	0	0	0	0	{109}- विस्तार तथा प्रशिक्षण	0	0
66,95,25	0	88,43,38	0	75,03,12	0	योग लेखा शीर्ष - 2402	84,95,11	0
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा								
3,47,20	0	1,40,00	0	1,12,00	0	[80]- सामान्य		
						{120}- अन्य संस्थाओं को सहायता	28,00	0
3,47,20	0	1,40,00	0	1,12,00	0	योग लेखा शीर्ष - 2415	28,00	0
2801- बिजली								
0	0	57,74,00,00	0	57,74,00,00	0	[06]- ग्रामीण विद्युतीकरण		
						{800}- अन्य व्यय	45,91,40,00	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	13,43,00,00	0	6,38,00,00	0	10,95,40,00	0
0	0	71,17,00,00	0	64,12,00,00	0	56,86,80,00	0
97,46,13,84	12,08	2,25,67,39,2 1	40,00	1,50,26,70,6 9	3,43	1,04,61,36,5 1	34,00
दो - पूंजी अनुभाग							
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय							
0	0	1	0	0	0	4	0
0	0	1	0	0	0	4	0
0	0	1	0	0	0	4	0
97,46,13,84	12,08	2,25,67,39,2 2	40,00	1,50,26,70,6 9	3,43	1,04,61,36,5 5	34,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 014

पशुपालन

I. पशुपालन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	8,94,20,10	9,57,75	9,03,77,85
भारित	13,88	0	13,88

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2059- लोक निर्माण कार्य							
[01]- कार्यालय भवन							
0	0	1	0	0	0	1	0
{053}- रखरखाव तथा मरम्मत							
0	0	1	0	0	0	1	0
योग लेखा शीर्ष - 2059							
2403- पशु पालन							
64,31,71	11,99	76,74,26	10,00	78,68,70	15,86	69,09,38	13,88
{001}- निदेशन और प्रशासन							
3,79,72,07	0	4,63,56,41	0	4,23,34,44	0	2,40,21,99	0
{101}- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य							
2,17,34,79	0	4,26,88,09	0	3,38,68,73	0	4,88,98,02	0
{102}- पशु तथा भैंस विकास							
20,99,13	0	25,51,98	0	21,50,08	0	20,06,22	0
{103}- कुक्कुट विकास							
4,88,80	0	6,13,03	0	5,35,72	0	6,38,66	0
{104}- भेंड तथा ऊन विकास							
15,46,64	0	13,38,47	0	7,47,64	0	2,41,84	0
{106}- अन्य पशुधन विकास							
8,46,57	0	11,59,02	0	6,53,27	0	8,09,01	0
{107}- चारा तथा चारागाह विकास							
29,76,37	0	19,13,02	0	12,44,79	0	6,64,92	0
{109}- विस्तार तथा प्रशिक्षण							
6,97,33	0	8,47,28	0	7,60,54	0	5,21,23	0
{113}- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी							
1,02,00,36	0	1,03,87,11	0	82,71,08	0	47,08,82	0
{800}- अन्य व्यय							
8,49,93,77	11,99	11,55,28,67	10,00	9,84,34,99	15,86	8,94,20,09	13,88
योग लेखा शीर्ष - 2403							
8,49,93,77	11,99	11,55,28,68	10,00	9,84,34,99	15,86	8,94,20,10	13,88
योग एक - राजस्व अनुभाग							
दो - पूंजी अनुभाग							
4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय							
5,06,17	0	12,30,81	0	2,02,75	0	5,28,59	0
{101}- पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य							
3,31,85	0	4,87,19	0	2,28,51	0	4,29,16	0
{800}- अन्य व्यय							
8,38,02	0	17,18,00	0	4,31,26	0	9,57,75	0
योग लेखा शीर्ष - 4403							
8,38,02	0	17,18,00	0	4,31,26	0	9,57,75	0
योग दो - पूंजी अनुभाग							
8,58,31,79	11,99	11,72,46,68	10,00	9,88,66,25	15,86	9,03,77,85	13,88
योग मांग संख्या - 014							

मांग संख्या - 014 : पशुपालन

(आंकडे हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 015

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

I. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	20,45,75	5,00,00	25,45,75
भारित	1,00	0	1,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

								(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान			
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021			
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		
एक - राजस्व अनुभाग									
2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण									
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण									
0	0	0	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन		1,15,68	1,00
0	0	0	0	0	0	{102}- आर्थिक विकास		3	0
0	0	0	0	0	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता		17,47	0
0	0	0	0	0	0	{277}- शिक्षा		18,27,33	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय		66,25	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2225		20,26,76	1,00
2801- बिजली									
[06]- ग्रामीण विद्युतीकरण									
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय		18,99	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2801		18,99	0
0	0	0	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग		20,45,75	1,00
दो - पूंजी अनुभाग									
4225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय									
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण									
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय		5,00,00	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4225		5,00,00	0
0	0	0	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग		5,00,00	0
0	0	0	0	0	0	योग मांग संख्या - 015		25,45,75	1,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 016

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

I. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	89,62,82	78,20	90,41,02
भारित	17,35	0	17,35

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2405- मछली उद्योग								
6,11,34	0	8,32,98	0	7,30,82	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	8,46,06	0
57,09,80	3,00	76,17,27	14,95	61,33,81	17,16	{101}- अन्तर्देशीय मछली उद्योग	71,60,27	17,35
0	0	0	0	0	0	{102}- ज्यारनदमुखीय/खारा जल मछली पालन	1	0
13,66	0	16,20	0	0	0	{120}- मछली पालन सहकारी समितियां	0	0
9,32,59	0	14,86,91	0	11,36,40	0	{800}- अन्य व्यय	9,46,52	0
72,67,39	3,00	99,53,36	14,95	80,01,03	17,16	योग लेखा शीर्ष - 2405	89,52,86	17,35
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा								
[05]- मछली पालन								
51,88	0	24,69	0	21,27	0	{004}- अनुसंधान	9,96	0
51,88	0	24,69	0	21,27	0	योग लेखा शीर्ष - 2415	9,96	0
73,19,27	3,00	99,78,05	14,95	80,22,30	17,16	योग एक - राजस्व अनुभाग	89,62,82	17,35
दो - पूंजी अनुभाग								
4404- डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	46,00	0	0	0	{102}- डेरी विकास परियोजनाएं	0	0
0	0	46,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4404	0	0
4405- मछली								
0	0	69,00	0	0	0	{109}- विस्तार तथा प्रशिक्षण	78,20	0
0	0	69,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4405	78,20	0
0	0	1,15,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	78,20	0
73,19,27	3,00	1,00,93,05	14,95	80,22,30	17,16	योग मांग संख्या - 016	90,41,02	17,35

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 017

सहकारिता

I. सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	6,10,70,62	30,26,52	6,40,97,14
भारित	2,00	0	2,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2425- सहकारिता								
64,64,54	0	81,02,99	60	67,18,20	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	72,03,87	2,00
1,03,50	0	45,20	0	45,20	0	{003}- प्रशिक्षण	18,08	0
50,57,63	0	56,90,91	0	54,80,55	0	{101}- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा	60,23,75	0
3,82,06,93	0	12,09,95,34	0	2,53,89,56	0	{107}- क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता	4,48,79,19	0
3,51,00	0	3,18,30	0	2,54,61	0	{108}- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	21,60,02	0
3,99,33	0	11,07,06	0	4,84,13	0	{800}- अन्य व्यय	7,85,71	0
5,05,82,93	0	13,62,59,80	60	3,83,72,25	0	योग लेखा शीर्ष - 2425	6,10,70,62	2,00
5,05,82,93	0	13,62,59,80	60	3,83,72,25	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	6,10,70,62	2,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय								
10,07,49,60	0	10,18,53,69	0	4,72,49	0	{107}- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश	13,57,01	0
10,07,49,60	0	10,18,53,69	0	4,72,49	0	योग लेखा शीर्ष - 4425	13,57,01	0
6425- सहकारिता के लिए कर्ज								
0	0	4,60,00	0	0	0	{106}- बहुदेशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को कर्ज	3,60,00	0
1,12,42,07	0	1,17,50,72	0	1,04,85,40	0	{107}- जमा सहकारी समितियों को कर्ज	13,09,50	0
0	0	8,22,02	0	8,21,99	0	{108}- अन्य सहकारी समितियों को कर्ज	1	0
1,12,42,07	0	1,30,32,74	0	1,13,07,39	0	योग लेखा शीर्ष - 6425	16,69,51	0
11,19,91,67	0	11,48,86,43	0	1,17,79,88	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	30,26,52	0
16,25,74,60	0	25,11,46,23	60	5,01,52,13	0	योग मांग संख्या - 017	6,40,97,14	2,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 018

श्रम

I. श्रम के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	8,13,04,48	0	8,13,04,48
भारित	3,00	0	3,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य								
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
1,27,88,77	0	2,20,95,47	60	1,73,47,57	1	{102}- कर्मचारी राज्य बीमा योजना	1,39,05,21	2,00
1,27,88,77	0	2,20,95,47	60	1,73,47,57	1	योग लेखा शीर्ष - 2210	1,39,05,21	2,00
2230- श्रम तथा रोजगार								
[01]- श्रम								
4,26,67	0	5,18,62	2,05	4,83,46	1	{001}- निदेशन तथा प्रशासन	5,69,84	1,00
38,65,93	0	44,26,61	6	41,78,35	0	{101}- औद्योगिक संबंध	57,42,94	0
6,15,22	0	7,54,59	0	7,12,28	0	{102}- कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	8,26,49	0
12,00,00	0	2,00,00	0	55,60	0	{103}- सामान्य श्रम कल्याण	2,00,00	0
7,85,99,89	0	6,45,99,27	0	5,51,66,69	0	{112}- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास	6,00,50,00	0
0	0	0	0	0	0	{114}- उत्प्रावासी श्रम कल्याण	10,00	0
8,47,07,71	0	7,04,99,09	2,11	6,05,96,38	1	योग लेखा शीर्ष - 2230	6,73,99,27	1,00
9,74,96,48	0	9,25,94,56	2,71	7,79,43,95	2	योग एक - राजस्व अनुभाग	8,13,04,48	3,00
9,74,96,48	0	9,25,94,56	2,71	7,79,43,95	2	योग मांग संख्या - 018	8,13,04,48	3,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 019

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

I. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	72,30,87,01	1,74,42,51	74,05,29,52
भारित	25,50	0	25,50

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य								
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
66,03,14	0	71,66,08	25,00	78,31,97	6,92,57	{001}- निदेशन और प्रशासन	88,42,44	25,00
17,12,00,34	0	31,99,96,19	0	30,66,82,99	0	{110}- अस्पताल और औषधालय	33,35,90,27	0
10,42,92,80	6,33	12,72,18,80	0	10,54,30,12	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	11,97,32,03	0
16,66,47	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
[03]- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं								
8,98,95,67	0	10,70,76,90	0	9,63,16,75	0	{103}- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	10,46,22,36	0
34,73,27	0	48,83,85	0	38,33,37	0	{197}- जनपद पंचायतों को सहायता	40,59,48	0
12,55,14	0	19,56,46	0	13,07,83	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	14,51,30	0
[05]- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान								
17,69,12	0	25,23,15	0	16,76,31	0	{105}- एलोपैथी	23,92,13	0
[06]- लोक स्वास्थ्य								
4,82,00	0	7,86,58	0	5,20,95	0	{003}- प्रशिक्षण	7,65,16	0
2,27,69,60	0	2,60,44,43	0	2,51,15,32	0	{101}- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	2,70,73,08	0
11,66,70	0	16,30,53	0	14,57,46	0	{102}- खाद्य अपमिश्रण का निवारण	17,25,43	0
8,02,74	0	20,66,61	0	18,74,37	0	{104}- औषध नियंत्रण	20,87,57	50
1,64,14,07	0	1,85,18,57	0	1,71,89,45	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	1,91,33,39	0
[80]- सामान्य								
2,38,51,50	0	5,18,05,94	0	3,61,49,56	0	{800}- अन्य व्यय	3,96,94,38	0
44,56,42,56	6,33	67,16,74,09	25,00	60,53,86,45	6,92,57	योग लेखा शीर्ष - 2210	66,51,69,02	25,50
2211- परिवार कल्याण								
2,43,18	0	3,56,37	0	2,59,55	0	{001}- निदेशन और	2,96,95	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
<i>प्रशासन</i>								
21,14,85	0	23,93,47	0	22,06,70	0	{003}- प्रशिक्षण	24,16,36	0
22,69,79	0	25,67,70	0	24,56,22	0	{102}- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	25,88,01	0
52,10,67	0	58,54,32	0	55,38,74	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	60,86,29	0
3,91,31,79	0	4,33,53,36	0	4,27,01,05	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	4,65,30,38	0
4,89,70,28	0	5,45,25,22	0	5,31,62,26	0	योग लेखा शीर्ष - 2211	5,79,17,99	0
49,46,12,84	6,33	72,61,99,31	25,00	65,85,48,71	6,92,57	योग एक - राजस्व अनुभाग	72,30,87,01	25,50
दो - पूंजी अनुभाग								
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
76,93,52	0	1,47,29,11	0	78,09,57	0	{110}- अस्पताल तथा औषधालय	51,97,02	0
[02]- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं								
83,32	0	25,31,52	0	19,32,77	0	{103}- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	16,15,58	0
69,08,48	0	1,05,20,21	0	87,98,87	0	{104}- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	96,53,91	0
[04]- लोक स्वास्थ्य								
0	0	7,00,00	0	4,50,67	0	{107}- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	9,76,00	0
1,46,85,32	0	2,84,80,84	0	1,89,91,88	0	योग लेखा शीर्ष - 4210	1,74,42,51	0
1,46,85,32	0	2,84,80,84	0	1,89,91,88	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1,74,42,51	0
50,92,98,16	6,33	75,46,80,15	25,00	67,75,40,59	6,92,57	योग मांग संख्या - 019	74,05,29,52	25,50

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग								
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
0	0	-2	0	0	0	{110}- अस्पताल तथा औषधालय	0	0
0	0	-2	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4210	0	0
0	0	-2	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
0	0	-2	0	0	0	योग मांग संख्या - 019	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

50,92,98,16	6,33	75,46,80,13	25,00	67,75,40,59	6,92,57	योग मांग संख्या - 019	74,05,29,52	25,50
--------------------	-------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------	------------------------------	--------------------	--------------

मांग संख्या - 020

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

I. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	5,37,80,06	40,67,38,23	46,05,18,29
भारित	5,00,00	0	5,00,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2215- जल पूर्ति तथा सफाई							
[01]- जल पूर्ति							
1,70,18,22	65,18	3,61,05,89	1,00,00	3,70,42,43	2,52,10	4,32,42,00	5,00,00
{001}- निदेशन और प्रशासन							
9,54	0	20,00	0	16,00	0	3,88	0
{052}- मशीनरी तथा उपस्कर							
4,85,24	0	4,89,21	0	3,03,84	0	1,00,00	0
{101}- शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम							
3,51,17,08	0	2,23,90,24	0	2,02,54,95	0	92,50,01	0
{102}- ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम							
3,98,44	0	7,50,00	0	88,01	0	60,00	0
{192}- नगरपालिकाओं को सहायता							
66,61	0	90,00	0	51,80	0	1,00,00	0
{800}- अन्य व्यय							
[02]- मल							
73,16	0	91,84	0	73,03	0	27,69	0
{001}- निदेशन और प्रशासन							
21,55,83	0	11,87,72	0	10,41,10	0	9,96,48	0
{107}- मल							
5,53,24,12	65,18	6,11,24,90	1,00,00	5,88,71,16	2,52,10	5,37,80,06	5,00,00
योग लेखा शीर्ष - 2215							
5,53,24,12	65,18	6,11,24,90	1,00,00	5,88,71,16	2,52,10	5,37,80,06	5,00,00
योग एक - राजस्व अनुभाग							
दो - पूंजी अनुभाग							
4215- जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- जल पूर्ति							
44,62,39	0	51,25,40	0	46,24,44	0	50,75,43	0
{001}- निदेशन और प्रशासन							
14,37,41	0	24,50,00	0	15,96,04	0	20,00,00	0
{101}- शहरी जल पूर्ति							
13,14,69,34	0	24,42,66,10	0	14,57,44,03	0	26,64,10,80	0
{102}- ग्रामीण जल पूर्ति							
6,02,45,18	0	9,10,51,16	0	8,80,42,63	0	13,32,52,00	0
{800}- अन्य व्यय							
19,76,14,32	0	34,28,92,66	0	24,00,07,14	0	40,67,38,23	0
योग लेखा शीर्ष - 4215							
19,76,14,32	0	34,28,92,66	0	24,00,07,14	0	40,67,38,23	0
योग दो - पूंजी अनुभाग							
25,29,38,44	65,18	40,40,17,56	1,00,00	29,88,78,30	2,52,10	46,05,18,29	5,00,00
योग मांग संख्या - 020							

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

मांग संख्या - 020 : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021			
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		
						4215-	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय		
						[01]-	जल पूर्ति		
-13	0	-36,00,00	0	0	0	{102}-	ग्रामीण जल पूर्ति	0	0
						[01]-	जल पूर्ति		
0	0	-7,38,90,00	0	0	0	{800}-	अन्य व्यय	-3,87,62,00	0
-13	0	-11,62,52,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4215		0	0
-13	0	-11,62,52,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग		0	0
-13	0	-11,62,52,00	0	0	0	योग मांग संख्या - 020		0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्ति को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

25,29,38,31	65,18	28,77,65,56	1,00,00	29,88,78,30	2,52,10	योग मांग संख्या - 020	46,05,18,29	5,00,00
--------------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------------------	--------------------	----------------

मांग संख्या - 021

लोक सेवा प्रबंधन

I. लोक सेवा प्रबंधन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	60,35,01	2,00,00	62,35,01
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2053- जिला प्रशासन								
17,03,42	0	38,45,82	0	22,91,72	0	{093}- जिला स्थापना	30,20,00	0
29,00,40	0	37,93,68	0	29,82,00	0	{800}- अन्य व्यय	30,15,01	0
46,03,82	0	76,39,50	0	52,73,72	0	योग लेखा शीर्ष - 2053	60,35,01	0
46,03,82	0	76,39,50	0	52,73,72	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	60,35,01	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- कार्यालय भवन								
92,12	0	5,00,00	0	1,08,16	0	{051}- निर्माण	2,00,00	0
92,12	0	5,00,00	0	1,08,16	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	2,00,00	0
92,12	0	5,00,00	0	1,08,16	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	2,00,00	0
46,95,94	0	81,39,50	0	53,81,88	0	योग मांग संख्या - 021	62,35,01	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 022

नगरीय विकास एवं आवास

I. नगरीय विकास एवं आवास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	20,52,96,13	15,25,89,73	35,78,85,86
भारित	11,00	10,00,00	10,11,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2059- लोक निर्माण कार्य								
[01]- कार्यालय भवन								
19,17,12	0	21,59,61	0	16,57,62	0	{053}- रखरखाव तथा मरम्मत	12,75,00	0
1,50,19	0	1,90,93	0	1,00,10	0	{800}- अन्य व्यय	1,75,00	0
[80]- सामान्य								
46,54,56	27,68	47,68,88	0	49,70,37	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	53,42,24	10,00
67,21,87	27,68	71,19,42	0	67,28,09	0	योग लेखा शीर्ष - 2059	67,92,24	10,00
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं								
14,24,46	0	16,69,84	0	15,64,21	0	{108}- अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण	18,30,95	0
14,24,46	0	16,69,84	0	15,64,21	0	योग लेखा शीर्ष - 2070	18,30,95	0
2215- जल पूर्ति तथा सफाई								
[02]- मल								
6,00,00	0	18,18,62	0	14,54,89	0	{800}- अन्य व्यय	7,00,00	0
6,00,00	0	18,18,62	0	14,54,89	0	योग लेखा शीर्ष - 2215	7,00,00	0
2216- आवास								
[05]- साधारण पूल आवास								
9,07,76	0	8,28,38	0	6,56,79	0	{053}- रख	6,00,00	0
9,07,76	0	8,28,38	0	6,56,79	0	योग लेखा शीर्ष - 2216	6,00,00	0
2217- शहरी विकास								
[01]- राज्य की राजधानी का विकास								
9,43,00	0	15,62,86	0	11,66,24	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	12,19,89	0
[05]- अन्य शहरी विकास योजनाएं								
20,91,03	0	28,98,26	0	22,32,41	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	26,94,62	0
91,53,00	0	98,75,00	0	98,75,00	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	1,02,75,00	0
0	0	0	0	0	0	{192}- नगरपालिकाओं को	3,00,00	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
<i>सहायता</i>								
0	0	0	0	0	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	3,00,00	0
47,02,61,13	0	67,20,06,44	50,00	33,04,79,15	0	{800}- अन्य व्यय	17,95,83,43	1,00
48,24,48,16	0	68,63,42,56	50,00	34,37,52,80	0	योग लेखा शीर्ष - 2217	19,43,72,94	1,00
3054- सडक तथा सेतु								
[04]- जिला तथा अन्य सडके								
19,99,60	0	18,18,62	0	16,92,89	0	{337}- सडक निर्माण	10,00,00	0
19,99,60	0	18,18,62	0	16,92,89	0	योग लेखा शीर्ष - 3054	10,00,00	0
49,41,01,85	27,68	69,95,97,44	50,00	35,58,49,67	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	20,52,96,13	11,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	28,00	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4070	28,00	0
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- सरकारी रिहायशी भवन								
39,29	0	3,50,00	0	0	0	{700}- अन्य आवास	3,00,00	0
[80]- सामान्य								
0	0	1	0	0	0	{101}- भवन योजना तथा अनुसंधान	1	0
39,29	0	3,50,01	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4216	3,00,01	0
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- राज्य की राजधानी का विकास								
1,14,58,05	0	15,76,00	15,00,00	15,74,85	1	{050}- भूमि	15,00,00	10,00,00
9,64,10	0	49,00,04	0	20,26,16	0	{051}- निर्माण	26,00,04	0
7,28,97	0	7,01,00	0	5,67,57	0	{052}- मशीनरी तथा उपस्कर	6,61,01	0
[03]- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास								
2,55,20,00	0	3,50,00,01	0	4,40,00,01	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	5,00,00,01	0
[05]- अन्य शहरी विकास योजनाएं								
0	0	4,00,00	0	4,00,00	0	{800}- अन्य व्यय	12,00,00	0
[60]- अन्य शहरी विकास योजनाएं								
0	0	1	0	0	0	{191}- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को सहायता	1	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
2,90,93,73	0	4,20,00,05	0	2,96,13,99	0	{800}- सिंहस्थ	4,57,00,64	0
6,77,64,85	0	8,45,77,11	15,00,00	7,81,82,58	1	योग लेखा शीर्ष - 4217	10,16,61,71	10,00,00
						6217- शहरी विकास के लिए कर्ज		
						[02]- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[60]- अन्य शहरी विकास योजनाएं		
1,20,44,16	0	4,66,50,04	0	2,76,42,19	0	{800}- अन्य व्यय	5,06,00,00	0
1,20,44,16	0	4,66,50,05	0	2,76,42,19	0	योग लेखा शीर्ष - 6217	5,06,00,01	0
7,98,48,30	0	13,15,77,17	15,00,00	10,58,24,77	1	योग दो - पूंजी अनुभाग	15,25,89,73	10,00,00
57,39,50,15	27,68	83,11,74,61	15,50,00	46,16,74,44	1	योग मांग संख्या - 022	35,78,85,86	10,11,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 023

जल संसाधन

I. जल संसाधन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	11,81,38,72	48,81,40,28	60,62,79,00
भारित	0	1,00,00	1,00,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2700- मुख्य सिंचाई								
[11]- चंबल परियोजना								
49,26,98	0	53,02,56	0	52,65,12	0	{101}- रख	49,52,22	0
[13]- तवा परियोजना								
28,14,50	0	23,96,50	0	24,10,95	0	{101}- रख	25,46,04	0
[15]- अपर बैन गंगा परियोजना								
15,71,53	0	17,75,26	0	17,15,06	0	{101}- रख	17,13,01	0
[16]- थावर परियोजना								
2,02,83	0	3,00,62	0	2,41,36	0	{101}- रख	3,85,78	0
[17]- कोलार परियोजना								
8,78,08	0	11,38,37	0	9,73,72	0	{101}- रख	10,44,81	0
[18]- बारना परियोजना								
7,70,46	0	6,80,75	0	7,59,07	0	{101}- रख	9,02,35	0
[19]- हलाली परियोजना								
3,71,48	0	4,31,53	0	3,82,34	0	{101}- रख	3,96,18	0
[20]- भांडेर परियोजना								
1,70,67	0	1,38,39	0	1,04,14	0	{101}- रख	1,37,46	0
[21]- सिंध परियोजना चरण								
24,63	0	2,75,36	0	57,36	0	{101}- रख	1,52,59	0
[27]- सुक्ता परियोजना								
1,12,08	0	2,52,26	0	1,42,88	0	{101}- रख	2,53,55	0
[28]- उर्मिल परियोजना								
15,89	0	73,00	0	45,08	0	{101}- रख	65,23	0
[29]- सिंध परियोजना प्रथम चरण								
0	0	7,96	0	0	0	{101}- रख	5,08	0
[30]- रंगवान परियोजना								
78,11	0	98,60	0	80,51	0	{101}- रख	1,05,35	0
[31]- हाइड्रोलोजी परियोजना								
4,82,72	0	11,70,73	0	8,29,23	0	{101}- रख	8,61,68	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
30,56,02	0	28,97,39	0	24,85,48	0	[32]- राजघाट परियोजना {101}- रख	24,50,19	0
0	0	37,33,75	0	32,33,82	0	[33]- बाण सागर परियोजना यूनिट एक (बांध) {101}- रख	45,31,72	0
0	0	4,23,73	0	3,64,17	0	[36]- बावनथडी परियोजना {101}- रख	5,51,09	0
0	0	5,75,05	0	1,20,51	0	[37]- बरियारपुर परियोजना {101}- रख	90,27	0
25,15,63	0	27,46,84	0	27,57,69	0	[80]- सामान्य {005}- सर्वेक्षण और अन्वेषण	30,49,32	0
21,36,88	0	15,75,82	0	10,95,91	0	{800}- अन्य व्यय	12,19,00	0
2,01,28,49	0	2,59,94,47	0	2,30,64,40	0	योग लेखा शीर्ष - 2700	2,54,12,92	0
						2701- मध्यम सिंचाई		
5,20,66,55	0	5,72,50,57	0	5,52,76,65	0	[80]- सामान्य {001}- निदेशन और प्रशासन	5,96,57,95	0
40,96,50	0	38,29,61	0	42,29,87	0	{052}- मशीनरी तथा उपस्कर	45,56,12	0
1,53,02	0	2,81,88	0	5,34	0	{799}- उंचत	1,00,02	0
1,12,65,78	0	1,43,26,11	0	1,23,36,48	0	{800}- अन्य व्यय	1,33,94,54	0
6,75,81,85	0	7,56,88,17	0	7,18,48,34	0	योग लेखा शीर्ष - 2701	7,77,08,63	0
						2702- लघु सिंचाई		
0	0	1,09,09,09	0	99,47,54	0	[80]- सामान्य {800}- अन्य व्यय	1,38,56,10	0
0	0	1,09,09,09	0	99,47,54	0	योग लेखा शीर्ष - 2702	1,38,56,10	0
						2705- कमान क्षेत्र विकास		
30,84	0	1,02,56	0	29,21	0	{201}- तवा आयाकट क्षेत्र विकास	9,09	0
67,36	0	2,18,50	0	65,84	0	{203}- अपर बैन गंगा आयाकट क्षेत्र विकास	12,91	0
6,89	0	50,00	0	14,11	0	{204}- बाण सागर आयाकट क्षेत्र विकास	8,00	0
1,05,99	0	2,26,60	0	1,04,71	0	{205}- ग्वालियर आयाकट क्षेत्र विकास	27,18	0
1,36,01	0	2,16,80	0	1,18,07	0	{207}- बरगी आयाकट क्षेत्र विकास	36,53	0
44	0	45,00	0	0	0	{211}- बरियारपुर कमाण्ड क्षेत्र विकास	0	0
38,48	0	30,00	0	0	0	{213}- पेंच डायवर्सन	0	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
केडवम परियोजना							
49	0	21,00	0	0	0	0	0
						{215}- महुअर मध्यम इरीगेशन केडवम परियोजना	
0	0	24,00	0	0	0	{216}- सगड मध्यम केडवम परियोजना	
0	0	25,00	0	0	0	{218}- सिंहपुर बैराज केडवम परियोजना	
11,50	0	40,00	0	0	0	{219}- महान वृहद केडवम परियोजना	
0	0	35,00	0	0	0	{222}- संजय सागर (बाह्य) केडवम परियोजना	
32	0	60,00	0	0	0	{223}- सिंध फेस	
5,12,54	0	11,52,18	0	5,93,74	0	{800}- अन्य व्यय	10,67,36
9,10,86	0	22,46,64	0	9,25,68	0	योग लेखा शीर्ष - 2705	11,61,07
8,86,21,20	0	11,48,38,37	0	10,57,85,96	0	योगएक - राजस्व अनुभाग	11,81,38,72
दो - पूंजी अनुभाग							
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- मुख्य सिंचाई							
51,07,46	0	40,00,00	0	74,04,77	0	{800}- अन्य व्यय	1,25,00,00
[11]- चंबल परियोजना							
56,96	0	1	0	3,09,95	0	{800}- अन्य व्यय	1,50,00
[12]- बाण सागर परियोजना यूनिट एक बांध							
23,02,84	0	9,17,97	0	8,44,07	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	0
38,29,98	0	15,71,20	0	17,80,51	0	{800}- अन्य व्यय	8
[13]- बाण सागर परियोजना यूनिट दो							
29,57,64	0	25,72,34	0	23,65,06	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	26,04,89
0	0	1,00	0	0	0	{799}- उच्चत	1,00
2,80,23,54	0	2,25,19,50	0	1,51,06,24	0	{800}- अन्य व्यय	86,91,61
[18]- बारना परियोजना							
51,86,11	0	25,00,00	0	26,78,45	0	{800}- अन्य व्यय	16,00,00
[19]- तवा परियोजना							
1,22,95,94	0	50,00,00	0	58,65,95	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00
[20]- अपर बैन गंगा							
4,39,34	0	1	0	3,99,91	0	{800}- अन्य व्यय	2,50,00
[21]- राजघाट परियोजना							
9,34,99	0	10,00,00	0	8,61,83	0	{800}- अन्य व्यय	7,50,00
[22]- बरियापुर							

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
						परियोजना	
4,96,29	0	1,82,27	0	1,67,58	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	0
4,11,61	0	2,01,11	0	3,37,61	0	{800}- अन्य व्यय	1,00
						[23]- उर्मिल परियोजना	
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00
						[24]- बावनथडी परियोजना	
4,29,66	0	1,74,17	0	1,59,19	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	0
6,79,84	0	1,08,33	0	5,82,83	0	{800}- अन्य व्यय	0
						[26]- सिंध परियोजना द्वितीय चरण	
16,63,63	0	17,41,30	0	15,39,27	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	17,03,85
34,26,09	0	39,30,80	0	24,64,71	0	{800}- अन्य व्यय	20,81,67
						[27]- गरोट	
1,92,64,73	0	30,00,00	0	35,17,85	0	{800}- अन्य व्यय	12,00,00
						[31]- रंगवान परियोजना	
0	0	1	0	24,80	0	{800}- अन्य व्यय	1,00
						[35]- रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	
1,98,95	0	25,00,00	0	41,47,90	0	{800}- अन्य व्यय	32,99,92
						[39]- नई गढी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	
18,48,53	0	15,00,00	0	85,99,54	0	{800}- अन्य व्यय	1,25,00,00
						[50]- शामगढ सुबासरा	
1,35,00,00	0	4,90,00,00	0	3,19,24,60	0	{800}- अन्य व्यय	1,75,00,00
						[54]- कोठा बैराज	
0	0	10,00,00	0	67,78,39	0	{800}- अन्य व्यय	75,00,00
						[56]- लोअर ओर	
6,90,73,82	0	5,00,01,00	0	5,84,54,25	0	{800}- अन्य व्यय	1,49,78,00
						[60]- पार्वती रिंसी वृहद परियोजना	
1,18,55,00	0	50,00,00	0	3,20,22,86	0	{800}- अन्य व्यय	2,33,06,00
						[61]- सम्राट अशोक सागर परियोजना	
1,07,86	0	1	0	2,07,30	0	{800}- अन्य व्यय	1,00
						[63]- पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना	
2,04,40,61	0	1,52,41,85	0	1,40,15,98	0	{800}- अन्य व्यय	62,11,91
						[67]- भानपुरा नहर परियोजना	
10,54,95	0	12,00,00	0	4,07,64	0	{800}- अन्य व्यय	1,00,00
						[68]- बीना परियोजना	

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
5,95,95	0	50,00,00	0	7,10,95	0	{800}- अन्य व्यय	1,62,00,00	0
						[69]- पंचमनगर परियोजना		
2,02,44,44	0	2,01,00	0	42,46,64	0	{800}- अन्य व्यय	12,00,00	0
						[70]- बानसुजारा परियोजना		
4,09,95,85	0	80,00,00	0	68,75,54	0	{800}- अन्य व्यय	35,00,00	0
						[71]- गणेशपुरा पिकअप वियर		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[78]- गौण वृहद परियोजना		
45,72	0	25,00,00	0	2,27,48,69	0	{800}- अन्य व्यय	2,35,00,00	0
						[79]- हरसी सुधार सुदृढीकरण		
2,00,00	0	5,00,00	0	5,30,00	0	{800}- अन्य व्यय	2,50,00	0
						[80]- सामान्य		
2,25,59	0	51,75,45	0	2,07,01	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	38,52,20	0
0	0	20,00	0	0	0	{052}- मशीनरी तथा उपस्कर	0	0
59,78	0	1,00,00	0	25,37,64	0	{800}- अन्य व्यय	2,50,00	0
						[81]- उरी बाग परियोजना		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[83]- मोहनपुरा परियोजना		
5,03,04,76	0	5,00,00,00	0	1,23,51,52	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[84]- कुण्डलियां परियोजना		
3,99,49,22	0	6,50,00,00	0	5,88,35,01	0	{800}- अन्य व्यय	6,00,00,00	0
						[85]- पतने परियोजना		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[86]- चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना		
1,34,30,41	0	1,60,01,00	0	1,07,99,16	0	{800}- अन्य व्यय	75,00,00	0
						[87]- बंडा वृहद परियोजना		
2,41,76	0	50,00,00	0	74,99,71	0	{800}- अन्य व्यय	1,25,00,00	0
						[88]- चंबल उद्दहन सिंचाई परियोजना		
1,50,58	0	20,00,00	0	42,12,98	0	{800}- अन्य व्यय	8,00,00	0
						[B3]- भानी वृहद परियोजना		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	50,00,00	0
						[B4]- हनोता वृहद परियोजना		

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	52,00,00	0	11,57,63	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[B5]- मोगराखेड़ा वृहद परियोजना		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	10,00,00	0
						[B6]- रिचोरा सिरोल लघु परियोजना		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[B7]- रिहांड सुक्ष्म परियोजना		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[B8]- सनकोटा वृहद परियोजना		
0	0	1,00	0	99	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[B9]- सीतानगर वृहद परियोजना		
0	0	1,00,00,00	0	62,85,17	0	{800}- अन्य व्यय	75,00,00	0
						[C1]- सुथालिया वृहद परियोजना		
0	0	5,00,00	0	2,64,57,80	0	{800}- अन्य व्यय	1,50,00,00	0
						[C2]- ताप्ती चिल्लुर वृहद परियोजना		
0	0	5,00,00	0	61,20	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[C3]- मों रतनगढ वृहद परियोजना		
0	0	1,00,00,00	0	4,13,34,32	0	{800}- अन्य व्यय	2,00,00,00	0
						[C4]- छिन्दवाड़ा सिंचाई कोम्प्लेक्स		
0	0	1	0	5,03,96,81	0	{800}- अन्य व्यय	1,50,00,00	0
						[C5]- राजघाट जल आवर्धन योजना		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
37,20,30,43	0	36,05,65,38	0	46,02,17,81	0	योग लेखा शीर्ष - 4700	32,59,89,16	0
						4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
						[10]- आसन बैराज परियोजना		
36,09,00	0	35,00,00	0	8,54,04	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
						[25]- माही		
66,95,39	0	22,65,51	0	11,67,85	0	{800}- अन्य व्यय	6,45,96	0
						[36]- तवा परियोजना		
55,61	0	1	0	1,15,29	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[40]- कुशलपुरा तालाब योजना		
3,49,49	0	1	0	3,95,65	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[43]- संजय सागर (वाह तालाब)		

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
9,48,57	0	8,00,00	0	1,72,28	0	{800}- अन्य व्यय	1,00,00	0
						[44]- महुअर		
4,30,17	0	1	0	9,65	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[48]- बरखेडा मध्यम परियोजना		
6,55,28	0	50,00,00	0	34,96,64	0	{800}- अन्य व्यय	50,00,00	0
						[54]- बिलगांव परियोजना		
9,80,50	0	1	0	13,39,97	0	{800}- अन्य व्यय	1,00,00	0
						[56]- कछाल मध्यम परियोजना		
85,64	0	1	0	45,00	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[57]- पवई मध्यम परियोजना		
64,80,60	0	70,01,00	0	33,15,65	0	{800}- अन्य व्यय	39,00,00	0
						[60]- मझगावां मध्यम परियोजना		
41,68,31	0	90,00,00	0	78,01,84	0	{800}- अन्य व्यय	65,00,00	0
						[61]- सोनपुर मध्यम परियोजना		
8,60,15	0	31,00,00	0	5,83,94	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
						[62]- कीटखेडी मध्यम परियोजना		
3,03,12	0	1	0	44,22	0	{800}- अन्य व्यय	50,00	0
						[66]- मध्यम परियोजनाओं का सुधार एवं सुदृढीकरण		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	2,50,00	0
						[68]- सूरजपुरा मध्यम परियोजना		
6,03,11	0	12,00,00	0	1,30,31	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
						[69]- तडपेड मध्यम परियोजना		
7,54,86	0	1	0	1,95,47	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[76]- छीता खुदरी मध्यम परियोजना		
3,99,81	0	30,00,00	0	26,65,94	0	{800}- अन्य व्यय	60,00,00	0
						[78]- अपर तिलवारा मध्यम परियोजना		
7,48,86	0	6,00,00	0	6,87,20	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
						[80]- सामान्य		
0	0	70,29,00	0	0	0	{001}- निदेशन तथा प्रशासन	20,00,00	0
1,04,05	0	1,00,00	0	65,43	0	{005}- सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	1,00,00	0
3,80,91,78	88,40	6,79,93,22	1,00,00	4,13,20,31	71.63	{800}- अन्य व्यय	4,59,88,16	1,00,00

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
						[81]- धोलावढ मध्यम परियोजना		
35,79	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[82]- देजल देवडा मध्यम परियोजना		
5,30,73	0	8,00,01	0	2,89,96	0	{800}- अन्य व्यय	1,54,00	0
						[83]- श्यामरी मध्यम परियोजना		
9,62	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[89]- दीवानगंज नहर निर्माण परियोजना		
11,98,59	0	1	0	2,99,43	0	{800}- अन्य व्यय	1,10,00	0
						[91]- गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण		
35,38,57	0	20,00,00	0	6,68,28	0	{800}- अन्य व्यय	10,00,00	0
						[92]- गोपालपुरा मध्यम परियोजना		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	92	0
						[93]- चोरल मध्यम परियोजना		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[94]- मकरोदा रामपुर मध्यम परियोजना		
10,30,45	0	3,00,00	0	4,48,42	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[95]- मुरकी मध्यम परियोजना		
17,91,74	0	25,00,00	0	8,81,77	0	{800}- अन्य व्यय	15,00,00	0
						[96]- परकुल मध्यम परियोजना		
15,24,90	0	30,00,00	0	11,37,84	0	{800}- अन्य व्यय	10,00,00	0
						[97]- खरमेर परियोजना		
39,42	0	25,00,00	0	5,00	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[98]- कारम मध्यम सिंचाई परियोजना		
4,65,61	0	55,00,00	0	21,55,99	0	{800}- अन्य व्यय	50,00,00	0
						[99]- पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना		
1,11,80,28	0	1,30,00,00	0	88,05,46	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[A4]- आपचंद मध्यम परियोजना		
0	0	1,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	23,90,32	0
						[A5]- घोघरी मध्यम परियोजना		
0	0	30,00,00	0	68,69,98	0	{800}- अन्य व्यय	60,00,00	0
						[A6]- कोपरा मध्यम परियोजना		

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	10,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00	0
						[A7]- मेघा मध्यम परियोजना		
0	0	10,00,00	0	1,99	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[A8]- निरगुण मध्यम परियोजना		
0	0	25,00,00	0	11,72,07	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[A9]- सरकुला मध्यम परियोजना		
0	0	10,00,00	0	82,53	0	{800}- अन्य व्यय	40,00,00	0
						[B1]- सतलदेही मध्यम परियोजना		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[B2]- वर्धा मध्यम परियोजना		
0	0	25,00,00	0	49,33,50	0	{800}- अन्य व्यय	29,99,00	0
						[B3]- सीप		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[B4]- जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[B5]- बनी (हरबाखेडी) मध्यम सिंचाई परियोजना		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[B6]- मुरकी पाइप नहर सिंचाई परियोजना		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
						[C6]- कबुलपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
8,76,70,00	88,40	15,11,91,86	1,00,00	9,21,58,90	71,63	योग लेखा शीर्ष - 4701	10,87,97,44	1,00,00
						4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
0	0	2,22,42,48	0	1,92,69,23	0	{101}- सतही जल	2,47,89,68	0
0	0	60	0	7,50	0	{102}- भू जल	5,00	0
3,08,68,96	0	1,91,80,00	16,00	2,03,44,93	5,32	{800}- अन्य व्यय	2,61,55,00	0
3,08,68,96	0	4,14,23,08	16,00	3,96,21,66	5,32	योग लेखा शीर्ष - 4702	5,09,49,68	0
						4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय		
27,67,26	0	8,00,00	0	17,00,00	0	{204}- बाण सागर आयाकट क्षेत्र विकास	40,00	0
1,50,00	0	50,00	0	4,00,00	0	{211}- बरियारपुर कमाण्ड क्षेत्र विकास	16,00	0
8,00,00	0	50,00	0	11,50,00	0	{213}- पेंच डायवर्सन	16,00	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
केडवम परियोजना								
0	0	5,00	0	0	0	{215}- महुअर मध्यम इरीगेशन केडवम परियोजना	0	0
11,46,34	0	1,00,00	0	1,00,00	0	{216}- सगड मध्यम केडवम परियोजना	0	0
0	0	50,00	0	0	0	{218}- सिंहपुर बैराज केडवम परियोजना	0	0
0	0	1,00,00	0	3,40,00	0	{219}- महान वृहद केडवम परियोजना	0	0
12,19,58	0	1,00,00	0	1,00,00	0	{222}- संजय सागर (बाह्य) केडवम परियोजना	0	0
23,00,00	0	7,00,00	0	7,09,75	0	{223}- सिंध फेस	0	0
16,40,51	0	5,90,00	0	10,97,27	0	{800}- अन्य व्यय	22,60,00	0
1,00,23,69	0	25,45,00	0	55,97,02	0	योग लेखा शीर्ष - 4705	23,32,00	0
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- बाढ़ नियंत्रण								
2,14,02	0	5,50,01	0	49,63	0	{103}- सिविल निर्माण कार्य	30,00	0
1,25	0	2,51,00	0	4,49,79	0	{800}- अन्य व्यय	42,00	0
2,15,27	0	8,01,01	0	4,99,42	0	योग लेखा शीर्ष - 4711	72,00	0
50,08,08,35	88,40	55,65,26,33	1,16,00	59,80,94,81	76,95	योग दो - पूंजी अनुभाग	48,81,40,28	1,00,00
58,94,29,55	88,40	67,13,64,70	1,16,00	70,38,80,77	76,95	योग मांग संख्या - 023	60,62,79,00	1,00,00

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग								
2701- मध्यम सिंचाई								
[80]- सामान्य								
0	0	-1,54,76,00	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	-60,00,00	0
[80]- सामान्य								
-10,31	0	-3,10,00	0	0	0	{799}- उर्चत	-2,81,88	0
-10,31	0	-2,20,67,88	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2701	0	0
-10,31	0	-2,20,67,88	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग								
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय								
[12]- बाण सागर परियोजना यूनिट एक बांध								
-18,69	0	-29,48,00	0	0	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	-29,48,00	0
[13]- बाण सागर								

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	0	0	0	0	परियोजना यूनिट दो {001}- निर्देशन तथा प्रशासन	-1,00	0
-18,69	0	-58,97,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4700	0	0
-18,69	0	-58,97,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
-29,00	0	-2,79,64,88	0	0	0	योग मांग संख्या - 023	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

58,94,00,55	88,40	64,33,99,82	1,16,00	70,38,80,77	76,95	योग मांग संख्या - 023	60,62,79,00	1,00,00
-------------	-------	-------------	---------	-------------	-------	-----------------------	-------------	---------

मांग संख्या - 024

लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल

I. लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	11,58,13,89	50,09,52,06	61,67,65,95
भारित	0	2,55,00,00	2,55,00,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
3053- नागर विमानन							
[60]- अन्य वैमानिक सेवाएं							
0	0	27,28	0	6,11	0	30,00	0
0	0	27,28	0	6,11	0	30,00	0
3054- सडक तथा सेतु							
[01]- राष्ट्रीय राजमार्ग							
3,95,51	0	17,12,04	0	16,77,72	0	14,47,59	0
[03]- राजकीय राजमार्ग							
24,62,30	0	68,19,83	0	59,16,00	0	35,00,00	0
[04]- जिला तथा अन्य सडके							
6,23,88,15	0	7,51,43,90	0	6,91,23,19	0	8,01,23,30	0
2,12,33,39	0	2,29,14,64	0	2,21,35,62	0	1,50,00,00	0
[80]- सामान्य							
1,33,30,41	0	1,56,21,46	0	1,31,98,46	0	1,57,13,00	0
3,50	0	0	0	0	0	0	0
9,98,13,26	0	12,22,11,87	0	11,20,50,99	0	11,57,83,89	0
9,98,13,26	0	12,22,39,15	0	11,20,57,10	0	11,58,13,89	0
दो - पूंजी अनुभाग							
5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय							
[02]- विमान पत्तन							
3,28,35	0	10,00,00	20,00,00	5,26,01	0	6,00,00	5,00,00
3,28,35	0	10,00,00	20,00,00	5,26,01	0	6,00,00	5,00,00
5054- सडकों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय							
[03]- राज्य राजमार्ग							
4,00,11,55	0	6,15,01,00	0	4,93,31,03	0	3,10,00,01	0
37,79,97,51	0	31,67,00,03	0	26,33,04,50	0	23,32,52,03	0
[04]- जिला तथा अन्य							

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
17,29,88,12	0	19,06,68,00	0	17,55,83,99	0	10,26,99,99	0
सडकें							
[800]- अन्य व्यय							
[05]- सडके							
1,70,55,19	0	4,00,00,00	0	4,82,33,21	0	5,10,00,00	0
[337]- सडक निर्माण कार्य							
[80]- सामान्य							
8,08,00,00	3,35	8,31,00,02	3,00,00,00	8,16,45,00	0	8,24,00,03	2,50,00,00
[800]- अन्य व्यय							
68,88,52,37	3,35	69,19,69,05	3,00,00,00	61,80,97,73	0	50,03,52,06	2,50,00,00
योग लेखा शीर्ष - 5054							
68,91,80,72	3,35	69,29,69,05	3,20,00,00	61,86,23,74	0	50,09,52,06	2,55,00,00
योग दो - पूंजी अनुभाग							
78,89,93,98	3,35	81,52,08,20	3,20,00,00	73,06,80,84	0	61,67,65,95	2,55,00,00
योग मांग संख्या - 024							

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग							
5054- सडकों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय							
[04]- जिला तथा अन्य सडकें							
0	0	-1,10,00,00	0	0	0	-1,25,00,00	0
[800]- अन्य व्यय							
0	0	-2,35,00,00	0	0	0	0	0
योग लेखा शीर्ष - 5054							
0	0	-2,35,00,00	0	0	0	0	0
योग दो - पूंजी अनुभाग							
0	0	-2,35,00,00	0	0	0	0	0
योग मांग संख्या - 024							

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

78,89,93,98	3,35	79,17,08,20	3,20,00,00	73,06,80,84	0	61,67,65,95	2,55,00,00
योग मांग संख्या - 024							

मांग संख्या - 025

खनिज साधन

I. खनिज साधन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	47,76,12	9,00,01	56,76,13
भारित	7,50,05,00	0	7,50,05,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग							
[02]- खानों का विनियमन तथा विकास							
26,94,40	0	30,65,39	5,00	27,36,45	10	{001}- निदेशन और प्रशासन	31,94,00 5,00
78,30	0	1,04,90	0	87,50	0	{004}- अनुसंधान तथा विकास	1,00,04 0
11,96,90	0	16,00,22	0	10,25,70	0	{102}- खनिज खोज (समन्वेषण)	14,82,08 0
0	6,43,71,85	0	7,02,00,00	0	7,01,15,00	{797}- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण	0 7,50,00,00
39,69,60	6,43,71,85	47,70,51	7,02,05,00	38,49,65	7,01,15,10	योग लेखा शीर्ष - 2853	47,76,12 7,50,05,00
39,69,60	6,43,71,85	47,70,51	7,02,05,00	38,49,65	7,01,15,10	योग एक - राजस्व अनुभाग	47,76,12 7,50,05,00
दो - पूंजी अनुभाग							
4853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- खनिज अन्वेषण तथा विकास							
50,77	0	1,00,00	0	2,29	0	{004}- अनुसंधान तथा विकास	99,94 0
9,24	0	3,07,50,00	0	1,03,73	0	{800}- अन्य व्यय	8,00,07 0
60,01	0	3,08,50,00	0	1,06,02	0	योग लेखा शीर्ष - 4853	9,00,01 0
60,01	0	3,08,50,00	0	1,06,02	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	9,00,01 0
40,29,61	6,43,71,85	3,56,20,51	7,02,05,00	39,55,67	7,01,15,10	योग मांग संख्या - 025	56,76,13 7,50,05,00

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्ति या सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग

2853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

[02]- खानों का विनियमन तथा विकास

0	0	-1,04,90	0	-87,50	0	{004}- अनुसंधान तथा विकास	-1,00,04 0
---	---	----------	---	--------	---	---------------------------	------------

[02]- खानों का विनियमन तथा विकास

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	-16,00,22	0	-10,25,70	0	{102}- खनिज खोज (समन्वेषण)	-14,82,08	0
0	0	-32,87,24	0	-11,13,20	0	योग लेखा शीर्ष - 2853	0	0
0	0	-32,87,24	0	-11,13,20	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

4853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

						[01]- खनिज अन्वेषण तथा विकास		
0	0	-1,00,00	0	-2,29	0	{004}- अनुसंधान तथा विकास	-99,94	0
						[01]- खनिज अन्वेषण तथा विकास		
0	0	-7,50,00	0	-1,03,73	0	{800}- अन्य व्यय	-8,00,01	0
0	0	-17,49,95	0	-1,06,02	0	योग लेखा शीर्ष - 4853	0	0
0	0	-17,49,95	0	-1,06,02	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
0	0	-50,37,19	0	-12,19,22	0	योग मांग संख्या - 025	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तिओं को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

40,29,61	6,43,71,85	3,05,83,32	7,02,05,00	27,36,45	7,01,15,10	योग मांग संख्या - 025	56,76,13	7,50,05,00
----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------------------	----------	------------

मांग संख्या - 026

संस्कृति

I. संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,31,58,29	21,95,04	1,53,53,33
भारित	2,00	0	2,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2202- सामान्य शिक्षा								
[03]- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा								
10,10,45	0	13,35,30	0	10,73,23	0	{103}- राजकीय कालेज और संस्थान	12,79,00	0
10,10,45	0	13,35,30	0	10,73,23	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	12,79,00	0
2205- कला एवं संस्कृति								
1,03,69,35	0	1,08,82,86	0	77,97,37	0	{102}- कला एवं संस्कृति का संवर्धन	70,97,73	1,00
19,49,05	0	34,38,57	1,00	24,39,98	0	{103}- पुरातत्व विज्ञान	24,16,29	1,00
1,90,40	0	3,73,46	0	2,01,33	0	{104}- अभिलेखागार	2,82,24	0
37,20	0	40,29	0	14,04	0	{105}- सार्वजनिक पुस्तकालय	25,50	0
22,62,93	0	22,20,56	0	17,48,60	0	{107}- संग्रहालय	19,62,56	0
0	0	0	0	2,00,00	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
1,48,08,93	0	1,69,55,74	1,00	1,24,01,32	0	योग लेखा शीर्ष - 2205	1,17,84,32	2,00
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी								
[02]- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी								
38,93	0	92,15	0	52,38	0	{110}- राज्य विवरणीका तथा सांख्यिकीय संस्मरण	94,97	0
38,93	0	92,15	0	52,38	0	योग लेखा शीर्ष - 3454	94,97	0
1,58,58,31	0	1,83,83,19	1,00	1,35,26,93	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	1,31,58,29	2,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय								
[04]- कला तथा संस्कृति								
71,48,00	0	42,30,03	0	13,00,01	0	{800}- अन्य व्यय	21,95,04	0
71,48,00	0	42,30,03	0	13,00,01	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	21,95,04	0
71,48,00	0	42,30,03	0	13,00,01	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	21,95,04	0
2,30,06,31	0	2,26,13,22	1,00	1,48,26,94	0	योग मांग संख्या - 026	1,53,53,33	2,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 027

स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)

I. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,77,02,97,33	3,90,00,01	1,80,92,97,34
भारित	2,00	0	2,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2202- सामान्य शिक्षा								
[01]- प्रारंभिक शिक्षा								
1,36,04,91	0	1,70,27,57	0	1,52,35,10	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,77,46,07	0
77,03,88,33	0	1,39,55,12,10	0	1,42,94,33,08	0	{101}- राजकीय प्राथमिक विद्यालय	1,71,72,06,44	0
3,88,16,78	0	5,79,36,52	0	5,04,91,39	0	{102}- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	3,01,84,00	0
97,25	0	1,26,20	0	1,01,06	0	{107}- अध्यापक प्रशिक्षण	1,11,17	0
6,60,00	0	9,81,15	0	5,49,44	0	{108}- पाठ्य पुस्तकें	6,29,00	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
[02]- माध्यमिक शिक्षा								
0	0	1	0	0	0	{101}- निरीक्षण	60,00	0
17,15,94	0	25,97,42	0	22,88,19	0	{105}- अध्यापक को प्रशिक्षण	20,13,80	2,00
[03]- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा								
34,14,56	0	37,12,64	0	25,93,79	0	{103}- राजकीय कालेज और संस्थान	23,46,84	0
82,86,97,77	0	1,47,78,93,61	0	1,50,06,92,05	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	1,77,02,97,33	2,00
82,86,97,77	0	1,47,78,93,61	0	1,50,06,92,05	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	1,77,02,97,33	2,00

दो - पूंजी अनुभाग

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]- सामान्य शिक्षा								
1,31,86,19	0	5,42,02,31	0	6,52,76,78	0	{201}- प्रारम्भिक शिक्षा	3,85,00,00	0
1,95,41	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
[02]- तकनीकी शिक्षा								
3,19,50	0	10,65,01	0	7,45,50	0	{105}- इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	1	0
[04]- कला तथा संस्कृति								

मांग संख्या - 027 : स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
2,60,70	0	18,00,03	0	8,11,06	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
1,39,61,80	0	5,70,67,35	0	6,68,33,34	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	3,90,00,01	0
1,39,61,80	0	5,70,67,35	0	6,68,33,34	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	3,90,00,01	0
84,26,59,57	0	1,53,49,60,9 6	0	1,56,75,25,3 9	0	योग मांग संख्या - 027	1,80,92,97,3 4	2,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 028

राज्य विधान मंडल

I. राज्य विधान मंडल के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	97,62,28	0	97,62,28
भारित	65,21	0	65,21

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2011- संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल								
[02]- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल								
42,60,53	48,15	48,73,75	61,84	41,11,80	45,24	{101}- विधान सभा	51,48,92	65,21
40,88,88	0	47,65,54	1	40,06,33	0	{103}- विधानमण्डल सचिवालय	46,13,36	0
83,49,41	48,15	96,39,29	61,85	81,18,13	45,24	योग लेखा शीर्ष - 2011	97,62,28	65,21
83,49,41	48,15	96,39,29	61,85	81,18,13	45,24	योगएक - राजस्व अनुभाग	97,62,28	65,21
83,49,41	48,15	96,39,29	61,85	81,18,13	45,24	योग मांग संख्या - 028	97,62,28	65,21

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 029

विधि और विधायी कार्य

I. विधि और विधायी कार्य के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	16,93,68,04	2,20,00,02	19,13,68,06
भारित	1,70,41,59	0	1,70,41,59

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2014- न्याय प्रशासन							
11,89,57	1,33,29,99	18,83,44	1,82,86,84	14,78,21	1,38,42,46	{102}- उच्च न्यायालय	16,41,72 1,70,24,59
0	0	0	0	0	0	{103}- विशेष न्यायालय	32,77,07 0
7,30,11,45	0	10,39,07,86	0	8,37,40,67	0	{105}- सिविल और सेशन्स न्यायालय	11,25,61,55 0
39,08,01	0	47,81,59	0	39,05,37	0	{114}- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (कांउसिल)	48,49,54 0
52,32,98	0	76,54,23	0	57,39,71	0	{800}- अन्य व्यय	83,71,65 0
8,33,42,01	1,33,29,99	11,82,27,12	1,82,86,84	9,48,63,96	1,38,42,46	योग लेखा शीर्ष - 2014	13,07,01,53 1,70,24,59
2015- निर्वाचन							
48,26,34	0	51,83,28	0	36,16,52	0	{102}- निर्वाचन अधिकारी	50,61,88 0
71,33,17	0	81,11,03	0	43,46,82	0	{103}- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	80,45,00 0
5,41,92	0	2,34,30,22	0	1,67,61,49	0	{105}- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	47,80,14 0
1,64,79,61	56,38	58,30,24	30,00	25,96,10	1	{106}- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	80,15,12 17,00
6,53,54	0	15,05,90	0	6,81,08	0	{108}- मतदातों को फोटो पहचान पत्र जारी करना	5,00,05 0
2,96,34,58	56,38	4,40,60,67	30,00	2,80,02,01	1	योग लेखा शीर्ष - 2015	2,64,02,19 17,00
2052- सचिवालय							
19,61,56	0	26,96,87	0	19,91,52	0	{090}- सचिवालय	23,77,77 0
3,82,05	0	5,35,59	0	4,39,38	0	{091}- संलग्न कार्यालय	5,79,66 0
58,15	0	2,83,85	0	52,70	0	{800}- अन्य व्यय	2,74,94 0
24,01,76	0	35,16,31	0	24,83,60	0	योग लेखा शीर्ष - 2052	32,32,37 0
2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण							
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण							

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
26,90,12	0	36,82,37	0	28,93,25	0	{800}- अन्य व्यय	36,64,27	0
26,90,12	0	36,82,37	0	28,93,25	0	योग लेखा शीर्ष - 2225	36,64,27	0
						2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
						[60]- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
44,06,44	0	65,34,62	0	43,37,49	0	{200}- अन्य कार्यक्रम	53,67,68	0
44,06,44	0	65,34,62	0	43,37,49	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	53,67,68	0
12,24,74,91	1,33,86,37	17,60,21,09	1,83,16,84	13,25,80,31	1,38,42,47	योग एक - राजस्व अनुभाग	16,93,68,04	1,70,41,59
						दो - पूंजी अनुभाग		
						4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
						[01]- कार्यालय भवन		
0	0	1,34,00,00	0	1,19,68,18	0	{051}- निर्माण	1,50,00,01	0
0	0	1,34,00,00	0	1,19,68,18	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	1,50,00,01	0
						4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
						[01]- सरकारी रिहायशी भवन		
0	0	53,00,00	0	43,87,07	0	{106}- साधारण पूल आवास	70,00,00	0
0	0	53,00,00	0	43,87,07	0	योग लेखा शीर्ष - 4216	70,00,00	0
						7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
0	0	4,00	0	0	0	{202}- मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम	1	0
0	0	4,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 7610	1	0
0	0	1,87,04,00	0	1,63,55,25	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	2,20,00,02	0
12,24,74,91	1,33,86,37	19,47,25,09	1,83,16,84	14,89,35,56	1,38,42,47	योग मांग संख्या - 029	19,13,68,06	1,70,41,59

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग

2015- निर्वाचन

0	0	-25,91,65	0	-18,08,32	0	{102}- निर्वाचन अधिकारी	-25,30,94	0
0	0	-40,55,52	0	-21,73,41	0	{103}- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	-40,22,50	0
0	0	-2,34,30,22	0	-1,67,61,49	0	{105}- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	-47,80,14	0
0	0	-7,52,95	0	-3,40,54	0	{108}- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	-2,50,00	0
0	0	-4,24,13,92	0	-2,10,83,76	0	योग लेखा शीर्ष - 2015	0	0
0	0	-4,24,13,92	0	-2,10,83,76	0	योग एक - राजस्व	0	0

मांग संख्या - 029 : विधि और विधायी कार्य						(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	-4,24,13,92	0	-2,10,83,76	0	0	0
अनुभाग							
योग मांग संख्या - 029							

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

12,24,74,91	1,33,86,37	15,23,11,17	1,83,16,84	12,78,51,80	1,38,42,47	योग मांग संख्या - 029	19,13,68,06	1,70,41,59
-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------------------	-------------	------------

मांग संख्या - 030

ग्रामीण विकास

I. ग्रामीण विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	9,30,80,51	28,67,96,04	37,98,76,55
भारित	6,81	0	6,81

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2215- जल पूर्ति तथा सफाई							
[02]- मल							
1,98,00	0	2,00,05	0	1,60,04	0	1,60,00	0
[800]- अन्य व्यय							
1,98,00	0	2,00,05	0	1,60,04	0	1,60,00	0
योग लेखा शीर्ष - 2215							
2216- आवास							
[03]- ग्रामीण आवास							
1,50,00,00	0	3,06,35,00	0	3,01,72,00	0	3,06,35,00	0
[198]- ग्राम पंचायतों को सहायता							
1,50,00,00	0	3,06,35,00	0	3,01,72,00	0	3,06,35,00	0
योग लेखा शीर्ष - 2216							
2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम							
[02]- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम							
9,35,00	0	10,63,89	0	8,51,11	0	8,51,00	0
[800]- अन्य व्यय							
5,12,34	0	2,56,37	0	1,86,00	0	0	0
[101]- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना							
12,18	0	16,40	0	12,84	0	0	0
[800]- अन्य व्यय							
14,59,52	0	13,36,66	0	10,49,95	0	8,51,00	0
योग लेखा शीर्ष - 2501							
2505- ग्रामीण रोजगार							
[01]- राष्ट्रीय कार्यक्रम							
0	0	4,54,66	0	3,05,53	0	1,81,87	0
[198]- ग्राम पंचायतों को सहायता							
4,70,70	0	4,75,57	0	3,80,46	0	1,98,14	0
[702]- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना							
4,70,70	0	9,30,23	0	6,85,99	0	3,80,01	0
योग लेखा शीर्ष - 2505							
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम							
1,44,92,90	0	1,76,42,20	1,81	1,49,65,01	0	1,61,04,39	1,81
[001]- निदेशन और प्रशासन							
7,92,00	0	7,64,36	0	6,20,69	0	4,20,60	0
[003]- प्रशिक्षण							
1,59,20	0	2,98,26	0	1,01,04	0	2,00,00	0
[102]- सामुदायिक विकास							
6,30,70,09	0	5,47,48,77	3,00	4,43,83,90	0	4,43,29,50	5,00
[800]- अन्य व्यय							

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
7,85,14,19	0	7,34,53,59	4,81	6,00,70,64	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	6,10,54,49	6,81
						3054- सड़क तथा सेतु		
						[80]- सामान्य		
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 3054	1	0
9,56,42,41	0	10,65,55,54	4,81	9,21,38,62	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	9,30,80,51	6,81
						दो - पूंजी अनुभाग		
						4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		
19,37,14,66	0	29,87,50,04	0	29,38,46,73	0	{800}- अन्य व्यय	28,67,96,04	0
19,37,14,66	0	29,87,50,04	0	29,38,46,73	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	28,67,96,04	0
19,37,14,66	0	29,87,50,04	0	29,38,46,73	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	28,67,96,04	0
28,93,57,07	0	40,53,05,58	4,81	38,59,85,35	0	योग मांग संख्या - 030	37,98,76,55	6,81
टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है								
						दो - पूंजी अनुभाग		
						4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		
-1,44,42,77	0	-1,27,50,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	-82,96,00	0
-1,44,42,77	0	-2,10,46,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	0	0
-1,44,42,77	0	-2,10,46,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
-1,44,42,77	0	-2,10,46,00	0	0	0	योग मांग संख्या - 030	0	0
टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।								
27,49,14,30	0	38,42,59,58	4,81	38,59,85,35	0	योग मांग संख्या - 030	37,98,76,55	6,81

मांग संख्या - 031

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

I. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	99,08,45	0	99,08,45
भारित	1,00	0	1,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
3451- सचिवालय								
4,03,56	0	19,05,65	0	5,23,24	0	{101}- योजना आयोग/योजना बोर्ड	16,74,32	0
4,03,56	0	19,05,65	0	5,23,24	0	योग लेखा शीर्ष - 3451	16,74,32	0
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी								
[01]- जनगणना								
77,96	0	1,34,34	0	43,93	0	{101}- जनगणना आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण	42,29	0
[02]- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी								
48,03,84	0	58,01,53	60	53,05,93	1	{001}- निदेशन और प्रशासन	66,27,18	1,00
1,32,37	0	28,65	0	9,14	0	{201}- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	64,65	0
34,27,00	0	9,09,32	0	4,99,00	0	{800}- अन्य व्यय	15,00,01	0
84,41,17	0	68,73,84	60	58,58,00	1	योग लेखा शीर्ष - 3454	82,34,13	1,00
88,44,73	0	87,79,49	60	63,81,24	1	योग एक - राजस्व अनुभाग	99,08,45	1,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय								
1,40,49,93	0	1,70,94,00	0	1,50,04,15	0	{103}- ग्रामीण विकास	0	0
1,40,49,93	0	1,70,94,00	0	1,50,04,15	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	0	0
1,40,49,93	0	1,70,94,00	0	1,50,04,15	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
2,28,94,66	0	2,58,73,49	60	2,13,85,39	1	योग मांग संख्या - 031	99,08,45	1,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 032

जनसंपर्क

I. जनसंपर्क के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	3,45,36,94	5,00,00	3,50,36,94
भारित	10	0	10

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2013- मंत्रिपरिषद								
0	0	3,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	2,64	0
0	0	3,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2013	2,64	0
2015- निर्वाचन								
2,00,00	0	1,81,86	0	1,45,49	0	{800}- अन्य व्यय	1,37,24	0
2,00,00	0	1,81,86	0	1,45,49	0	योग लेखा शीर्ष - 2015	1,37,24	0
2029- भू राजस्व								
2,00,00	0	1,81,86	0	1,01,64	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,37,24	0
2,00,00	0	1,81,86	0	1,01,64	0	योग लेखा शीर्ष - 2029	1,37,24	0
2039- राज्य उत्पाद शुल्क								
1,39,34	0	2,50,06	0	1,69,59	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,88,67	0
1,39,34	0	2,50,06	0	1,69,59	0	योग लेखा शीर्ष - 2039	1,88,67	0
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर								
45,05	0	90,93	0	36,91	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	68,62	0
45,05	0	90,93	0	36,91	0	योग लेखा शीर्ष - 2040	68,62	0
2041- वाहन कर								
0	0	45,47	0	18,84	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	34,31	0
0	0	45,47	0	18,84	0	योग लेखा शीर्ष - 2041	34,31	0
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं								
0	0	6,00	0	0	0	{103}- अल्प बचतों की अभिवृद्धि	4,52	0
0	0	6,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2047	4,52	0
2051- लोक सेवा आयोग								
49,18	0	54,56	0	25,66	0	{102}- राज्य लोक सेवा आयोग	41,17	0
49,18	0	54,56	0	25,66	0	योग लेखा शीर्ष - 2051	41,17	0
2052- सचिवालय								
17,32	0	34,55	0	1,30	0	{090}- सचिवालय	26,07	0
17,32	0	34,55	0	1,30	0	योग लेखा शीर्ष - 2052	26,07	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
2053- जिला प्रशासन								
50,00	0	45,47	0	36,35	0	{800}- अन्य व्यय	34,31	0
50,00	0	45,47	0	36,35	0	योग लेखा शीर्ष - 2053	34,31	0
2054- खजाना और लेखा प्रशासन								
5,84	0	27,28	0	4,04	0	{800}- अन्य व्यय	20,58	0
5,84	0	27,28	0	4,04	0	योग लेखा शीर्ष - 2054	20,58	0
2055- पुलिस								
1,74,30	0	1,90,96	0	1,06,85	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,44,11	0
1,74,30	0	1,90,96	0	1,06,85	0	योग लेखा शीर्ष - 2055	1,44,11	0
2056- जेल								
0	0	36,37	0	23,89	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	27,44	0
0	0	36,37	0	23,89	0	योग लेखा शीर्ष - 2056	27,44	0
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण								
11,17	0	13,64	0	1,10	0	{800}- अन्य व्यय	10,29	0
11,17	0	13,64	0	1,10	0	योग लेखा शीर्ष - 2058	10,29	0
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं								
25,38	0	45,47	0	11,07	0	{800}- अन्य व्यय	34,31	0
25,38	0	45,47	0	11,07	0	योग लेखा शीर्ष - 2070	34,31	0
2075- विविध सामान्य सेवाएं								
79,17	0	72,74	0	30,44	0	{102}- विभाजन पूर्व अदायगियां	54,89	0
79,17	0	72,74	0	30,44	0	योग लेखा शीर्ष - 2075	54,89	0
2202- सामान्य शिक्षा								
[80]- सामान्य								
1,00,00	0	90,93	0	71,94	0	{800}- अन्य व्यय	68,62	0
1,00,00	0	90,93	0	71,94	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	68,62	0
2203- तकनीकी शिक्षा								
1,09,65	0	1,00,02	0	55,33	0	{800}- अन्य व्यय	75,48	0
1,09,65	0	1,00,02	0	55,33	0	योग लेखा शीर्ष - 2203	75,48	0
2205- कला एवं संस्कृति								
2,40,00	0	2,18,23	0	1,62,94	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,64,69	0
2,40,00	0	2,18,23	0	1,62,94	0	योग लेखा शीर्ष - 2205	1,64,69	0
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य								
[80]- सामान्य								
2,20,00	0	2,00,05	0	1,60,03	0	{800}- अन्य व्यय	1,50,97	0
2,20,00	0	2,00,05	0	1,60,03	0	योग लेखा शीर्ष - 2210	1,50,97	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
						2215-	जल पूर्ति तथा सफाई
						[01]-	जल पूर्ति
2,40,00	0	2,18,23	0	1,74,54	0	{800}-	अन्य व्यय
2,40,00	0	2,18,23	0	1,74,54	0		योग लेखा शीर्ष - 2215
						2217-	शहरी विकास
						[80]-	सामान्य
36,10	0	34,55	0	19,34	0	{800}-	अन्य व्यय
36,10	0	34,55	0	19,34	0		योग लेखा शीर्ष - 2217
						2220-	सूचना तथा प्रचार
						[01]-	फिल्म
2,85,14,82	0	2,73,17,38	0	2,14,89,94	0	{001}-	निर्देशन और प्रशासन
5,48,31	0	8,41,06	0	5,71,41	0	{105}-	फिल्मों का निर्माण
1,61,17	0	4,79,64	0	0	0	[60]-	अन्य
90,02,28	0	1,17,44,05	10	81,04,89	0	{101}-	विज्ञापन और द्रश्य प्रचार
1,82,43	0	6,22,73	0	4,70,00	0	{106}-	क्षेत्र प्रचार
3,84,09,01	0	4,10,04,86	10	3,06,36,24	0	{110}-	प्रकाशन
							योग लेखा शीर्ष - 2220
						2225-	अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
						[02]-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
80,15	0	81,84	0	64,13	0	{800}-	अन्य व्यय
80,15	0	81,84	0	64,13	0		योग लेखा शीर्ष - 2225
						2230-	श्रम तथा रोजगार
						[01]-	श्रम
6,00	0	5,46	0	3,06	0	{001}-	निर्देशन तथा प्रशासन
6,00	0	5,46	0	3,06	0		योग लेखा शीर्ष - 2230
						2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
						[02]-	समाज कल्याण
50,00	0	45,47	0	19,97	0	{001}-	निर्देशन और प्रशासन
50,00	0	45,47	0	19,97	0		योग लेखा शीर्ष - 2235
						2251-	सचिवालय
0	0	1,36	0	0	0	{090}-	सचिवालय
0	0	1,36	0	0	0		योग लेखा शीर्ष - 2251
						2401-	फसल कृषि कर्म

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
12,84	0	31,83	0	6,34	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	24,02	0
12,84	0	31,83	0	6,34	0	योग लेखा शीर्ष - 2401	24,02	0
2403- पशु पालन								
10,08	0	14,55	0	8,13	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	10,98	0
10,08	0	14,55	0	8,13	0	योग लेखा शीर्ष - 2403	10,98	0
2405- मछली उद्योग								
3,48	0	5,46	0	64	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	4,12	0
3,48	0	5,46	0	64	0	योग लेखा शीर्ष - 2405	4,12	0
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन								
[01]- वानिकी								
1,46,51	0	1,81,86	0	1,45,48	0	{800}- अन्य व्यय	1,37,24	0
1,46,51	0	1,81,86	0	1,45,48	0	योग लेखा शीर्ष - 2406	1,37,24	0
2425- सहकारिता								
17,15	0	15,91	0	12,72	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	12,00	0
17,15	0	15,91	0	12,72	0	योग लेखा शीर्ष - 2425	12,00	0
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम								
56,72	0	1,27,30	0	63,28	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	96,07	0
56,72	0	1,27,30	0	63,28	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	96,07	0
2701- मध्यम सिंचाई								
[80]- सामान्य								
3,89,82	0	4,54,66	0	2,71,92	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	3,43,13	0
3,89,82	0	4,54,66	0	2,71,92	0	योग लेखा शीर्ष - 2701	3,43,13	0
2702- लघु सिंचाई								
[80]- सामान्य								
0	0	8,18	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	6,03	0
0	0	8,18	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2702	6,03	0
2810- अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत								
[60]- अन्य								
5,56	0	9,09	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	6,03	0
5,56	0	9,09	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2810	6,03	0
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग								
1,94	0	5,91	0	34	0	{800}- अन्य व्यय	3,77	0
1,94	0	5,91	0	34	0	योग लेखा शीर्ष - 2851	3,77	0
2852- उद्योग								

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
19,96	0	17,64	0	11,25	0	13,31	0
19,96	0	17,64	0	11,25	0	13,31	0
6,60,00	0	6,00,15	0	4,80,11	0	4,52,93	0
6,60,00	0	6,00,15	0	4,80,11	0	4,52,93	0
0	0	91	0	0	0	68	0
0	0	91	0	0	0	68	0
3,50	0	3,18	0	2,54	0	2,61	0
3,50	0	3,18	0	2,54	0	2,61	0
4,18,15,22	0	4,47,57,85	10	3,30,83,44	0	3,45,36,94	10
66,72	0	2,50,00	0	0	0	5,00,00	0
66,72	0	2,50,00	0	0	0	5,00,00	0
66,72	0	2,50,00	0	0	0	5,00,00	0
4,18,81,94	0	4,50,07,85	10	3,30,83,44	0	3,50,36,94	10

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 033

आदिमजाति कल्याण

I. आदिमजाति कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	78,62,99,09	10,98,78,50	89,61,77,59
भारित	5,00	0	5,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2202- सामान्य शिक्षा								
[01]- प्रारंभिक शिक्षा								
12,51,66,89	0	30,92,97,63	0	40,04,55,45	0	{101}- राजकीय प्राथमिक विद्यालय	52,17,80,21	0
4,25,37,14	0	8,28,37,13	0	6,86,33,02	0	{109}- राजकीय माध्यमिक विद्यालय	8,19,68,52	0
16,77,04,03	0	39,21,34,76	0	46,90,88,47	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	60,37,48,73	0
2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण								
2,30,09	0	2,81,12	0	2,19,78	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	3,31,89	0
1,09,09,74	1,24	1,32,83,74	5,50	1,32,27,97	2,11	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,37,65,75	5,00
2,60,01,37	0	2,30,80,01	0	2,58,53,77	0	{102}- आर्थिक विकास	2,37,31,02	0
1,35,00	0	1,50,00	0	1,50,00	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	0	0
7,24,62,74	0	14,44,25,22	0	12,69,48,82	0	{277}- शिक्षा	12,11,53,07	0
1,11,21,21	0	2,23,72,83	0	1,11,72,79	0	{800}- अन्य व्यय	2,06,44,21	0
12,08,60,15	1,24	20,35,92,92	5,50	17,75,73,13	2,11	योग लेखा शीर्ष - 2225	17,96,25,94	5,00
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम								
6,89,07	0	7,52,98	0	6,16,73	0	{101}- पंचायती राज	6,68,85	0
20,02,19	0	21,33,41	0	20,62,71	0	{102}- सामुदायिक विकास	22,55,57	0
26,91,26	0	28,86,39	0	26,79,44	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	29,24,42	0
29,12,55,44	1,24	59,86,14,07	5,50	64,93,41,04	2,11	योग एक - राजस्व अनुभाग	78,62,99,09	5,00

दो - पूंजी अनुभाग

4202- शिक्षा, खेलकूद,

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- सामान्य शिक्षा								
53,36,74	0	30,40,00	0	27,03,44	0	{202}- माध्यमिक शिक्षा	30,00,00	0
53,36,74	0	30,40,00	0	27,03,44	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	30,00,00	0
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय								
[02]- अनुसूचित जन जातियों का कल्याण								
1,45,93,24	0	5,78,00,00	0	2,95,95,71	0	{102}- आर्थिक विकास	50,00,00	0
0	0	0	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1	0
4,75,57,66	0	4,81,80,01	0	3,82,34,40	0	{277}- शिक्षा	5,77,60,02	0
3,16,27,87	0	4,15,89,95	0	2,47,56,88	0	{800}- अन्य व्यय	4,41,18,47	0
9,37,78,77	0	14,75,69,96	0	9,25,86,99	0	योग लेखा शीर्ष - 4225	10,68,78,50	0
9,91,15,51	0	15,06,09,96	0	9,52,90,43	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	10,98,78,50	0
39,03,70,95	1,24	74,92,24,03	5,50	74,46,31,47	2,11	योग मांग संख्या - 033	89,61,77,59	5,00

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय								
[02]- अनुसूचित जन जातियों का कल्याण								
-4,11,73,74	0	-1,50,00,00	0	0	0	{277}- शिक्षा	-1	0
-4,11,73,74	0	-1,50,00,01	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4225	0	0
-4,11,73,74	0	-1,50,00,01	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
-4,11,73,74	0	-1,50,00,01	0	0	0	योग मांग संख्या - 033	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

34,91,97,21	1,24	73,42,24,02	5,50	74,46,31,47	2,11	योग मांग संख्या - 033	89,61,77,59	5,00
--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------	-------------

मांग संख्या - 034

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

I. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	7,37,28,80	0	7,37,28,80
भारित	1,20	0	1,20

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण							
[02]- समाज कल्याण							
42,25,31	0	68,92,93	1,80	42,18,34	0	47,48,31	1,20
{001}- निदेशन और प्रशासन							
63,43,18	0	84,01,17	0	74,45,18	0	82,84,86	0
{101}- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण							
26,15	0	31,39	0	28,16	0	1,82,54	0
{104}- वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण							
10,29	0	0	0	0	0	0	0
{106}- सुधारक सेवाएं							
11,08,00	0	14,02,49	0	11,62,49	0	12,76,96	0
{200}- अन्य कार्यक्रम							
1,81,40,91	0	2,97,87,09	0	2,39,83,08	0	1,91,73,55	0
{800}- अन्य व्यय							
[60]- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम							
87,56	0	1,04,57	0	45,99	0	1,04,57	0
{101}- निर्धन परिवारों के लिये वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना							
32,84,95	0	52,80,21	0	37,16,88	0	52,80,21	0
{102}- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन							
39,84,53	0	78,75,95	0	78,75,95	0	78,75,95	0
{191}- नगर निगमों को सहायता							
55,24,30	0	1,19,25,01	0	1,19,25,01	0	1,21,83,14	0
{192}- नगर पालिकाओं को सहायता							
73,05,80	0	1,44,63,14	0	1,44,63,14	0	1,44,63,14	0
{193}- नगर पंचायतों को सहायता							
68,94	0	1,55,56	0	72,86	0	1,55,57	0
{800}- अन्य व्यय							
5,01,09,92	0	8,63,19,51	1,80	7,49,37,08	0	7,37,28,80	1,20
योग लेखा शीर्ष - 2235							
5,01,09,92	0	8,63,19,51	1,80	7,49,37,08	0	7,37,28,80	1,20
योग एक - राजस्व अनुभाग							
5,01,09,92	0	8,63,19,51	1,80	7,49,37,08	0	7,37,28,80	1,20
योग मांग संख्या - 034							

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 035

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

I. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	3,96,24,70	2,90,50,03	6,86,74,73
भारित	2	0	2

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग								
16,81,60	26,74	16,76,10	1	16,10,93	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	18,17,82	1
0	0	1	0	0	0	{101}- औद्योगिक क्षेत्र	1,00,00	0
76,00	0	1,00,05	0	6,21	0	{102}- लघु उद्योग	25,04	0
19,29,65	0	20,00,49	0	7,25,96	0	{108}- बिजली करघा उद्योग	8,00,21	0
59,12,10	0	68,51,56	0	60,64,55	0	{200}- अन्य ग्रामोद्योग	66,73,43	1
6,16,52,35	0	6,77,15,12	0	4,79,16,20	0	{800}- अन्य व्यय	3,02,08,20	0
7,12,51,70	26,74	7,83,43,33	1	5,63,23,85	0	योग लेखा शीर्ष - 2851	3,96,24,70	2
7,12,51,70	26,74	7,83,43,33	1	5,63,23,85	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	3,96,24,70	2
दो - पूंजी अनुभाग								
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय								
67,97,22	0	3,03,50,01	0	29,02,98	0	{101}- औद्योगिक बस्तियां	2,59,50,01	0
9,86	0	35,00,02	0	1	0	{800}- अन्य व्यय	31,00,02	0
68,07,08	0	3,38,50,03	0	29,02,99	0	योग लेखा शीर्ष - 4851	2,90,50,03	0
68,07,08	0	3,38,50,03	0	29,02,99	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	2,90,50,03	0
7,80,58,78	26,74	11,21,93,36	1	5,92,26,84	0	योग मांग संख्या - 035	6,86,74,73	2

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 036

परिवहन

I. परिवहन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	97,08,85	13,60,00	1,10,68,85
भारित	4,00	0	4,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2041- वाहन कर								
30,30,77	0	33,65,19	0	28,68,67	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	37,70,57	0
25,60,71	0	36,01,86	2,40	28,11,26	1	{101}- संग्रहण प्रभार	38,24,32	4,00
17,20,06	0	22,63,32	0	19,13,51	0	{102}- मोटर वाहनों का निरीक्षण	21,13,96	0
73,11,54	0	92,30,37	2,40	75,93,44	1	योग लेखा शीर्ष - 2041	97,08,85	4,00
73,11,54	0	92,30,37	2,40	75,93,44	1	योग एक - राजस्व अनुभाग	97,08,85	4,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[80]- सामान्य								
9,20,34	0	20,00,01	0	9,47,41	0	{201}- भूमि का अर्जन	13,60,00	0
9,20,34	0	20,00,01	0	9,47,41	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	13,60,00	0
9,20,34	0	20,00,01	0	9,47,41	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	13,60,00	0
82,31,88	0	1,12,30,38	2,40	85,40,85	1	योग मांग संख्या - 036	1,10,68,85	4,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 037

पर्यटन

I. पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	51,20,46	50,34,03	1,01,54,49
भारित	80	0	80

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
3452- पर्यटन								
[01]- पर्यटक अवसंरचना								
11,51,00	0	13,00,03	0	7,88,00	0	{101}- पर्यटक केंद्र	15,50,00	0
54,00,00	0	75,00,00	0	72,50,00	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	17,00,00	0
[80]- सामान्य								
38,07,30	0	35,33,64	1,20	15,57,38	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	18,70,46	80
1,03,58,30	0	1,23,33,67	1,20	95,95,38	0	योग लेखा शीर्ष - 3452	51,20,46	80
1,03,58,30	0	1,23,33,67	1,20	95,95,38	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	51,20,46	80
दो - पूंजी अनुभाग								
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- पर्यटक अवसंरचना								
59,95,01	0	75,00,00	0	53,88,23	0	{101}- पर्यटक केंद्र	36,60,00	0
7,00,00	0	6,00,02	0	2,44,80	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1,92,02	0
[80]- सामान्य								
0	0	13,00,00	0	3,12,00	0	{003}- प्रशिक्षण	11,82,00	0
0	0	12,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
66,95,01	0	1,06,00,02	0	59,45,03	0	योग लेखा शीर्ष - 5452	50,34,03	0
66,95,01	0	1,06,00,02	0	59,45,03	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	50,34,03	0
1,70,53,31	0	2,29,33,69	1,20	1,55,40,41	0	योग मांग संख्या - 037	1,01,54,49	80

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 038

आयुष

I. आयुष के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	4,53,80,24	19,45,01	4,73,25,25
भारित	8,00	0	8,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य								
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
97,04	0	99,18	0	59,10	0	{800}- अन्य व्यय	91,00	0
[02]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
2,98,82,16	0	3,14,78,58	10,00	3,56,81,86	0	{101}- आयुर्वेद	3,01,55,42	8,00
28,27,48	0	36,98,53	0	33,65,33	0	{102}- होम्योपैथी	37,49,09	0
17,65,20	0	23,52,23	0	19,45,19	0	{103}- यूनानी	23,35,92	0
[04]- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं								
3,76,58	0	1,66,32	0	1,38,25	0	{101}- आयुर्वेद	0	0
[05]- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान								
56,94,47	0	65,12,17	0	63,85,62	0	{101}- आयुर्वेद	72,78,92	0
13,39,66	0	15,13,22	0	15,88,18	0	{102}- होमियोपैथी	17,69,89	0
4,19,82,59	0	4,58,20,23	10,00	4,91,63,53	0	योग लेखा शीर्ष - 2210	4,53,80,24	8,00
4,19,82,59	0	4,58,20,23	10,00	4,91,63,53	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	4,53,80,24	8,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[02]- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं								
3,92,26	0	11,82,01	0	9,23,46	0	{101}- स्वास्थ्य उप	11,95,01	0
1,16,07	0	2,28,00	0	2,15,47	0	{110}- अस्पताल तथा औषधालय	0	0
[03]- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान								
2,59,23	0	7,50,00	0	7,44,88	0	{101}- आयुर्वेद	7,50,00	0
[04]- लोक स्वास्थ्य								
1,92,22	0	1,60,00	0	1,60,00	0	{101}- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	0	0
9,59,78	0	23,20,01	0	20,43,81	0	योग लेखा शीर्ष - 4210	19,45,01	0

मांग संख्या - 038 : आयुष

(आंकडे हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
9,59,78	0	23,20,01	0	20,43,81	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	19,45,01	0
4,29,42,37	0	4,81,40,24	10,00	5,12,07,34	0	योग मांग संख्या - 038	4,73,25,25	8,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 039

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

I. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	8,78,53,29	3,87,31	8,82,40,60
भारित	1,10	0	1,10

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2408- खाद्य, भंडारण और भंडागार								
[01]- खाद्य								
57,28,68	25	74,94,70	65	65,17,84	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	74,18,11	50
9,09,00	0	27,27,45	0	24,07,37	0	{101}- प्रापण तथा पूर्ति	16,27,00	0
11,72,06,75	0	13,14,26,43	0	7,76,61,65	0	{102}- खाद्य सहायता	7,03,50,01	0
48,21,26	0	76,28,81	0	58,32,98	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	60,38,00	0
81,20	0	21,23,66	0	14,76,17	0	{800}- अन्य व्यय	1,26,01	0
[02]- भंडारण तथा भंडागार								
1,69,51	0	2,50,00	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,00,00	0
12,89,16,40	25	15,16,51,05	65	9,38,96,01	0	योग लेखा शीर्ष - 2408	8,57,59,13	50
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं								
18,09,92	0	21,94,51	60	19,62,65	0	{106}- भार और माप का विनियमन	20,94,16	60
18,09,92	0	21,94,51	60	19,62,65	0	योग लेखा शीर्ष - 3475	20,94,16	60
13,07,26,32	25	15,38,45,56	1,25	9,58,58,66	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	8,78,53,29	1,10
दो - पूंजी अनुभाग								
4408- खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- खाद्य								
1,84,34	0	1,40,00	0	27,93	0	{800}- अन्य व्यय	1,33,36	0
[02]- भंडारण और भंडागार								
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
1,84,34	0	1,40,01	0	27,93	0	योग लेखा शीर्ष - 4408	1,33,37	0
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,93,90	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 5475	1,93,90	0
						6408- खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज		
						[01]- खाद्य		
41,83	0	60,01	0	7,23	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	60,01	0
						[02]- भंडारण और भंडागार		
0	0	3	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	3	0
41,83	0	60,04	0	7,23	0	योग लेखा शीर्ष - 6408	60,04	0
2,26,17	0	2,00,05	0	35,16	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	3,87,31	0
13,09,52,49	25	15,40,45,61	1,25	9,58,93,82	0	योग मांग संख्या - 039	8,82,40,60	1,10

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 040 : स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

मांग संख्या - 040

स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

I. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	33,75,63,60	3,05,40,62	36,81,04,22
भारित	30,00	0	30,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2202- सामान्य शिक्षा								
[01]- प्रारंभिक शिक्षा								
0	0	2,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	6	0
[02]- माध्यमिक शिक्षा								
2,03,65,24	0	62,97,96	0	30,97,83	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	35,26,53	0
78,99,79	0	74,65,00	0	74,65,00	0	{106}- पाठ्य पुस्तके	30,00	0
21,17,17,93	0	25,85,25,55	0	27,39,79,64	0	{109}- राजकीय माध्यमिक विद्यालय	32,16,90,41	0
[80]- सामान्य								
1,54,64,68	1,58	1,29,80,14	30,00	1,52,81,86	24,00	{001}- निदेशन और प्रशासन	31,71,05	30,00
10,75,04	0	23,21,21	0	14,88,16	0	{107}- छात्रवृत्तियां	21,06,85	0
6,06,34	0	6,97,64	0	4,69,24	0	{800}- अन्य व्यय	3,81,46	0
25,71,29,02	1,58	28,84,87,50	30,00	30,17,81,73	24,00	योग लेखा शीर्ष - 2202	33,09,06,36	30,00
2204- खेल तथा युवा सेवार्ये								
2,13,56	0	3,44,19	0	2,10,36	0	{101}- व्यायाम शिक्षा	2,78,63	0
41,73,81	0	54,20,66	0	45,87,35	0	{102}- विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	50,21,96	0
43,87,37	0	57,64,85	0	47,97,71	0	योग लेखा शीर्ष - 2204	53,00,59	0
2205- कला एवं संस्कृति								
5,15,65	0	5,82,90	0	5,18,36	0	{101}- ललित कला शिक्षा	1,79,09	0
8,51,04	0	13,05,46	0	9,13,22	0	{105}- सार्वजनिक पुस्तकालय	11,77,56	0
13,66,69	0	18,88,36	0	14,31,58	0	योग लेखा शीर्ष - 2205	13,56,65	0
26,28,83,08	1,58	29,61,40,71	30,00	30,80,11,02	24,00	योग एक - राजस्व अनुभाग	33,75,63,60	30,00

दो - पूंजी अनुभाग

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]- सामान्य शिक्षा								
2,15,23,26	0	3,57,11,94	0	2,97,76,20	0	{202}- माध्यमिक शिक्षा	2,84,30,81	0

मांग संख्या - 040 : स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
9,56	0	13,34,00	0	70	0	{800}- अन्य व्यय	22,03	0
						[02]- तकनीकी शिक्षा		
0	0	0	0	0	0	{103}- तकनीकी विद्यालय	20,00,06	0
						[03]- खेलकूद तथा युवा सेवा		
0	0	1,30,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	87,72	0
2,15,32,82	0	3,71,75,94	0	2,97,76,90	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	3,05,40,62	0
2,15,32,82	0	3,71,75,94	0	2,97,76,90	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	3,05,40,62	0
28,44,15,90	1,58	33,33,16,65	30,00	33,77,87,92	24,00	योग मांग संख्या - 040	36,81,04,22	30,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 041

प्रवासी भारतीय

I. प्रवासी भारतीय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	90,93	0	90,93
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2852- उद्योग							
[80]- सामान्य							
0	0	0	0	0	0	90,93	0
0	0	0	0	0	0	90,93	0
0	0	0	0	0	0	90,93	0
0	0	0	0	0	0	90,93	0
योग मांग संख्या - 041						90,93	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 042

भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

I. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,13,04,05	6,89,06	1,19,93,11
भारित	1	0	1

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2202- सामान्य शिक्षा							
[01]- प्रारंभिक शिक्षा							
0	0	3	0	0	0	3	0
{800}- अन्य व्यय							
0	0	3	0	0	0	3	0
योग लेखा शीर्ष - 2202							
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य							
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं							
97,83,00	0	1,08,59,84	0	98,34,69	0	1,07,14,42	0
{001}- निदेशन और प्रशासन							
97,83,00	0	1,08,59,84	0	98,34,69	0	1,07,14,42	0
योग लेखा शीर्ष - 2210							
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण							
[02]- समाज कल्याण							
4,99,96	0	6,78,17	1	4,53,48	0	5,87,69	1
{001}- निदेशन और प्रशासन							
55	0	91	0	72	0	91	0
{800}- अन्य व्यय							
5,00,51	0	6,79,08	1	4,54,20	0	5,88,60	1
योग लेखा शीर्ष - 2235							
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान							
[60]- अन्य							
0	0	4,55	0	2,55	0	1,00	0
{200}- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता							
0	0	4,55	0	2,55	0	1,00	0
योग लेखा शीर्ष - 3425							
1,02,83,51	0	1,15,43,50	1	1,02,91,44	0	1,13,04,05	1
योग एक - राजस्व अनुभाग							
दो - पूंजी अनुभाग							
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं							
0	0	13,78,00	0	29,42	0	6,78,00	0
{110}- अस्पताल तथा औषधालय							
0	0	13,78,00	0	29,42	0	6,78,00	0
योग लेखा शीर्ष - 4210							
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर							

मांग संख्या - 042 : भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(आंकडे हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
						पूँजीगत परिव्यय	
						[01]- पुनर्वास	
0	0	5,21,02	0	3,06,00	0	{201}- अन्य पुनर्वास योजनाएं	11,06 0
0	0	5,21,02	0	3,06,00	0	योग लेखा शीर्ष - 4235	11,06 0
0	0	18,99,02	0	3,35,42	0	योग दो – पूँजी अनुभाग	6,89,06 0
1,02,83,51	0	1,34,42,52	1	1,06,26,86	0	योग मांग संख्या - 042	1,19,93,11 1

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 043

खेल और युवा कल्याण

I. खेल और युवा कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,03,48,17	52,27,32	1,55,75,49
भारित	5,00	0	5,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

								(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान			
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021			
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग									
2204- खेल तथा युवा सेवार्यें									
15,27,64	0	19,11,43	5,00	14,98,40	0	{103}- गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	18,38,21	5,00	
1,07,82,53	0	1,21,83,67	0	84,25,66	0	{800}- अन्य व्यय	85,09,96	0	
1,23,10,17	0	1,40,95,10	5,00	99,24,06	0	योग लेखा शीर्ष - 2204	1,03,48,17	5,00	
1,23,10,17	0	1,40,95,10	5,00	99,24,06	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	1,03,48,17	5,00	
दो - पूंजी अनुभाग									
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय									
[01]- सामान्य शिक्षा									
37,69,01	0	1,37,56	0	83,62	0	{800}- अन्य व्यय	1,37,56	0	
[03]- खेलकूद तथा युवा सेवा									
10,39,93	0	57,89,76	0	39,18,95	0	{800}- अन्य व्यय	50,89,76	0	
48,08,94	0	59,27,32	0	40,02,57	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	52,27,32	0	
48,08,94	0	59,27,32	0	40,02,57	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	52,27,32	0	
1,71,19,11	0	2,00,22,42	5,00	1,39,26,63	0	योग मांग संख्या - 043	1,55,75,49	5,00	

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 044

उच्च शिक्षा

I. उच्च शिक्षा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	24,97,93,37	5,35,84,05	30,33,77,42
भारित	10,00	0	10,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2202- सामान्य शिक्षा								
[03]- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा								
17,00,59	0	22,81,30	10,00	18,12,33	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	20,75,26	10,00
74,08,82	0	70,97,45	0	59,65,60	0	{102}- विश्व विद्यालयों को सहायता	62,19,07	0
11,95,34,27	0	14,22,19,98	0	13,64,42,24	0	{103}- राजकीय कालेज और संस्थान	16,92,47,55	0
3,27,70,01	0	3,72,79,09	0	3,98,06,25	0	{104}- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता	3,54,31,33	0
49,00	0	49,09	0	45,09	0	{106}- पाठ्य पुस्तक विकास	49,09	0
68,92	0	1,12,26	0	8,67	0	{107}- छात्रवृत्तियां	80,04	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	3,51,00,00	0
[05]- भाषा विकास								
13,45,38	0	21,51,61	0	14,71,45	0	{103}- संस्कृत शिक्षा	15,91,03	0
16,28,76,99	0	19,11,90,78	10,00	18,55,51,63	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	24,97,93,37	10,00
16,28,76,99	0	19,11,90,78	10,00	18,55,51,63	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	24,97,93,37	10,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- सामान्य शिक्षा								
2,76,96,72	0	3,73,02,00	0	3,20,11,36	0	{203}- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	4,78,00,03	0
[03]- खेलकूद तथा युवा सेवा								
0	0	0	0	0	0	{102}- खेलकूद स्टेडियम	1	0
2,76,96,72	0	3,73,02,00	0	3,20,11,36	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	4,78,00,04	0
6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज								
[01]- सामान्य शिक्षा								
57,84,00	0	57,84,00	0	46,27,20	0	{203}- विश्वविद्यालय तथा	57,84,01	0

मांग संख्या - 044 : उच्च शिक्षा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
उच्च शिक्षा							
57,84,00	0	57,84,00	0	46,27,20	0	57,84,01	0
3,34,80,72	0	4,30,86,00	0	3,66,38,56	0	5,35,84,05	0
19,63,57,71	0	23,42,76,78	10,00	22,21,90,19	0	30,33,77,42	10,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 045

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

I. लघु सिंचाई निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1	0	1
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2702- लघु सिंचाई							
[80]- सामान्य							
1,62,70,27	0	76,41,30	0	61,70,87	0	{800}- अन्य व्यय	1 0
1,62,70,27	0	76,41,30	0	61,70,87	0	योग लेखा शीर्ष - 2702	1 0
1,62,70,27	0	76,41,30	0	61,70,87	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	1 0
दो - पूंजी अनुभाग							
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय							
6,20,48,78	0	84,70,00	0	82,80,52	0	{101}- सतही जल	0 0
2,89,32	0	1,75,39	0	1,62,77	0	{102}- भू जल	0 0
0	0	0	4,00	0	0	{800}- अन्य व्यय	0 0
6,23,38,10	0	86,45,39	4,00	84,43,29	0	योग लेखा शीर्ष - 4702	0 0
6,23,38,10	0	86,45,39	4,00	84,43,29	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0 0
7,86,08,37	0	1,62,86,69	4,00	1,46,14,16	0	योग मांग संख्या - 045	1 0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 046

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,16,92,88	34,00,02	1,50,92,90
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान							
[60]- अन्य							
14,49,20	0	20,02,81	0	17,91,85	0	12,86,87	0
{200}- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता							
1,58,98,60	0	1,65,69,08	0	53,04,75	0	1,04,06,01	0
{600}- अन्य योजनाएं							
1,73,47,80	0	1,85,71,89	0	70,96,60	0	1,16,92,88	0
योग लेखा शीर्ष - 3425							
1,73,47,80	0	1,85,71,89	0	70,96,60	0	1,16,92,88	0
योग एक - राजस्व अनुभाग							
दो - पूंजी अनुभाग							
5425- अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय							
{600}- अन्य सेवाएं							
0	0	61,00,01	0	0	0	27,00,01	0
{800}- अन्य व्यय							
2,25,00	0	2	0	0	0	7,00,01	0
योग लेखा शीर्ष - 5425							
2,25,00	0	61,00,03	0	0	0	34,00,02	0
योग दो - पूंजी अनुभाग							
2,25,00	0	61,00,03	0	0	0	34,00,02	0
योग मांग संख्या - 046							
1,75,72,80	0	2,46,71,92	0	70,96,60	0	1,50,92,90	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 047

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

I. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	8,86,82,06	3,34,80,41	12,21,62,47
भारित	4,00	0	4,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2203- तकनीकी शिक्षा								
11,89,81	0	13,74,30	0	12,53,91	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	12,66,73	0
2,83,56,15	0	3,07,70,14	0	2,50,31,92	0	{104}- अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थाओं को सहायता	2,70,53,01	0
1,49,33,05	0	2,52,20,33	0	1,61,46,02	0	{105}- बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय	1,85,64,68	0
5,79	0	27,28	0	5,59	0	{106}- पुस्तक संवर्धन	32,73	0
42	0	0	0	0	0	{107}- छात्रवृत्तियां	0	0
41,96,28	0	68,74,93	0	46,53,46	0	{112}- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	43,01,16	0
21,54,23	0	20,45,96	0	6,70,79	0	{800}- अन्य व्यय	3,06,00	0
5,08,35,73	0	6,63,12,94	0	4,77,61,69	0	योग लेखा शीर्ष - 2203	5,15,24,31	0
2230- श्रम तथा रोजगार								
[02]- रोजगार सेवायें								
3,36,94	0	4,15,13	0	3,61,04	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	4,29,13	0
23,00,00	0	24,58,04	0	15,26,15	0	{101}- रोजगार सेवाएं	20,21,46	0
[03]- प्रशिक्षण								
4,77,62	0	17,40,00	0	1,61,97	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	18,79,50	0
3,11,00,45	0	5,26,94,32	6,00	2,73,36,79	0	{003}- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	2,99,34,81	4,00
21,81,41	0	55,78,37	0	12,82,80	0	{101}- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	28,92,85	0
5,37	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
3,64,01,79	0	6,28,85,86	6,00	3,06,68,75	0	योग लेखा शीर्ष - 2230	3,71,57,75	4,00
8,72,37,52	0	12,91,98,80	6,00	7,84,30,44	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	8,86,82,06	4,00

दो - पूंजी अनुभाग

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
87,58,29	0	1,16,94,03	0	51,63,32	0	[02]- तकनीकी शिक्षा	
0	0	11,00,00	0	6,26	0	{104}- बहुशिल्प	98,91,41
						{105}- इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	11,09,00
49,91,41	0	1,75,00,00	0	73,67,61	0	[03]- खेलकूद तथा युवा सेवा	
						{003}- खेलकूद तथा युवा सेवा	1,85,90,00
1,37,49,70	0	3,02,94,03	0	1,25,37,19	0	योग लेखा शीर्ष - 4202	2,95,90,41
						4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
54,47,85	0	71,14,00	0	39,51,99	0	{201}- श्रम	38,90,00
54,47,85	0	71,14,00	0	39,51,99	0	योग लेखा शीर्ष - 4250	38,90,00
1,91,97,55	0	3,74,08,03	0	1,64,89,18	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	3,34,80,41
10,64,35,07	0	16,66,06,83	6,00	9,49,19,62	0	योग मांग संख्या - 047	12,21,62,47
							4,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 048

नर्मदा घाटी विकास

I. नर्मदा घाटी विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	13,29,96	23,98,93,68	24,12,23,64
भारित	0	60,00	60,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2055- पुलिस								
10,14,70	0	11,73,61	0	11,20,27	0	{104}- विशेष पुलिस	12,19,24	0
10,14,70	0	11,73,61	0	11,20,27	0	योग लेखा शीर्ष - 2055	12,19,24	0
2801- बिजली								
[01]- हाइडल उत्पादन								
11,74,00	0	5,91,05	0	69,81	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,10,72	0
11,74,00	0	5,91,05	0	69,81	0	योग लेखा शीर्ष - 2801	1,10,72	0
21,88,70	0	17,64,66	0	11,90,08	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	13,29,96	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय								
[41]- बरगी नहर प्रत्यावर्तन परियोजना								
32,21,99	0	50,82,58	0	34,80,35	0	{001}- निदेशन तथा प्रशासन	38,85,47	0
1,33,45,09	0	69,48,00	0	68,55,38	0	{800}- अन्य व्यय	66,00,00	0
[43]- इन्दिरा सागर परियोजना यूनिट दो								
63,74,33	3,02,00	68,87,41	20,00	64,76,29	16,39	{001}- निदेशन तथा प्रशासन	65,66,91	50,00
1,35,83,46	0	58,00,00	0	48,39,21	0	{800}- अन्य व्यय	57,00,00	0
[45]- औकारेश्वर परियोजना								
88,08,36	0	77,49,06	0	89,68,59	0	{001}- निदेशन तथा प्रशासन	80,02,12	0
25,76,01	0	41,20,00	0	9,31,34	0	{800}- अन्य व्यय	18,00,00	0
[51]- रानी अवंती बाई सागर परियोजना जबलपुर युनिट एक व दो								
66,35,68	0	87,30,07	0	70,84,16	0	{001}- निदेशन तथा प्रशासन	84,28,89	0
33,55,49	0	38,00,00	0	13,33,16	0	{800}- अन्य व्यय	22,30,00	0
[65]- अपर वेदा								

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
1,61,27	0	2,60,57	0	1,27,56	0	परियोजना {001}- निर्देशन तथा प्रशासन	1,31,47	0
5,78,55	0	5,05,00	0	2,14,37	0	{800}- अन्य व्यय	2,47,77	0
						[66]- लोअर गोई परियोजना		
2,97,77	0	3,76,00	0	3,15,73	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	3,54,39	0
37,72,57	0	41,24,00	0	3,70,46	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
						[80]- सामान्य		
2,06,37,86	0	1,07,46,90	0	1,73,25,22	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	75,41,41	0
18,62,43,77	0	23,08,50,00	5,00	23,24,19,16	0	{800}- अन्य व्यय	16,14,62,62	10,00
						[88]- चंबल उद्वहन सिंचाई परियोजना		
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
26,95,92,20	3,02,00	29,59,79,59	25,00	29,07,40,98	16,39	योग लेखा शीर्ष - 4700	21,34,51,06	60,00
						4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
						[11]- मान परियोजना		
3,65,63	0	7,61,30	0	4,46,89	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	4,28,42	0
97,83	0	1,05,00	0	80	0	{800}- अन्य व्यय	1,23,51	0
						[12]- जोबट परियोजना		
5,28,40	0	5,73,18	0	5,16,46	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	5,82,36	0
0	0	5,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
						[45]- हालोन परियोजना		
1,54,03	0	1,87,84	0	1,59,35	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	1,75,78	0
28,41,78	0	38,12,16	0	8,06,62	0	{800}- अन्य व्यय	10,10,00	0
						[46]- अपर नर्मदा परियोजना		
2,07,97	0	2,17,62	0	1,73,71	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	1,99,85	0
0	0	80,00	0	1,35	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
						[80]- सामान्य		
5,33,30	0	76,80	0	1,31,00	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	81,56	0
0	0	79,20	0	31,87	0	{800}- अन्य व्यय	52,00	0
47,28,94	0	58,98,10	0	22,68,05	0	योग लेखा शीर्ष - 4701	31,53,48	0
						4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
						[01]- हाइडल उत्पादन		
27,24	0	23,78	0	29,54	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	33,79	0

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
11,38	0	10,20,46	0	11,11	0	{203}- नर्मदा घाटी में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का दोहन	2,12,61	0
0	0	50,00	0	0	0	{205}- सरदार सरोवर परियोजना	22,00	0
5,57,68	0	15,21,92	0	5,70,65	0	{206}- इन्दिरा सागर परियोजना युनिट एक व तीन	9,53,24	0
1,21,03	0	2,00,00	0	0	0	{235}- पर्यावरण कार्य योजना (डिपोजिट कार्य)	1,00,04	0
1,89,13	0	2,00,00	0	1,79,12	0	{800}- अन्य व्यय	4,40,01	0
0	0	1,00,01	0	85,21	0	[80]- सामान्य		
						{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	1,00,00	0
3,67,54,01	0	2,54,92,35	10,00	2,74,76,61	0	{800}- अन्य व्यय	2,14,27,45	0
3,76,60,47	0	2,86,08,52	10,00	2,83,52,24	0	योग लेखा शीर्ष - 4801	2,32,89,14	0
31,19,81,61	3,02,00	33,04,86,21	35,00	32,13,61,27	16,39	योग दो - पूंजी अनुभाग	23,98,93,68	60,00
31,41,70,31	3,02,00	33,22,50,87	35,00	32,25,51,35	16,39	योग मांग संख्या - 048	24,12,23,64	60,00

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग

2055- पुलिस

0	0	-4,71,31	0	0	0	{104}- विशेष पुलिस	-14,25,83	0
0	0	-18,97,14	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2055	0	0
0	0	-18,97,14	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

0	0	-10,00,00	0	0	0	[80]- सामान्य		
						{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	-1,12,20	0
0	0	-11,12,20	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4700	0	0

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

0	0	0	0	0	0	[01]- हाइडल उत्पादन		
						{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	-2,00,00	0
0	0	-19,21,92	0	0	0	{206}- इन्दिरा सागर परियोजना युनिट एक व तीन	0	0
						[01]- हाइडल उत्पादन		
0	0	-2,00,00	0	0	0	{235}- पर्यावरण कार्य योजना (डिपोजिट कार्य)	-1,00,00	0

मांग संख्या - 048 : नर्मदा घाटी विकास

(आंकडे हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	-2,15,00,00	0	0	0	-1,96,08,98	0
0	0	-4,35,30,90	0	0	0	0	0
0	0	-4,46,43,10	0	0	0	0	0
0	0	-4,65,40,24	0	0	0	0	0

[80]- सामान्य

{800}- अन्य व्यय

योग लेखा शीर्ष - 4801

योग दो - पूंजी अनुभाग

योग मांग संख्या - 048

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

31,41,70,31	3,02,00	28,57,10,63	35,00	32,25,51,35	16,39	योग मांग संख्या - 048	24,12,23,64	60,00
-------------	---------	-------------	-------	-------------	-------	-----------------------	-------------	-------

मांग संख्या - 049

अनुसूचित जाति कल्याण

I. अनुसूचित जाति कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	9,84,08,32	2,63,07,05	12,47,15,37
भारित	10,00	0	10,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2202- सामान्य शिक्षा								
[03]- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा								
10,87,25	0	10,00,25	0	8,00,20	0	{103}- राजकीय कालेज और संस्थान	8,00,25	0
10,87,25	0	10,00,25	0	8,00,20	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	8,00,25	0
2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण								
20,77,75	20	31,33,15	10,00	22,17,17	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	25,02,56	10,00
77,45,00	0	18,75,92	0	11,51,24	0	{102}- आर्थिक विकास	21,97	0
18,90,00	0	21,00,00	0	21,00,00	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	10,00,00	0
4,77,32,98	0	8,42,40,59	0	7,00,72,05	0	{277}- शिक्षा	7,11,27,58	0
1,37,84,38	0	2,48,00,37	0	2,09,14,79	0	{800}- अन्य व्यय	2,09,55,96	0
7,32,30,11	20	11,61,50,03	10,00	9,64,55,25	0	योग लेखा शीर्ष - 2225	9,56,08,07	10,00
2801- बिजली								
[06]- ग्रामीण विद्युतीकरण								
34,43,62	0	50,00,00	0	17,02,47	0	{800}- अन्य व्यय	20,00,00	0
34,43,62	0	50,00,00	0	17,02,47	0	योग लेखा शीर्ष - 2801	20,00,00	0
7,77,60,98	20	12,21,50,28	10,00	9,89,57,92	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	9,84,08,32	10,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण								
0	0	1	0	0	0	{190}- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों	1	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
में निवेश								
93,64,90	0	1,00,00,02	0	17,71,73	0	{277}- शिक्षा	65,00,02	0
1,05,33,51	0	1,28,20,00	0	58,99,49	0	{800}- अन्य व्यय	1,98,07,02	0
1,98,98,41	0	2,28,20,03	0	76,71,22	0	योग लेखा शीर्ष - 4225	2,63,07,05	0
1,98,98,41	0	2,28,20,03	0	76,71,22	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	2,63,07,05	0
9,76,59,39	20	14,49,70,31	10,00	10,66,29,14	0	योग मांग संख्या - 049	12,47,15,37	10,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 050

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

I. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	5,13,40,55	68,00,00	5,81,40,55
भारित	1,00	0	1,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2401- फसल कृषि कर्म								
8,55,01,43	0	13,00,10	0	10,63,21	0	{109}- विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण	11,60,00	0
5,16,61,53	0	9,78,30,52	1,20	6,01,96,86	0	{119}- बागवानी तथा वनस्पति फसलें	5,01,80,55	1,00
13,71,62,96	0	9,91,30,62	1,20	6,12,60,07	0	योग लेखा शीर्ष - 2401	5,13,40,55	1,00
13,71,62,96	0	9,91,30,62	1,20	6,12,60,07	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	5,13,40,55	1,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय								
0	0	1,00,00,00	0	0	0	{119}- बागवानी तथा वनस्पति फसलें	68,00,00	0
0	0	1,00,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4401	68,00,00	0
0	0	1,00,00,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	68,00,00	0
13,71,62,96	0	10,91,30,62	1,20	6,12,60,07	0	योग मांग संख्या - 050	5,81,40,55	1,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 051

अध्यात्म

I. अध्यात्म के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	48,14,41	1	48,14,42
भारित	1,50	0	1,50

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ							
1,89,05,80	0	88,32,88	50	55,27,90	0	{800}- अन्य व्यय	48,14,41 1,50
1,89,05,80	0	88,32,88	50	55,27,90	0	योग लेखा शीर्ष - 2250	48,14,41 1,50
1,89,05,80	0	88,32,88	50	55,27,90	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	48,14,41 1,50
दो - पूंजी अनुभाग							
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
0	0	10,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1 0
0	0	10,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4250	1 0
0	0	10,00,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1 0
1,89,05,80	0	98,32,88	50	55,27,90	0	योग मांग संख्या - 051	48,14,42 1,50

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 052

चिकित्सा शिक्षा

I. चिकित्सा शिक्षा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	12,85,86,76	7,75,00,37	20,60,87,13
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य								
[01]- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
8,22,24,68	0	10,51,94,33	0	9,87,29,11	0	{110}- अस्पताल और औषधालय	10,82,51,95	0
23,74	0	77,29	0	52,16	0	{800}- अन्य व्यय	90,00	0
84,26,35	0	2,46,64,43	0	1,61,58,59	0	{05}- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	2,02,44,81	0
9,06,74,77	0	12,99,36,05	0	11,49,39,86	0	{105}- एलोपैथी	2,02,44,81	0
9,06,74,77	0	12,99,36,05	0	11,49,39,86	0	योग लेखा शीर्ष - 2210	12,85,86,76	0
						योग एक - राजस्व अनुभाग	12,85,86,76	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[03]- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान								
10,42,08,26	0	9,60,40,32	0	8,84,07,94	0	{105}- एलोपैथी	7,54,20,35	0
19,18,94	0	50,00,02	0	16,52,14	0	{800}- अन्य व्यय	20,80,02	0
10,61,27,20	0	10,10,40,34	0	9,00,60,08	0	योग लेखा शीर्ष - 4210	7,75,00,37	0
10,61,27,20	0	10,10,40,34	0	9,00,60,08	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	7,75,00,37	0
19,68,01,97	0	23,09,76,39	0	20,49,99,94	0	योग मांग संख्या - 052	20,60,87,13	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग								
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय								
[03]- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान								
0	0	-1,85,00,00	0	0	0	{105}- एलोपैथी	-30,00,00	0
0	0	-2,15,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4210	0	0
0	0	-2,15,00,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0

मांग संख्या - 052 : चिकित्सा शिक्षा						(आंकडे हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	-2,15,00,00	0	0	0	0	0
योग मांग संख्या - 052						0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

19,68,01,97	0	20,94,76,39	0	20,49,99,94	0	योग मांग संख्या - 052	20,60,87,13	0
-------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------------------	-------------	---

मांग संख्या - 053

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

I. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,57,21,48,34	1,16,04,01	1,58,37,52,35
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2202- सामान्य शिक्षा							
[01]- प्रारंभिक शिक्षा							
13,11,73,26	0	0	0	0	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	0
2,12,08,91	0	0	0	0	0	{197}- जनपद पंचायतों को सहायता	0
2,80,90,20	0	0	0	0	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	0
[02]- माध्यमिक शिक्षा							
88,66,54,09	0	55,74,38,67	0	33,51,10,61	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	14,36,59,00
1,06,71,26,46	0	55,74,38,67	0	33,51,10,61	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	14,36,59,00
2215- जल पूर्ति तथा सफाई							
[02]- मल							
6,82,89,22	0	5,00,00,00	0	3,50,00,01	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	2,50,00,00
6,82,89,22	0	5,00,00,00	0	3,50,00,01	0	योग लेखा शीर्ष - 2215	2,50,00,00
2216- आवास							
[03]- ग्रामीण आवास							
58,01,32,14	0	67,19,65,02	0	50,04,10,95	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	21,19,65,02
58,01,32,14	0	67,19,65,02	0	50,04,10,95	0	योग लेखा शीर्ष - 2216	21,19,65,02
2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण							
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण							
2,51,00,70	0	3,53,08,46	0	3,76,40,93	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	2,57,98,97
[02]- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण							
1,42,78,47	0	0	0	0	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	1
20,17,10	0	0	0	0	0	{197}-	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
30,85,73	0	0	0	0	0	0	0
4,44,82,00	0	3,53,08,46	0	3,76,40,93	0	2,57,98,98	0
1,76,86	0	0	0	0	0	0	0
31,24,77	0	23,98,96	0	21,83,17	0	21,99,17	0
9,57,59,55	0	15,57,20,74	0	15,31,61,46	0	17,20,36,24	0
9,90,61,18	0	15,81,19,70	0	15,53,44,63	0	17,42,35,41	0
16,54,26	0	25,46,01	0	14,66,03	0	4,82,95	0
16,54,26	0	25,46,01	0	14,66,03	0	4,82,95	0
2,73,71	0	1,05,51	0	60,76	0	18,04	0
2,72,98	0	3,10,00	0	2,06,83	0	42,05	0
17,16,02	0	25,10,27	0	16,87,99	0	14,18,00	0
22,62,71	0	29,25,78	0	19,55,58	0	14,78,09	0
2,68,76	0	3,20,74	0	2,36,04	0	2,88,94	0
2,68,76	0	3,20,74	0	2,36,04	0	2,88,94	0
0	0	1	0	0	0	0	0
1,26,00,00	0	1,11,15,02	0	1,11,15,00	0	78,00,00	0
1,30,50,00	0	1,73,85,00	0	1,73,85,00	0	1,22,00,00	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
कार्यक्रम								
3,11,91,80	0	3,12,00,03	0	4,65,52,95	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	4,61,60,01	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,00	0
5,68,41,80	0	5,97,00,06	0	7,50,52,95	0	योग लेखा शीर्ष - 2501	6,66,60,01	0
2505- ग्रामीण रोजगार								
[01]- राष्ट्रीय कार्यक्रम								
20,35,18,88	0	25,00,00,00	0	16,43,14,24	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	25,00,00,00	0
20,35,18,88	0	25,00,00,00	0	16,43,14,24	0	योग लेखा शीर्ष - 2505	25,00,00,00	0
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम								
1	0	0	0	0	0	{102}- सामुदायिक विकास	0	0
9,97	0	20,02	0	3,27	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	1,83	0
0	0	6,38	0	0	0	{197}- जनपद पंचायतों को सहायता	6,38	0
36,72,59,78	0	59,31,35,51	0	49,50,47,96	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	52,43,72,37	0
65,98,75	0	78,00,01	0	52,06,66	0	{800}- अन्य व्यय	53,00,01	0
37,38,68,51	0	60,09,61,92	0	50,02,57,89	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	52,96,80,59	0
2702- लघु सिंचाई								
[02]- भू								
8,52,69	0	7,67,76	0	3,81,89	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	3,82,00	0
8,52,69	0	7,67,76	0	3,81,89	0	योग लेखा शीर्ष - 2702	3,82,00	0
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग								
7,18,67	0	9,93,87	0	7,41,30	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	9,84,79	0
17,11	0	1	0	0	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	0	0
7,35,78	0	9,93,88	0	7,41,30	0	योग लेखा शीर्ष - 2851	9,84,79	0
2853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग								
[02]- खानों का विनियमन तथा विकास								
2,22,13,23	0	7,30,05,18	0	5,67,16,05	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	5,97,38,14	0
2,22,13,23	0	7,30,05,18	0	5,67,16,05	0	योग लेखा शीर्ष - 2853	5,97,38,14	0
3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन								
1,19,01,74	0	1,44,81,74	0	1,11,34,47	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	47,00,74	0

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
2,63,16,94	0	4,59,35,44	0	3,04,86,65	0	{197}- जनपद पंचायतों को सहायता	1,40,79,36	0
13,83,81,46	0	16,93,95,99	0	5,67,62,56	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	6,30,14,32	0
0	0	1	0	0	0	{200}- अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन	0	0
17,66,00,14	0	22,98,13,18	0	9,83,83,68	0	योग लेखा शीर्ष - 3604	8,17,94,42	0
2,69,79,07,7 6	0	2,69,38,66,3 6	0	1,96,30,12,7 8	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	1,57,21,48,3 4	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय								
[60]- अन्य शहरी विकास योजनाएं								
0	0	3,30,00	0	4,47	0	{800}- सिंहस्थ	2,00,00	0
0	0	3,30,00	0	4,47	0	योग लेखा शीर्ष - 4217	2,00,00	0
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय								
61,67,95	0	61,00,01	0	0	0	{198}- ग्राम पंचायतों को सहायता	61,00,01	0
10,57,36	0	72,50,00	0	50,03,42	0	{800}- अन्य व्यय	53,04,00	0
72,25,31	0	1,33,50,01	0	50,03,42	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	1,14,04,01	0
72,25,31	0	1,36,80,01	0	50,07,89	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1,16,04,01	0
2,70,51,33,0 7	0	2,70,75,46,3 7	0	1,96,80,20,6 7	0	योग मांग संख्या - 053	1,58,37,52,3 5	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

-15,49,15	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
-15,49,15	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	0	0
-15,49,15	0	0	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

दो - पूंजी अनुभाग

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

0	0	-30,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	-31,28,00	0
0	0	-61,28,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	0	0
0	0	-61,28,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
-15,49,15	0	-61,28,00	0	0	0	योग मांग संख्या - 053	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

मांग संख्या - 053 : त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2,70,35,83,9 2	0	2,70,14,18,3 7	0	1,96,80,20,6 7	0	योग मांग संख्या - 053 1,58,37,52,3 5	0

मांग संख्या - 054

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

I. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,64,14,21	0	1,64,14,21
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा								
[01]- फसल कृषि कार्य								
1,87,77,98	0	1,60,92,16	0	1,51,36,94	0	{120}- अन्य संस्थाओं को सहायता	1,64,14,21	0
1,87,77,98	0	1,60,92,16	0	1,51,36,94	0	योग लेखा शीर्ष - 2415	1,64,14,21	0
1,87,77,98	0	1,60,92,16	0	1,51,36,94	0	योगएक - राजस्व अनुभाग	1,64,14,21	0
1,87,77,98	0	1,60,92,16	0	1,51,36,94	0	योग मांग संख्या - 054	1,64,14,21	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 055

महिला एवं बाल विकास

I. महिला एवं बाल विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	49,91,42,89	93,76,06	50,85,18,95
भारित	2,15	0	2,15

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2059- लोक निर्माण कार्य							
[01]- कार्यालय भवन							
1,08,03	0	4,09,19	0	73,32	0	{053}- रखरखाव तथा मरम्मत	1,70
1,08,03	0	4,09,19	0	73,32	0	योग लेखा शीर्ष - 2059	1,70
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य							
[80]- सामान्य							
20,02,69	0	3	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0
20,02,69	0	3	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2210	0
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण							
[02]- समाज कल्याण							
1,15,03,48	0	1,43,38,63	15,00	1,23,68,01	2,70	{001}- निदेशन और प्रशासन	1,31,38,11
17,31,73,02	0	22,21,15,54	0	20,74,24,58	0	{102}- बाल कल्याण	22,04,12,36
9,63,61,92	0	12,12,66,38	0	9,04,50,86	0	{103}- महिला कल्याण	11,59,49,73
45,00	0	50,00	0	37,43	0	{107}- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	50,00
13,13	0	90,93	0	17,23	0	{800}- अन्य व्यय	90,93
28,10,96,55	0	35,78,61,48	15,00	31,02,98,11	2,70	योग लेखा शीर्ष - 2235	34,96,41,13
2236- पोषाहार							
[02]- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण							
13,62,27,06	0	15,79,32,87	0	14,85,98,39	0	{101}- विशेष पोषण कार्यक्रम	14,95,00,06
13,62,27,06	0	15,79,32,87	0	14,85,98,39	0	योग लेखा शीर्ष - 2236	14,95,00,06
41,94,34,33	0	51,62,03,57	15,00	45,89,69,82	2,70	योग एक - राजस्व अनुभाग	49,91,42,89
दो - पूंजी अनुभाग							
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय							
[02]- समाज कल्याण							
28,62,43	0	1,24,52,03	0	68,35,00	0	{102}- बाल कल्याण	88,76,05
0	0	2	0	0	0	{103}- महिला कल्याण	0

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	6,00,03	0	3,00,00	0	{800}- अन्य व्यय	5,00,01	0
28,62,43	0	1,30,52,08	0	71,35,00	0	योग लेखा शीर्ष - 4235	93,76,06	0
28,62,43	0	1,30,52,08	0	71,35,00	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	93,76,06	0
42,22,96,76	0	52,92,55,65	15,00	46,61,04,82	2,70	योग मांग संख्या - 055	50,85,18,95	2,15

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

एक - राजस्व अनुभाग		2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		[02]- समाज कल्याण		[103]- महिला कल्याण		
0	0	0	0	0	0	{103}- महिला कल्याण	-1,08,62,42	0
0	0	-1,08,62,42	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	0	0
0	0	-1,08,62,42	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0
0	0	-1,08,62,42	0	0	0	योग मांग संख्या - 055	0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तिओं को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

42,22,96,76	0	51,83,93,23	15,00	46,61,04,82	2,70	योग मांग संख्या - 055	50,85,18,95	2,15
--------------------	----------	--------------------	--------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------	-------------

मांग संख्या - 056

कुटीर एवं ग्रामोद्योग

I. कुटीर एवं ग्रामोद्योग के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	1,08,34,55	1,37,08	1,09,71,63
भारित	1,00	0	1,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग								
51,14,96	0	30,59,39	60	25,85,76	0	{103}- हाथकरघा उद्योग	21,68,34	1,00
15,30,48	0	27,45,25	0	21,96,29	0	{104}- हस्तशिल्प उद्योग	15,78,48	0
61,07,19	0	34,80,00	0	29,99,00	0	{105}- खादी ग्रामोद्योग	20,03,87	0
6,62,63	0	3,24,68	0	2,48,75	0	{106}- माटीकला उद्योग	1,29,98	0
56,96,54	0	71,97,85	0	41,01,94	0	{107}- रेशम उद्योग	49,53,88	0
1,91,11,80	0	1,68,07,17	60	1,21,31,74	0	योग लेखा शीर्ष - 2851	1,08,34,55	1,00
1,91,11,80	0	1,68,07,17	60	1,21,31,74	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	1,08,34,55	1,00
दो - पूंजी अनुभाग								
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय								
72,09	0	2,01,60	0	46,99	0	{107}- रेशम उत्पादन उद्योग	1,37,08	0
72,09	0	2,01,60	0	46,99	0	योग लेखा शीर्ष - 4851	1,37,08	0
72,09	0	2,01,60	0	46,99	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1,37,08	0
1,91,83,89	0	1,70,08,77	60	1,21,78,73	0	योग मांग संख्या - 056	1,09,71,63	1,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 057

पर्यावरण

I. पर्यावरण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	21,00,02	27,20	21,27,22
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2215- जल पूर्ति तथा सफाई								
[02]- मल								
0	0	0	0	0	0	{106}- वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण	6,30,01	0
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,35,00	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2215	7,65,01	0
2217- शहरी विकास								
[05]- अन्य शहरी विकास योजनाएं								
0	0	0	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	1	0
0	0	0	0	0	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	13,35,00	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2217	13,35,01	0
0	0	0	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	21,00,02	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- राज्य की राजधानी का विकास								
0	0	0	0	0	0	{051}- निर्माण	27,20	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4217	27,20	0
0	0	0	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	27,20	0
0	0	0	0	0	0	योग मांग संख्या - 057	21,27,22	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 058

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

I. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	49,62,18,30	1,00,01	49,63,18,31
भारित	10	0	10

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत								
[01]- सूखा								
8,73,62,86	0	4,92,84,66	0	81,32,53	0	{101}- आनुग्रहिक राहत	3,07,75,04	0
19,93,43	0	20,00,24	0	4,75,13	0	{102}- पीने के पानी की पूर्ति	22,00,00	0
0	0	1	0	0	0	{103}- विशेष पोषण	0	0
[02]- बाढ़, चक्रवात आदि								
2,64,75,25	0	1,49,85,45	0	24,14,49,42	0	{101}- आनुग्रहिक राहत	5,20,09,77	0
0	0	9,55	0	0	0	{122}- खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	10,98	0
0	0	8,59	0	0	0	{193}- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर	9,88	0
[05]- अपदा राहत निधि								
10,16,00,00	0	10,66,00,01	0	0	0	{101}- आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण	24,27,00,01	0
0	0	9,55	0	0	0	{101}- भूकम्प	10,98	0
1,76,35	0	2,28,51	0	1,64,78	0	{80}- सामान्य	4,87,44,83	10
2,25,87	0	5,12,66	0	93,99,94	0	{102}- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	5,22,89	0
0	0	3,41,32,02	0	0	0	{103}- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य को सहायता	2	0
2,71,65,82	0	3,05,27,02	0	3,07,87,67	0	{800}- अन्य व्यय	11,92,33,90	0
24,49,99,58	0	23,82,98,27	0	29,04,09,47	0	योग लेखा शीर्ष - 2245	49,62,18,30	10
24,49,99,58	0	23,82,98,27	0	29,04,09,47	0	योगएक - राजस्व अनुभाग	49,62,18,30	10

दो - पूंजी अनुभाग

4250- अन्य समाज

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
						सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
4,08,37	0	80,00	0	77,66	0	{101}- प्राकृतिक आपदायें	1 0
4,08,37	0	80,00	0	77,66	0	योग लेखा शीर्ष - 4250	1 0
						6245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज	
						[01]- सूखा	
0	0	1,00,00	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1,00,00 0
0	0	1,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 6245	1,00,00 0
4,08,37	0	1,80,00	0	77,66	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	1,00,01 0
24,54,07,95	0	23,84,78,27	0	29,04,87,13	0	योग मांग संख्या - 058	49,63,18,31 10

टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है

						एक - राजस्व अनुभाग	
						2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	
						[05]- अपदा राहत निधि	
0	0	-10,66,00,00	0	0	0	{101}- आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण	-24,27,00,00 0
						[05]- अपदा राहत निधि	
-10,16,00,00	0	0	0	0	0	{901}- घटाइयें	0 0
						[80]- सामान्य	
0	0	0	0	0	0	{103}- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य को सहायता	-1 0
-10,16,00,00	0	-34,93,00,01	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2245	0 0
-10,16,00,00	0	-34,93,00,01	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0 0
-10,16,00,00	0	-34,93,00,01	0	0	0	योग मांग संख्या - 058	0 0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तिओं को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

14,38,07,95	0	-11,08,21,74	0	29,04,87,13	0	योग मांग संख्या - 058	49,63,18,31 10
--------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	----------	------------------------------	-----------------------

मांग संख्या - 059 : ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या - 059

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

I. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	0	11,31,28,00	11,31,28,00
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
दो - पूंजी अनुभाग							
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय							
8,00,00,00	0	14,00,00,00	0	11,25,33,60	0	{800}- अन्य व्यय	11,31,28,00
8,00,00,00	0	14,00,00,00	0	11,25,33,60	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	11,31,28,00
8,00,00,00	0	14,00,00,00	0	11,25,33,60	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	11,31,28,00
8,00,00,00	0	14,00,00,00	0	11,25,33,60	0	योग मांग संख्या - 059	11,31,28,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 060

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

I. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	44,65,00	5,43,74,96	5,88,39,96
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम								
43,81,05	0	44,65,00	0	41,63,88	0	{800}- अन्य व्यय	44,65,00	0
43,81,05	0	44,65,00	0	41,63,88	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	44,65,00	0
43,81,05	0	44,65,00	0	41,63,88	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	44,65,00	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय								
2,52,25,32	0	2,56,41,00	0	2,24,17,13	0	{101}- पंचायती राज	0	0
1,46,26,81	0	23,60,75	0	19,97,49	0	{103}- ग्रामीण विकास	5,40,35,00	0
14,49,81	0	7,56,58	0	4,72,55	0	{800}- अन्य व्यय	3,39,90	0
4,13,01,94	0	2,87,58,33	0	2,48,87,17	0	योग लेखा शीर्ष - 4515	5,43,74,90	0
4853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय								
[01]- खनिज अन्वेषण तथा विकास								
0	0	0	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	6	0
0	0	0	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4853	6	0
4,13,01,94	0	2,87,58,33	0	2,48,87,17	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	5,43,74,96	0
4,56,82,99	0	3,32,23,33	0	2,90,51,05	0	योग मांग संख्या - 060	5,88,39,96	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 061

बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय

I. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	8	8	16
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2401- फसल कृषि कर्म							
0	0	2	0	0	0	{102}- खाद्यान्न फसलें	2 0
0	0	2	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2401	2 0
2403- पशु पालन							
1,85,14	0	2,73,00	0	1,70,68	0	{800}- अन्य व्यय	0 0
1,85,14	0	2,73,00	0	1,70,68	0	योग लेखा शीर्ष - 2403	0 0
2405- मछली उद्योग							
0	0	4	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	4 0
0	0	4	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2405	4 0
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम							
0	0	1	0	0	0	{102}- सामुदायिक विकास	1 0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	1 0
2700- मुख्य सिंचाई							
0	0	1	0	0	0	[80]- सामान्य	
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1 0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2700	1 0
1,85,14	0	2,73,08	0	1,70,68	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	8 0
दो - पूंजी अनुभाग							
4215- जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय							
29,99,99	0	1	0	0	0	[01]- जल पूर्ति	
29,99,99	0	1	0	0	0	{102}- ग्रामीण जल पूर्ति	0 0
29,99,99	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4215	0 0
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय							
0	0	7	0	0	0	{102}- खाद्यान्न फसल	7 0
0	0	7	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4401	7 0
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय							
						[01]- वानिकी	

मांग संख्या - 061 : बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय

(आंकडे हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	1	0	0	0	{070}- संचार तथा भवन	0	0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4406	0	0
						4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
						[80]- सामान्य		
0	0	1	0	0	0	{001}- निर्देशन तथा प्रशासन	1	0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4700	1	0
29,99,99	0	10	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	8	0
31,85,13	0	2,73,18	0	1,70,68	0	योग मांग संख्या - 061	16	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 062

पंचायत

I. पंचायत के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	2,00,27,01	0	2,00,27,01
भारित	50	0	50

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम							
1,71,60,33	0	2,11,40,77	72	1,83,39,36	0	{101}- पंचायती राज	2,00,27,01 50
1,71,60,33	0	2,11,40,77	72	1,83,39,36	0	योग लेखा शीर्ष - 2515	2,00,27,01 50
1,71,60,33	0	2,11,40,77	72	1,83,39,36	0	योगएक - राजस्व अनुभाग	2,00,27,01 50
1,71,60,33	0	2,11,40,77	72	1,83,39,36	0	योग मांग संख्या - 062	2,00,27,01 50

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 063

अल्प संख्यक कल्याण

I. अल्प संख्यक कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	17,41,56	6,00,00	23,41,56
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
[03]- पिछड़े वर्गों का कल्याण								
16,21,14	0	27,23,68	0	15,56,13	0	{800}- अन्य व्यय	17,41,56	0
16,21,14	0	27,23,68	0	15,56,13	0	योग लेखा शीर्ष - 2225	17,41,56	0
16,21,14	0	27,23,68	0	15,56,13	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	17,41,56	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय								
[03]- पिछड़े वर्गों का कल्याण								
23,31	0	6,00,00	0	2,00,00	0	{800}- अन्य व्यय	6,00,00	0
23,31	0	6,00,00	0	2,00,00	0	योग लेखा शीर्ष - 4225	6,00,00	0
23,31	0	6,00,00	0	2,00,00	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	6,00,00	0
16,44,45	0	33,23,68	0	17,56,13	0	योग मांग संख्या - 063	23,41,56	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 064

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

I. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	70,80,87,76	59,00,00	71,39,87,76
भारित	7,20,00,00	0	7,20,00,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2202- सामान्य शिक्षा							
[01]- प्रारंभिक शिक्षा							
2,13,18,98	0	0	0	0	0	{192}- नगर पालिकाओं को सहायता	0
1,27,52,01	0	0	0	0	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	0
[02]- माध्यमिक शिक्षा							
1,35,45,66	0	1,46,39,67	0	89,73,11	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	22,62,00
4,76,16,65	0	1,46,39,67	0	89,73,11	0	योग लेखा शीर्ष - 2202	22,62,00
2215- जल पूर्ति तथा सफाई							
[01]- जल पूर्ति							
0	95	0	17,00	0	11,59	{001}- निदेशन और प्रशासन	0
1,64,15,05	0	1,86,91,30	0	1,60,93,57	0	{101}- शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम	1,77,52,53
29,70,00	0	20,00,00	0	19,64,72	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	17,00,00
2,88,90	0	2,00,00	0	1,96,00	0	{192}- नगर पालिकाओं को सहायता	2,31,12
59,40	0	40,00	0	40,00	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	1,00,00
1,97,33,35	95	2,09,31,30	17,00	1,82,94,29	11,59	योग लेखा शीर्ष - 2215	1,97,83,65
2217- शहरी विकास							
[05]- अन्य शहरी विकास योजनाएं							
5,06,40,06	0	9,33,39,92	0	7,43,61,91	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	17,76,66,53
2,82,95,60	0	4,26,79,35	0	3,22,48,74	0	{192}- नगरपालिकाओं को सहायता	5,67,17,97
2,24,78,95	0	3,34,19,76	0	2,51,57,53	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	2,22,80,51
10,14,14,61	0	16,94,39,03	0	13,17,68,18	0	योग लेखा शीर्ष - 2217	25,66,65,01
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण							
[02]- समाज कल्याण							

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान		
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
49,89,70	0	1,11,05,25	0	1,10,85,84	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	1,11,05,25	0
70,69,52	0	1,48,97,83	0	1,48,97,83	0	{192}- नगर पालिकाओं को सहायता	1,48,97,83	0
90,17,06	0	1,86,70,98	0	1,86,70,98	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	1,86,70,98	0
2,10,76,28	0	4,46,74,06	0	4,46,54,65	0	योग लेखा शीर्ष - 2235	4,46,74,06	0
3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन								
25,60,95,89	3,90,07,79	23,75,29,26	4,00,00,00	20,52,08,93	4,34,99,96	{191}- नगर निगमों को सहायता	18,50,12,00	5,70,00,00
17,30,62,68	0	15,81,72,62	0	14,00,82,18	0	{192}- नगर पालिकाओं को सहायता	11,69,41,50	0
11,27,78,45	0	10,22,25,91	0	9,20,87,39	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	8,27,49,54	0
0	96,21,00	0	2,02,00,00	0	1,46,47,84	{200}- अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन	0	1,50,00,00
54,19,37,02	4,86,28,79	49,79,27,79	6,02,00,00	43,73,78,50	5,81,47,80	योग लेखा शीर्ष - 3604	38,47,03,04	7,20,00,00
73,17,77,91	4,86,29,74	74,76,11,85	6,02,17,00	64,10,68,73	5,81,59,39	योग एक - राजस्व अनुभाग	70,80,87,76	7,20,00,00
दो - पूंजी अनुभाग								
6217- शहरी विकास के लिए कर्ज								
[60]- अन्य शहरी विकास योजनाएं								
34,18,78	0	27,94,50	0	16,69,50	0	{191}- स्थानीय निकायों, निगमों आदि को उधार	24,00,00	0
24,66,66	0	25,44,50	0	15,44,50	0	{192}- नगर पालिकाओं को सहायता	32,50,00	0
17,27,17	0	3,78,30	0	3,28,00	0	{193}- नगर पंचायतों को सहायता	2,50,00	0
76,12,61	0	57,17,30	0	35,42,00	0	योग लेखा शीर्ष - 6217	59,00,00	0
76,12,61	0	57,17,30	0	35,42,00	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	59,00,00	0
73,93,90,52	4,86,29,74	75,33,29,15	6,02,17,00	64,46,10,73	5,81,59,39	योग मांग संख्या - 064	71,39,87,76	7,20,00,00
टिप्पणी - उपरोक्त अनुमानों में नीचे अंकित पुन प्राप्ति या सम्मिलित नहीं है जिन्हें लेखाओं में कमी के रूप में सम्मिलित किया गया है								
एक - राजस्व अनुभाग								
3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन								
0	0	-4,00,00,00	0	0	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	-4,35,00,00	0
0	0	-8,35,00,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 3604	0	0
0	0	-8,35,00,00	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0

मांग संख्या - 064 : प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय						(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	-8,35,00,00	0	0	0	0	0
योग मांग संख्या - 064						0	0

टिप्पणी उपरोक्त पुन प्राप्तियों को घटाकर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी ।

73,93,90,52	4,86,29,74	66,98,29,15	6,02,17,00	64,46,10,73	5,81,59,39	योग मांग संख्या - 064	71,39,87,76	7,20,00,00
-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------------------	-------------	------------

मांग संख्या - 065

विमानन

I. विमानन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	24,76,14	62,00,01	86,76,15
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2052- सचिवालय								
26,99,80	0	32,24,44	0	13,57,54	0	{091}- संलग्न कार्यालय	15,76,13	0
26,99,80	0	32,24,44	0	13,57,54	0	योग लेखा शीर्ष - 2052	15,76,13	0
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत								
[80]- सामान्य								
0	0	1	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	1	0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2245	1	0
3053- नागर विमानन								
[80]- सामान्य								
79,38	0	5,00,00	0	8,88,54	0	{003}- प्रशिक्षण तथा शिक्षा	9,00,00	0
79,38	0	5,00,00	0	8,88,54	0	योग लेखा शीर्ष - 3053	9,00,00	0
27,79,18	0	37,24,45	0	22,46,08	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	24,76,14	0
दो - पूंजी अनुभाग								
5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय								
[80]- सामान्य								
0	0	70,50,01	0	4,44,60	0	{800}- अन्य व्यय	62,00,01	0
0	0	70,50,01	0	4,44,60	0	योग लेखा शीर्ष - 5053	62,00,01	0
0	0	70,50,01	0	4,44,60	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	62,00,01	0
27,79,18	0	1,07,74,46	0	26,90,68	0	योग मांग संख्या - 065	86,76,15	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 066

पिछड़ा वर्ग कल्याण

I. पिछड़ा वर्ग कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	7,45,88,85	17,74,02	7,63,62,87
भारित	0	0	0

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
[03]- पिछड़े वर्गों का कल्याण								
15,94,53	0	25,52,78	0	18,11,50	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	22,07,72	0
7,69,75,36	0	7,16,40,73	0	8,02,85,68	0	{277}- शिक्षा	7,05,06,75	0
28,58,61	0	19,86,30	0	17,13,77	0	{800}- अन्य व्यय	18,74,38	0
8,14,28,50	0	7,61,79,81	0	8,38,10,95	0	योग लेखा शीर्ष - 2225	7,45,88,85	0
8,14,28,50	0	7,61,79,81	0	8,38,10,95	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	7,45,88,85	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय								
[03]- पिछड़े वर्गों का कल्याण								
10,10,70	0	26,74,02	0	3,78,61	0	{800}- अन्य व्यय	17,74,02	0
10,10,70	0	26,74,02	0	3,78,61	0	योग लेखा शीर्ष - 4225	17,74,02	0
10,10,70	0	26,74,02	0	3,78,61	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	17,74,02	0
8,24,39,20	0	7,88,53,83	0	8,41,89,56	0	योग मांग संख्या - 066	7,63,62,87	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - 067

लोक निर्माण कार्य - भवन

I. लोक निर्माण कार्य - भवन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान

	राजस्व	पूंजी	योग
मतदेय	3,85,56,02	99,44,28	4,85,00,30
भारित	2,00,00	0	2,00,00

II लघु लेखा शीर्ष जिनके अंतर्गत इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2059- लोक निर्माण कार्य							
[01]- कार्यालय भवन							
1,14,28,40	0	1,00,47,91	0	71,33,34	0	{053}- रखरखाव तथा मरम्मत	30,00,01 0
[80]- सामान्य							
2,14,31,89	0	3,44,67,53	0	2,45,69,27	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	2,79,15,00 0
33,94,65	0	43,64,56	0	2,41,37	0	{052}- मशीने तथा उपस्कर	5,16,01 0
1	0	0	0	0	0	{799}- उचन्त	0 0
0	1,96,21	0	3,00,00	0	2,32,20	{800}- अन्य व्यय	0 2,00,00
3,62,54,95	1,96,21	4,88,80,00	3,00,00	3,19,43,98	2,32,20	योग लेखा शीर्ष - 2059	3,14,31,02 2,00,00
2216- आवास							
[05]- साधारण पूल आवास							
1,39,64,75	0	1,82,08,95	0	1,40,86,61	0	{053}- रख	71,25,00 0
1,39,64,75	0	1,82,08,95	0	1,40,86,61	0	योग लेखा शीर्ष - 2216	71,25,00 0
5,02,19,70	1,96,21	6,70,88,95	3,00,00	4,60,30,59	2,32,20	योग एक - राजस्व अनुभाग	3,85,56,02 2,00,00
दो - पूंजी अनुभाग							
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- कार्यालय भवन							
2,04,43,43	0	1,27,30,01	0	1,27,72,81	0	{051}- निर्माण	61,32,21 0
2,04,43,43	0	1,27,30,01	0	1,27,72,81	0	योग लेखा शीर्ष - 4059	61,32,21 0
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय							
[03]- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान							
0	0	1	0	0	0	{105}- एलोपैथी	1 0
0	0	1	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4210	1 0
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- सरकारी रिहायशी							

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
48,30,46	0	45,00,00	0	11,06,51	0	38,12,06	0
48,30,46	0	45,00,00	0	11,06,51	0	38,12,06	0
59,83	0	1	0	0	0	0	0
59,83	0	1	0	0	0	0	0
2,53,33,72	0	1,72,30,03	0	1,38,79,32	0	99,44,28	0
7,55,53,42	1,96,21	8,43,18,98	3,00,00	5,99,09,91	2,32,20	4,85,00,30	2,00,00

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - a* : राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - a*

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण								
2,65,30	0	1,43,41	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	0	0
41,29,37	0	21,09,92	0	0	0	{103}- सरकारी मुद्रणालय	0	0
1,42,93	0	1,50,00	0	0	0	{104}- अन्य साधनों मुद्रण की लागत	0	0
0	0	24,08	0	0	0	{797}- आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण	0	0
45,37,60	0	24,27,41	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2058	0	0
2075- विविध सामान्य सेवाएं								
0	0	80	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0	0
0	0	80	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2075	0	0
45,37,60	0	24,28,21	0	0	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0	0
दो - पूंजी अनुभाग								
4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय								
47,07	0	3,60,00	0	0	0	{103}- सरकारी मुद्रणालय	0	0
47,07	0	3,60,00	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 4058	0	0
47,07	0	3,60,00	0	0	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0	0
45,84,67	0	27,88,21	0	0	0	योग मांग संख्या - a*	0	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - b* : तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या - b*

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
एक - राजस्व अनुभाग								
2203- तकनीकी शिक्षा								
0	0	1	0	0	0	{105}- बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय	0	0
0	0	1	0	0	0	{112}- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	0	0
0	0	2	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2203	0	0
0	0	2	0	0	0	योगएक - राजस्व अनुभाग	0	0
0	0	2	0	0	0	योग मांग संख्या - b*	0	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - c* : सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय

मांग संख्या - c*

सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान		बजट अनुमान	
2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
(आंकड़े हजार रुपयों में)							
एक - राजस्व अनुभाग							
2217- शहरी विकास							
[05]- अन्य शहरी विकास योजनाएं							
0	0	1	0	0	0	0	0
{800}- अन्य व्यय							
0	0	1	0	0	0	0	0
योग लेखा शीर्ष - 2217							
0	0	1	0	0	0	0	0
योगएक - राजस्व अनुभाग							
0	0	1	0	0	0	0	0
योग मांग संख्या - c*							
0	0	1	0	0	0	0	0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - d* : जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें

मांग संख्या - d*

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
दो - पूंजी अनुभाग							
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- मुख्य सिंचाई							
0	0	1	0	0	0	0	0
{800}- अन्य व्यय							
0	0	1	0	0	0	0	0
योग लेखा शीर्ष - 4700							
0	0	1	0	0	0	0	0
योग दो - पूंजी अनुभाग							
0	0	1	0	0	0	0	0
योग मांग संख्या - d*							

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - e* : आनंद

मांग संख्या - e*

आनंद

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2052- सचिवालय							
3,44,26	0	2	0	0	0	0	0
<i>{091}- संलग्न कार्यालय</i>							
3,44,26	0	2	0	0	0	0	0
योग लेखा शीर्ष - 2052							
3,44,26	0	2	0	0	0	0	0
योगएक – राजस्व अनुभाग							
3,44,26	0	2	0	0	0	0	0
योग मांग संख्या - e*							

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - f* : नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

मांग संख्या - f*
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2810- अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत							
[01]- बायो							
1,23,26	0	1,56,27	0	1,11,43	0	0	0
{001}- निदेशन और प्रशासन							
[02]- सौर							
1,30,00	0	2,27,33	0	8,36	0	0	0
{101}- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम							
2,40,00,00	0	2,34,60,42	0	94,82,71	0	0	0
{102}- प्रकाश वोल्टीय							
[60]- अन्य							
70,00	0	4,09,19	0	66,16	0	0	0
{600}- उर्जा के अन्य स्रोत							
14,68,50	0	28,68,70	0	12,56,89	0	0	0
{800}- अन्य व्यय							
2,57,91,76	0	2,71,21,91	0	1,09,25,55	0	0	0
योग लेखा शीर्ष - 2810							
2,57,91,76	0	2,71,21,91	0	1,09,25,55	0	0	0
योग एक - राजस्व अनुभाग							
2,57,91,76	0	2,71,21,91	0	1,09,25,55	0	0	0
योग मांग संख्या - f*							

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - g* : विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

मांग संख्या - g*

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण							
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण							
63,12	0	1,25,69	0	68,24	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	0 0
0	0	91,84	0	80,00	0	{102}- आर्थिक विकास	0 0
0	0	17,47	0	10,46	0	{196}- जिला पंचायतों को सहायता	0 0
10,85,23	0	18,65,85	0	14,46,91	0	{277}- शिक्षा	0 0
1,59,76	0	3,49,50	0	1,03,47	0	{800}- अन्य व्यय	0 0
13,08,11	0	24,50,35	0	17,09,08	0	योग लेखा शीर्ष - 2225	0 0
2801- बिजली							
[06]- ग्रामीण विद्युतीकरण							
0	0	76	0	0	0	{800}- अन्य व्यय	0 0
0	0	76	0	0	0	योग लेखा शीर्ष - 2801	0 0
13,08,11	0	24,51,11	0	17,09,08	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0 0
दो - पूंजी अनुभाग							
4225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- अनुसूचित जातियों का कल्याण							
2,79,35	0	7,00,00	0	2,67,55	0	{800}- अन्य व्यय	0 0
2,79,35	0	7,00,00	0	2,67,55	0	योग लेखा शीर्ष - 4225	0 0
2,79,35	0	7,00,00	0	2,67,55	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0 0
15,87,46	0	31,51,11	0	19,76,63	0	योग मांग संख्या - g*	0 0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - h* : प्रवासी भारतीय

मांग संख्या - h*

प्रवासी भारतीय

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2852- उद्योग							
[80]- सामान्य							
39,05	0	90,93	0	5,25	0	0	0
{800}- अन्य व्यय							
39,05	0	90,93	0	5,25	0	0	0
योग लेखा शीर्ष - 2852							
39,05	0	90,93	0	5,25	0	0	0
योग एक - राजस्व अनुभाग							
39,05	0	90,93	0	5,25	0	0	0
योग मांग संख्या - h*							

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - j*

पर्यावरण

टिप्पणी(1) : पूर्व वर्षों में यह व्यय मांग संख्या () के अंतर्गत सम्मिलित था। आगे यह मांग संख्या समाप्त है।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

लेखा 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020		पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
एक - राजस्व अनुभाग							
2215- जल पूर्ति तथा सफाई							
[02]- मल							
18,17,90	0	19,25,16	0	15,10,44	0	{106}- वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण	0 0
2,34,00	0	1,80,40	0	1,11,12	0	{800}- अन्य व्यय	0 0
20,51,90	0	21,05,56	0	16,21,56	0	योग लेखा शीर्ष - 2215	0 0
2217- शहरी विकास							
[05]- अन्य शहरी विकास योजनाएं							
0	0	60,00	0	0	0	{001}- निदेशन और प्रशासन	0 0
34,22,02	0	13,48,86	0	11,09,24	0	{191}- नगर निगमों को सहायता	0 0
34,22,02	0	14,08,86	0	11,09,24	0	योग लेखा शीर्ष - 2217	0 0
54,73,92	0	35,14,42	0	27,30,80	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0 0
दो - पूंजी अनुभाग							
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय							
[01]- राज्य की राजधानी का विकास							
0	0	40,00	0	30,80	0	{051}- निर्माण	0 0
0	0	40,00	0	30,80	0	योग लेखा शीर्ष - 4217	0 0
0	0	40,00	0	30,80	0	योग दो - पूंजी अनुभाग	0 0
54,73,92	0	35,54,42	0	27,61,60	0	योग मांग संख्या - j*	0 0

टिप्पणी सकल एवं शुद्ध मांग में कोई अंतर नहीं है।

मांग संख्या - .

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन

[00]-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन

{101}-निक्षेप निधि

ऋण शोधन निक्षेप निधि हेतु सांकेतिक राशि का प्रावधान रखा गया है।

2049-ब्याज अदायगियां

[01]-आन्तरिक ऋण पर ब्याज

{101}-बाजार कर्जों पर ब्याज

राज्य शासन द्वारा बाजार से लिये गये ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है।

{123}-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज

राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अल्प बचत ऋणों पर ब्याज की व्यवस्था रखी गई है।

{200}-अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों जैसे जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, नाबार्ड, एन.सी.डी.सी., आर.ई.सी., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से लिये गये ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है।

{305}-ऋण प्रबंध

राज्य शासन द्वारा जारी बाजार ऋणों पर होने वाले समस्त व्ययों जैसे कमीशन, दलाली एवं डाक व्यय के लिये व्यवस्था रखी गई है।

{104}-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज

राज्य शासन के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि में जमा राशियों पर ब्याज की व्यवस्था रखी गई है।

{107}-न्यासों और धर्मादायों पर ब्याज

न्यासों और धर्मार्थों के साख पत्रों पर ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

{108}-बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज

बीमा और पेंशन निधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि पर ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

[04]-केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज

{101}-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज

केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज की व्यवस्था रखी गई है।

{102}-केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज

भारत सरकार से केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों पर ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है ।

{103}-केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों पर ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है ।

{104}-योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज

भारत सरकार से प्राप्त आयोजना भिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों पर ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है ।

{109}-12वां वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार आयोजना कर्जों पर ब्याज

12वें वित्त आयोग से संबंधित ब्याज अदायगी हेतु प्रावधान रखे गये हैं ।

[60]-अन्य दायित्वों पर ब्याज

{701}-विविध

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मालगुजार एवं जागीरदारों, क्षतिपूर्ति एवं बाण्ड्स, शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि एवं शासकीय समूह बीमा के सदस्यों को ब्याज अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

मांग संख्या - ..
भारत विनियोग- लोक ऋण

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

[00]-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

{101}-बाजार कर्ज

इस लघु शीर्ष में राज्य शासन द्वारा बाजार से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{103}-भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज

इन लघु शीर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{104}-भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज

भारतीय साधारण बीमा निगम से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{105}-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{106}-प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र

प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्रों के ऋणों के अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{107}-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंको से कर्ज

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{108}-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{109}-अन्य संस्थाओं से कर्ज

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{110}-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिम और ओव्हर ड्रापट की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है ।

{111}-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की जारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिये इस शीर्ष में व्यवस्था की जाती है।

6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

[01]-योजनेत्तर कर्ज

{115}-पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ऋण

भारत सरकार से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी जाती है।

{201}-आवास निर्माण अग्रिम

भारत सरकार से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिये प्राप्त गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी जाती है।

{800}-अन्य व्यय

भारत सरकार से महू छावनी एवं सेन्ट्रल पूल बटालियन के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी जाती है।

[02]-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज

{101}-एकमुश्त कर्ज

भारत सरकार से एक मुश्त उधार (ब्लॉक लोन) में प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है।

{105}-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित कर्ज

12वें वित्त आयोग के समेकित कर्जों के भुगतान हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[03]-केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज

{102}-भू-एवं जल संरक्षण हेतु उधार

भारत सरकार से भू-संरक्षण योजनान्तर्गत प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गई है।

{800}-अन्य व्यय

भारत सरकार से अन्य केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

[04]-केंद्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज

{102}-भू- संरक्षण

इस शीर्ष के अन्तर्गत भू-संरक्षण संबंधित कर्जों के भुगतान हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{103}-हाथकरघा उद्योगों के लिए ऋण

भारत सरकार से हाथकरघा उद्योगों के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

{107}-सहकारी साख संस्थाओं के लिये ऋण

भारत सरकार से सहकारी साख संस्थाओं के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

{108}-अन्य सहकारी ऋण

भारत सरकार से अन्य सहकारी ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

{109}-कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण

भारत सरकार से कृषि साख स्थाईकरण निधि के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

{205}-पारेषण तथा वितरण

भारत सरकार से पारेषण तथा वितरण योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

{800}-अन्य व्यय

भारत सरकार से अन्य केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों की अदायगी के लिये व्यवस्था रखी गयी है।

मांग संख्या - 001

सामान्य प्रशासन

2012-राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

[03]-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

{090}-सचिवालय

इसमें राजभवन सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, यात्रा तथा राजभवन सचिवालय, कार्यालय व्यय हेतु व्यवस्था की जाती है।

{101}-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते

इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की परिलब्धियां और भत्ते, वेतन भत्ते आदि के लिये व्यवस्था शामिल है।

{102}-विवेकाधीन अनुदान

इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले स्वेच्छिक अनुदानों सहायता राशि के लिये व्यवस्था की जाती है।

{103}-पारिवारिक स्थापना

इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय से संलग्न घरेलू अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, अतिथि व्यय इत्यादि के लिये व्यवस्था की जाती है।

{104}-आतिथ्य भत्ता

इस मद में महामहिम राज्यपाल महोदय के विशेष अतिथियों पर होने वाले व्यय के लिये व्यवस्था रहती है।

{105}-चिकित्सा सुविधाएं

इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय एवं उनके परिवार से संबंधित चिकित्सा व्यय की व्यवस्था की जाती है।

{106}-मनोरंजन खर्च

इस मद में राजभवन में आने वाले अति विशिष्ट राज्य अतिथियों के व्यय, शपथ समारोह व्यय, राष्ट्रीय त्यौहार व्यय, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि के लिये प्रावधान किया जाता है।

{107}-संविदा भत्ते से व्यय

महामहिम राज्यपाल महोदय के लिये विशेष लेखन सामग्री, लान्डी, खेलकूद, पेट्रोल, ईंधन, भेंट, सफाई, कीटनाशक इत्यादि के लिये व्यवस्था की जाती है।

{108}-दौरा खर्च

इस मद में महामहिम राज्यपाल महोदय के यात्रा व्यय के लिये व्यवस्था की जाती है।

{800}-अन्य व्यय

राजभवन से संबंधित लघु निर्माण कार्य, बाग-बगीचों का रखरखाव के लिये व्यवस्था की जाती है । इसमें भोपाल तथा पचमढी दोनों स्थानों का व्यय शामिल है ।

2013-मंत्रिपरिषद

[00]-मंत्रिपरिषद

{101}-मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन

इस मद में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों राज्य मंत्रियों के वेतन एवं भत्तो के लिये व्यवस्था की जाती है ।

{102}-आतिथ्य और अन्य भत्ते

इस मद में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों राज्य मंत्रियों उप-मंत्रियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, समचुअरी, निर्वाचन भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य व्यय के लिये व्यवस्था रखी जाती है ।

{105}-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

इसमें मंत्रियों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि के भुगतान के लिये व्यवस्था की जाती है ।

{108}-दौरा खर्च

इस मद में मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल व्यय, यात्रा व्यय के लिये व्यवस्था की जाती है ।

{800}-अन्य व्यय

इस मद के अंतर्गत मंत्रियों के कार्यालयीन व्यय, बंगलों पर पानी, बिजली व्यय, मंत्रियों के वेतन पर आयकर का भुगतान आदि के लिये प्रावधान किया जाता है । साथ ही इसी मद के अंतर्गत मंत्रियों एवं लोक सभा सदस्यों द्वारा जनसंपर्क दौरे के समय दिये जाने वाले सहायक अनुदान के लिये व्यवस्था की जाती है ।

2015-निर्वाचन

{101}-निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान में किये गए 73 वें संशोधन एवं तत्पश्चात पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रभावशील होने पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराये जाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की है । इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं मानदेय पर होने वाले व्यय किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव के संचालन कार्य एवं चुनाव सामग्री पर होने वाले व्यय भी इसमें सम्मिलित किये गये हैं ।

2051-लोक सेवा आयोग

{102}-राज्य लोक सेवा आयोग

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय, वाहनों का क्रय तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु अदायगियों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है तथा नवीन एनेक्सी के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है ।

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{090}-सचिवालय

इसके अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे-सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, राजस्व, वित्त, वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण, ऊर्जा, मुख्य मंत्री सचिवालय, खेलकूद एवं युवक कल्याण एवं गैस राहत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय के लिये प्रावधान शामिल है।

{091}-संलग्न कार्यालय

इसके अंतर्गत आयुक्त, प्रमुख सचिव एवं विशेष आयुक्त म.प्र. भवन, नई दिल्ली एवं रजिस्ट्रार के लिये अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है।

2053-जिला प्रशासन

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यान्वयन के कार्यों की प्रगति का संकलन एवं अन्य क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों के लिये एवं राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति का पुर्नगठन के पदस्थ अमले के वेतन एवं अन्य भत्ते, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल., प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

2055-पुलिस

{101}-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

इसके अंतर्गत सी.आई.डी., आर्थिक अपराध कार्यालय के लिये अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है।

2059-लोक निर्माण कार्य

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के अनुरक्षण एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय के वेतन भत्तों हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

[00]-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{003}-प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रशासन अकादमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते कार्यालयीन व्यय तथा अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है।

{104}-सतर्कता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यालयीन व्यय, ट्रेप प्रकरणों में छापे आदि हेतु व्यवस्था शामिल की गई है तथा जिला सतर्कता समितियों के गठन के लिये व्यवस्था शामिल की गयी है।

{105}-विशेष जांच आयोग

(विभागीय जांच आयोग) विभागीय जांच हेतु निर्मित जांच आयोगों के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु व्यवस्था शामिल की गई है।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

{200}-अन्य कार्यक्रम

इस मद के अंतर्गत इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहाद्र पुरस्कार योजना हेतु प्रावधान रखा गया है ।

2251-सचिवालय - सामाजिक सेवाएं

[00]-सचिवालय - सामाजिक सेवाएं

{090}-सचिवालय

इसके अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे- पंचायत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्थानीय शासन, श्रम, आवास एवं पर्यावरण, आदिम जाति कल्याण, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, समाज कल्याण, संस्कृति, ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों कार्यालय व्यय के लिये प्रावधान शामिल है ।

3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

{090}-सचिवालय

इसके अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे- वाणिज्य एवं उद्योग, खनिज साधन, कृषि, वन, सहकारिता, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, खाद्य सिंचाई, मछली पालन एवं डेयरी, आयाकट, पर्यटन, नर्मदाघाटी विभाग आदि के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों, कार्यालय की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है ।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-कार्यालय भवन

{051}-निर्माण

प्रशासन अकादमी एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जबलपुर इकाई के भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान रखा जाता है ।

4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय

{106}-साधारण पूल आवास

आवास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए साधारण पूल आवास हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 002

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

[00]-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{092}-अन्य कार्यालय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग, को सहायक अनुदान देने हेतु प्रावधान किया गया है ।

2053-जिला प्रशासन

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत भारत के गणमान्य व्यक्तियों अर्थात महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उप राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधान मंत्री के राज्य में भ्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा साधनों एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों के लिये प्रावधान किए गये हैं ।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{105}-विशेष जांच आयोग

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राज्य में गठित जांच आयोगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये भी व्यवस्था शामिल है ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राज्य में आने वाले राज्य अतिथियों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था के साथ ही राज्य शिष्टाचार कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये व्यवस्था की जाती है ।

2075-विविध सामान्य सेवाएं

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत तीर्थ यात्रियों से कर लेने का अधिकार वापिस लेने के लिये कतिपय जागीरदारों को अनुदान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की म.प्र. प्रादेशिक शाखा भोपाल को सहायक अनुदान, म.प्र. के राजाओं के संबंधितों तथा सेवकों को भत्ते, मध्य भारत के राजाओं के संबंधितों तथा सेवकों को भत्ते, राज परिवार के सदस्यों को अनुग्रह जीवन भत्ते, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के उपबंधों के अंतर्गत अन्य राज्यों को भुगतान, विध्य प्रदेश के राजाओं के संबंधितों तथा सेवकों को भत्ते तथा विलीन राज्यों के कतिपय व्यक्तियों के निर्वाह भत्ते आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

{107}-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान पेंशन योजना

{200}-अन्य कार्यक्रम

मीसा डी.आई.आर. में निरूद्ध रहे व्यक्तियों के लिये सम्मान निधि हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु इस लघु शीर्ष में प्रावधान रखा गया है।

2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ

[00]-अन्य सामाजिक सेवाएँ

{800}-अन्य व्यय

संस्थाओं को पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान तथा अनुदान हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 003

पुलिस

2015-निर्वाचन

[00]-निर्वाचन

{105}-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार

इस शीर्ष लघु के अन्तर्गत मानदेय, परिवहन हेतु रेल की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यय, स्टेशनरी संबंधी व्यय के अनुमान दर्शाये गये हैं।

2055-पुलिस

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय की सामान्य शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय तथा क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा कार्यालयीन व्यय शामिल है।

{003}-शिक्षा और प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पुलिस अकादमी सागर एवं राज्य के अन्य भागों में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन, भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय शामिल है।

{101}-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय में स्थित विशेष शाखा, अपराधिक अनुसंधान विभाग एवं जिला इकाईयों में स्थित जिला विशेष शाखा एवं सी.आई.डी के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा इन शाखाओं के संचालन में होने वाली सामग्रियों पर व्यय तथा अभियोजन संचालनालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा कार्यालयीन व्यय शामिल है। मध्यप्रदेश पुलिस को साइबर अपराधों से निपटने के लिये सक्षम बनाने हेतु साइबर क्राइम लेब तथा सिक्यूरिटी सिस्टम के अतिरिक्त हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर डेवलपमेंट के कार्य हेतु व्यय शामिल है।

{104}-विशेष पुलिस

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित विशेष सश बल की वाहिनियों के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा वाहिनी के उपयोग में आने वाली सामग्री, वाहनों पर व्यय शामिल है।

{105}-सीमा सुरक्षा बल

पुलिस के लिए सीमा सुरक्षा बल हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{108}-राज्य मुख्यालय पुलिस

पुलिस के लिए राज्य मुख्यालय पुलिस हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{109}-जिला पुलिस

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत निम्नानुसार व्यय शामिल है:- (1) जिला स्थापना के इकाईयों एवं आंतक विरोधी दस्ता (ए.टी.एस.) में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यलयीन व्यय, वाहन एवं अन्य सामग्रियों के क्रय आदि के लिये व्यय तथा भारतीय सेना के सेवा निवृत्त सिपाहियों को विशेष सहयोगी पुलिस फोर्स का गठन, (2) डकैती उन्मूलन के लिये स्थापित 26 वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल गुना एवं अन्य इकाईयों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य व्यय, (3) केन्द्रीय शासन के विभागों को उपलब्ध कराई गई पुलिस गार्ड्स के वेतन, भत्ते हेतु व्यय शामिल किया गया है, जो केन्द्रीय शासन के विभागों से वसूल किये जाते हैं, (4) अतिरिक्त पुलिस जिनका व्यय निजी कंपनियों और व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई गार्ड्स के व्यय में शामिल हैं, जो संबंधित से वसूल किये जाते हैं, (5) अन्य पुलिस के अधीन वाहनियों एवं विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल है, (6) बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा डायल 100 सिस्टम के लिये व्यय शामिल है। (7) पंचायत चुनावों में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कोटवारों को मानदेय हेतु प्रावधान शामिल है।

{110}-ग्राम पुलिस

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत जिला ग्वालियर तथा सागर में स्थित ग्राम रक्षासमितियों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य व्यय शामिल है।

{111}-रेल पुलिस

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत रेल पुलिस, पश्चिम विभाग, रेल पुलिस इन्दौर विभाग के पर्यवेक्षक कर्मचारी वृंद के वेतन, भत्ते आदि के व्यय हेतु प्रावधान शामिल है। व्यय का 50 प्रतिशत राशि रेलवे विभाग से वसूली की जाती है।

{113}-पुलिस कार्मिकों का कल्याण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत जिला इकाईयों तथा वाहनियों में स्थित पुलिस अस्पताल के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अस्पताल के उपयोग में आने वाली दवाईयों, उपकरणों आदि पर व्यय शामिल है।

{114}-बेतार और कम्प्यूटर

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत जोनल वित्तु कार्यालय इंदौर, जबलपुर, भोपाल तथा ग्वालियर में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा उपकरणों पर व्यय तथा मुख्यालय में स्थित कम्प्यूटर सेल के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा उपकरणों पर व्यय शामिल किया है।

{115}-पुलिस बल का आधुनिकीकरण

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि तथा राज्य शासन से मेविंग ग्रांट के रूप में दिये जाने वाली राशि के विनियोग हेतु प्रावधान किये जाते हैं जिसका उपयोग पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु किये जाते हैं।

{116}-न्यायालयिक विज्ञान

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत सागर में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा प्रयोगशाला उपकरण, केमिकल्स परीक्षण शुल्क एवं जिला इकाईयों में स्थापित एफ.एस.एल. मोबाईल यूनिट का व्यय शामिल है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भोपाल में स्थित मेडिको लीगल इन्स्टीट्यूट के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य व्यय हेतु प्रावधान शामिल है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु व्यय के लिये प्रावधान शामिल है।

2059-लोक निर्माण कार्य

[01]-कार्यालय भवन

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

पुलिस विभाग के भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

[00]-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{107}-होम गार्ड

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा नागरिक सुरक्षा बल के वेतन, भत्ते भोजन राशि, मानदेय भत्ते, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय के लिये व्यवस्था शामिल है।

2075-विविध सामान्य सेवाएं

{104}-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार

विविध सामान्य सेवाएं के लिए विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2216-आवास

[05]-साधारण पूल आवास

{053}-रख-रखाव तथा मरम्मत

पुलिस कर्मियों के आवासों की मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

{207}-राज्य पुलिस

पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के लिए राज्य पुलिस हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{208}-विशेष पुलिस

पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के लिए विशेष पुलिस हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{210}-अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण

पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{211}-पुलिस आवास

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि तथा राज्य शासन से मेचिंग ग्रांट के रूप में दिये जाने वाली राशि के विनियोग हेतु प्रावधान किये जाते हैं, जिसका उपयोग पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु किये जाते हैं।

{800}-अन्य व्यय

पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 004
गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

2013-मंत्रिपरिषद

{800}-अन्य व्यय

इस मद के अंतर्गत मा. मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा के लिये राशि की व्यवस्था की जाती है ।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{106}-सिविल रक्षा

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये व्यवस्था की गई है ।

{114}-वाहन का क्रय तथा रखरखाव

इस शीर्ष के अंतर्गत स्टेट गैरिज के कर्मचारियों को वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तेल, छात्रवृत्तियां, वाहनों के क्रय आदि का प्रावधान कराया जाता है ।

2216-आवास

[80]-सामान्य

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इन शीर्ष के अंतर्गत संपदा संचालनालय के अमले के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये प्रावधान किया गया है ।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

{102}-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

इस शीर्ष के अंतर्गत दिसम्बर 1992 में घटित दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन दिये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है । इसके साथ ही पूर्वापेक्षित प्रयोजनों के लिये अनुदान, सहायक अनुदान हेतु भी प्रावधान कराया गया है ।

{200}-अन्य कार्यक्रम

इस शीर्ष में राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक बोर्ड में कर्मचारी एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों संबंधी व्यय जिनका मुख्य कार्य मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रित सदस्यों के कल्याण के लिये मुख्य रूप से रोजगार एवं स्वरोजगार और पुनर्वास आदि संचालित करना है, हेतु प्रावधान रखा गया है ।

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

[01]-जनगणना

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में जिला जनगणना पुस्तिका के संकलन तथा प्रकाशन, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय, पेट्रोल तेल एवं विज्ञापन एवं प्रचार संबंधी व्यय के अनुमान दर्शाये गये हैं ।

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शीवा में सैनिक विश्राम गृह निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत उपद्रवों से पीड़ितों को कर्ज प्रदान किये जाने हेतु प्रावधान कराया जाता है।

मांग संख्या - 005

जेल

2056-जेल

[00]-जेल

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसमें निर्देशन एवं प्रशासन के वेतन भत्ते तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है ।

{101}-जेल

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय जेलों तथा जिला जेलों में पदस्थ कर्मियों के वेतन भत्ते, अन्य व्ययों तथा कैदियों की चिकित्सा, शिक्षा, एवं भोजन रख-रखाव की व्यवस्था, जेलों एवं जिला न्यायालयों के मध्य वी.डी.ओ. कान्फ्रेसिंग तथा जेलों का आधुनिकीकरण एवं बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये प्रावधान शामिल है ।

{102}-जेल उत्पादन

इसमें जेल में कैदियों द्वारा उत्पादन से संलग्न कर्मियों के वेतन भत्ते तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है ।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-कार्यालय भवन

{051}-निर्माण

लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्माण हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 006

वित्त

2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं

[00]-अन्य राजकोषीय सेवाएं

{103}-अल्प बचतों की अभिवृद्धि

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय संस्थागत वित्त एवं अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है ।

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{091}-संलग्न कार्यालय

इस शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय संस्थागत वित्त एवं राज्य लाटरीज, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के वेतन, भत्ते तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है । पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण, उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष की स्थापना, वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास, म.प्र. परियोजना विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिभा शाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन योजना, शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण हेतु प्रावधान किया गया है ।

{800}-अन्य व्यय

सचिवालय - सामान्य सेवाएं के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

2054-खजाना और लेखा प्रशासन

{003}-प्रशिक्षण

राज्य के शासकीय कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लेखा प्रशिक्षण शाला स्थापित हैं । लेखा प्रशिक्षण शालाओं के अमले के वेतन-भत्ते, मजदूरी यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय एवं किराया महसूल और कर के लिये इसमें प्रावधान किये गये हैं ।

{095}-लेखा और खजाना निदेशालय

इसके अंतर्गत कोष एवं लेखा संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तेल व लुब्रीकेट, किराया महसूल एवं कर, अन्य प्रभार, वाहनों के क्रय आदि पर होने वाले व्यय का प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

{097}-खजाना स्थापना

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राज्य कोषालयों एवं उप कोषालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु प्रावधान किया गया है ।

{098}-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल. किराया महसूल व कर, तथा वाहनों के क्रय पर होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल किया गया है । स्थापना के अमले द्वारा स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य किया जाता है ।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार के अमले हेतु मंहगाई भत्ते के संभावित व्यय के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

[01]-सिविल

{101}-अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते

इस मद के अंतर्गत राज्य शासन के सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशनरी परिलाभों के लिये व्यवस्था रखी गई है।

{102}-पेंशन का संराशिकृत मूल्य

इस मद में सेवा निवृत्त या राज्य शासन की सेवा से अन्य सेवाओं में संविलियन होने वाले सरकारी सेवकों की सेवा के एवज में दी जाने वाली पेंशन का सारांशिकृत मूल्य भुगतान करने के लिये व्यवस्था रखी जाती है।

{103}-अनुकम्पा भत्ता

इसमें मृत शासकीय सेवकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुकम्पा भत्ता राशि के लिये व्यवस्था की जाती है।

{104}-उपदान

इस मद में सेवा निवृत्त मृत शासकीय सेवकों के परिवार को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान हेतु प्रावधान किया जाता है।

{105}-परिवार पेंशन

इस मद में मृत शासकीय सेवकों पेंशनरों के परिवार को दी जाने वाली परिवार पेंशन एवं उसपर देय राहत के लिये राशि की व्यवस्था की जाती है।

{106}-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार

इस मद में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशनरी परिलाभ के लिये व्यवस्था रहती है। यह भारत मद है

{108}-भविष्य निधि के लिए अंशदान

इस मद में कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की व्यवस्था के लिये प्रावधान किया गया है।

{111}-विधायकों को पेंशन

इस मद में राज्य के भूतपूर्व विधायकों को पेंशन भुगतान के लिये व्यवस्था की जाती है।

{115}-छुट्टी नगदीकरण हितलाभ

इस मद के अंतर्गत सेवा निवृत्ति, सेवा समाप्ति के समय प्रदान किये जाने हेतु छुट्टी नगदीकरण की व्यवस्था शामिल की गई है।

{117}-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान

इस शीर्ष के अंतर्गत अंशदायी पेंशन के लिये प्रावधान रखा गया है।

{200}-अन्य पेंशन

इस शीर्ष के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान के लिये प्रावधान रखा गया है।

2075-विविध सामान्य सेवाएं

[00]-विविध सामान्य सेवाएं

{797}-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण

इस शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं के अंतरण हेतु व्यवस्था के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अवधि बीते मामलों में शासकीय प्रतिभूतियों पर ब्याज की अदायगी, अस्थाई ऋण एवं अग्रिम को खारिज किये गये बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्त कर्ज एवं जमा की गई राशि का भुगतान आदि के लिए प्रावधान रखा गया है, एवं पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय के वेतन भत्ते, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, जिला पेंशन कार्यालय आदि के लिये प्रावधान भी शामिल किया गया है।

3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

{797}-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण

इस लघु शीर्ष में आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं के अंतरण हेतु व्यवस्था रखी गई है।

4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत जन निजी भागीदारी योजना अंतर्गत अधोसंरचना अनुदान हेतु प्रावधान रखा गया है।

4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

{107}-क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश

इस लघु शीर्ष में क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश के लिये प्रावधान रखा गया है।

4885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय

[01]-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर को औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये निगम की अंशपूंजी में निवेश हेतु अनुमान दर्शाये गये हैं।

6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

[00]-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत गारंटीकृत ऋणों के भुगतान एवं राज्य के निगमों की पुनर्संरचना के लिये ऋण देने हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

{201}-भवन निर्माण अग्रिम

इसके अंतर्गत राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भू-खण्ड, भवन क्रय तथा भवन निर्माण हेतु दिये जाने वाले अग्रिम का प्रावधान किया गया है ।

{202}-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम

इसके अंतर्गत राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मोटर कार, मोटर सायकिल एवं स्कूटर क्रय करने हेतु दिये जाने वाले अग्रिम का प्रावधान किया गया है ।

{204}-कम्प्यूटरों का क्रय करने के लिये अग्रिम

इसके अन्तर्गत राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को कम्प्यूटर क्रय करने हेतु दिये जाने वाले अग्रिम का प्रावधान किया गया है ।

7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन

{800}-अन्य व्यय

इसके अन्तर्गत अन्तरण लेखा अन्तरण हेतु प्रावधान रखा गया है ।

मांग संख्या - 007

वाणिज्यिक कर

2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण

{105}-संग्रहण प्रभार-वृत्ति, व्यापार, अजीविका तथा रोजगार पर कर

वाणिज्यिक कर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय इस लघु शीर्ष में शामिल किया जाता है।

2030-स्टाम्प पंजीकरण

[01]-स्टाम्प - न्यायिक

{001}-निदेशन और प्रशासन

पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते मजदूरी, यात्रा व्यय, एवं वाहनों के चालन का व्यय इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित किया जाता है।

{101}-स्टाम्पों की लागत

नासिक मुद्रणालय, भारत सरकार से विभिन्न मूल्य के न्यायिक स्टाम्पों का मुद्रण कराए जाने का व्यय इस लघुशीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित किया जाता है।

{102}-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कोषालयों से क्रय किये गये न्यायिक स्टाम्प के कमीशन का भुगतान इस लघुशीर्ष से किया जाता है।

[02]-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर

{101}-स्टाम्पों की लागत

नासिक मुद्रणालय, (भारत सरकार) से विभिन्न मूल्य के गैर अदालती स्टाम्पों का मुद्रण कराये जाने का व्यय इस लघु शीर्ष से ही किया जाता है।

{102}-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

नासिक मुद्रणालय, भारत सरकार से विभिन्न मूल्य के न्यायिक एवं न्यायिकेत्तर स्टाम्पों का मुद्रण कराए जाने का व्यय इस लघुशीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित किया जाता है।

{797}-आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें

म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर से स्टाम्प शुल्क के रूप में जो राशि प्राप्त होती है तथा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कृषि भूमि के अंतरण पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, वह क्रमशः ग्रामीण विकास निधि एवं म.प्र.पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरित कराते हुए निधि से व्यय करने हेतु पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जाती है वह इस उपमद में प्रावधानित की जाती है।

[03]-पंजीकरण

{001}-निदेशन और प्रशासन

पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक अधीक्षक कार्यालय में पंजीयन के कार्य की निगरानी हेतु अमले के वेतन भत्ते, यात्राव्यय, कार्यालय तथा वाहन चालन पर जो व्यय किया जाता है वह इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। जिलों तथा तहसीलों में पंजीयन कार्य हेतु जो अमला पदस्थ हैं उनके वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, वाहन चालन का व्यय तथा अशासकीय भवनों में लग रहे कार्यालयों के किराये का भुगतान तथा लेखन सामग्री पर होने वाला व्यय, भी इसी लघुशीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होने वाले व्यय को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

2039-राज्य उत्पाद शुल्क

[00]-राज्य उत्पाद शुल्क

{001}-निदेशन और प्रशासन

आबकारी आयुक्त कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन क्रय व्यय, इस लघुशीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिला आबकारी अधिकारी तथा संभागीय उपायुक्त कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय, वाहन क्रय व्यय, किराये के भवनों में लग रहे कार्यालयों का किराया आदि एवं आबकारी आयुक्त के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यय इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

{102}-अफीम आदि का क्रय

विभिन्न ठेकेदारों को अफीम उपलब्ध कराने हेतु बाजार से क्रय की जाने वाली अफीम पर जो व्यय आता है वह इस शीर्ष में शामिल किया जाता है।

{104}-लिकर तथा स्पिरिट का क्रय

विभिन्न ठेकेदारों को नीलामी के समय किये गये अनुबंधों के अनुसार पंजीकृत शराब फैक्टरियों से शराब तथा स्पिरिट क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है, यह व्यय इस उप शीर्ष में शामिल किया जाता है।

{800}-अन्य व्यय

विभिन्न फेक्टरियों द्वारा तैयार की गई शराब का रासायनिक परीक्षण करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा रसायन शालाएं स्थापित की गई हैं उक्त रसायन शालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा केमिकल्स का व्यय इस योजनांतर्गत शामिल किया जाता है। जिन स्थानों पर शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती है, वहां विभाग द्वारा स्वयं दुकानों का संचालन किया जाता है। पदस्थ अमले के वेतन भत्ते, शराब क्रय व्यय तथा किराये के मकानों में लग रहे कार्यालयों का किराया इस योजनांतर्गत शामिल किया जाता है विभाग के सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने हेतु जो अमला कार्यरत हैं, उनके वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन चालन आदि पर होने वाला व्यय इस योजना में शामिल किया जाता है।

2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर

{001}-निदेशन और प्रशासन

वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय एवं वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यय शामिल किये जाते हैं।

{101}-संग्रहण प्रभार

संभागों में पदस्थ उपायुक्तों एवं जिलों में जिला बिक्री कर अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ अमले के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, किराये के भवनों में लग रहे कार्यालयों का किराया, वकीलों की फीस, तथा न्यायालयीन प्रकरणों में विभाग के विरुद्ध पारित न्यायालयीन निर्णयों में डिक्रीधन के भुगतान आदि का व्यय इस लघुशीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क

{001}-निर्देशन और प्रशासन

राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क के लिए निर्देशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{101}-संग्रह शुल्क

राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण शुल्क के लिए संग्रह शुल्क हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

{101}-संग्रहण प्रभार - मनोरंजन कर

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत छविग्रहों के लिये अनुदान समाधान आदि के प्रावधान रखे गये हैं।

{797}-आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेख

वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के लिए आरक्षित निधियों को से हस्तान्तरण तथा जमा लेख हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 008
भू राजस्व तथा जिला प्रशासन

2029-भू राजस्व

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आयुक्त, भू-अभिलेख बन्दोबस्त कार्यालय के वेतन भत्तों हेतु प्रावधान किया गया है।

{102}-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत परिमाणन, व्यवस्थापन तथा लेखा संग्रह संबंधी कार्य तथा भू-सुधार कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा फोरकास्ट अधिकारियों के वेतन भत्ते अपरिमित क्षेत्रों का भू कर संबंधी परिमाणन, सर्वेक्षण तथा अधिकार अभिलेख तैयार करना, नजूल स्थापना, खातों का एकीकरण, हल्का बंदी, हवाई सर्वेक्षण इत्यादि से संबंधित व्यय हेतु राशि शामिल है।

{103}-भू-अभिलेख

इसके अंतर्गत जिला कार्यालय में भू-अभिलेख तैयार किये जाने की योजना से संबंधित अधिकारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, अपरिमित क्षेत्रों का भू-कर संबंधी परिमाणन योजना में कार्यरत भू-अभिलेख अधिकारियों के वेतन भत्ते तथा सर्वेक्षण अधिकार अभिलेख तैयार करने से संबंधित अधिकारियों के वेतन भत्ते शामिल है। इसी शीर्ष के अंतर्गत फसल अनुमान, परिमाणन के क्षेत्रीय कार्य पर लगे अमले एवं भू-अभिलेख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं में लगे अमले के वेतन भुगतान एवं कार्यालयीन व्यय का समावेश है। 103 भू - अभिलेख (आयोजना आयोजनेतर) इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भू-अभिलेख के मामले में फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। प्रदेश में हुई फसलों का सांख्यिकी की गणना में लगे पशु संगणना के अमले के वेतन भत्ते तथा राजस्व निरीक्षकों के लिये प्रशिक्षण शालाओं की व्यवस्था, केडेक्ट्रल सर्वे नक्शों का डिजिटलाइजेशन शामिल है। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रिय योजना में भू-अभिलेख का अद्यतीकरण करने तथा भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण का व्यय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान, कृषि संगणना भी शामिल है। उपरोक्त शीर्षों का प्रावधान आयोजनेतर आयोजना मद में शामिल किया गया है।

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{099}-राजस्व बोर्ड

इसके अंतर्गत राजस्व मण्डल ग्वालियर कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है।

2053-जिला प्रशासन

{093}-जिला स्थापना

जिला प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय के लिये प्रावधान सम्मिलित है।

{094}-अन्य स्थापनाएं

अन्य स्थापना के अंतर्गत आदेशिका वाहक स्थापना एवं उप संभागीय स्थापना के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय, मजदूरी आदि के व्यय हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

{101}-आयुक्त

आयुक्त स्थापना के अंतर्गत मुख्यतः आयुक्त, उपायुक्त तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

जिला प्रशासन के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

{001}-निदेशन और प्रशासन

लेखन सामग्री तथा मुद्रण के लिए निदेशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{797}-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण

लेखन सामग्री तथा मुद्रण के लिए आरक्षित निधियों जमा लेखों को अंतरण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2075-विविध सामान्य सेवाएं

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति के प्रावधान रखे गये हैं।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[01]-पुनर्वास

{001}-निदेशन और प्रशासन

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए निदेशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

[00]-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत वसूल लगान में से नगरपालिकाओं 4 5 अनुदान शामिल किया गया है।

4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

{103}-सरकारी मुद्रणालय

लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सरकारी मुद्रणालय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-कार्यालय भवन

{051}-निर्माण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत कार्यालय भवन के निर्माण एवं तहसीलों में आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-भूमि सीमा (कृषीय भूमि को छोड़कर)

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भूमि धारकों को मुआवजे के भुगतान संबंधी व्यय के अनुमान दर्शाये गये हैं ।

6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राकृतिक विपदा के आधार पर खरीफ एवं रबी की फसलों पर किसानों को हो रही हानि की प्रतिपूर्ति के लिये बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रावधान किया जाता है ।

मांग संख्या - 009
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

2810-अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत

[01]-बायो-ऊर्जा

{001}-निर्देशन और प्रशासन

आयुक्त ऊर्जा की स्थापना के अधीन वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तेल आदि पर पदस्थ अमले के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय भवन के किराये व्यय का प्रावधान शामिल किया गया है।

[02]-सौर

{101}-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

सौर ऊर्जा से पार्क का विस्तार के लिये अनुदान दिये जाने हेतु प्रावधान शामिल किया जाता है।

{102}-प्रकाश वोल्टीय

मुख्य मंत्री सौर पम्प योजना, रूफटॉप योजना हेतु अनुदान दिये जाने के लिये राशि का प्रावधान किया गया है।

[60]-अन्य

{600}-ऊर्जा के अन्य स्रोत

ऊर्जा सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

निगम के अमले के वेतन भत्ते एवं मानदेय इत्यादि के लिये राशि, कार्यालय व्यय, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान विकास उद्योग संवर्धन नीति 2014 में पूंजी ब्याज अनुदान एवं अन्य व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या - 010

वन

2055-पुलिस

{104}-विशेष पुलिस

वनों की सुरक्षा के लिये विशेष सशस्त्र बल एवं यंत्रों के भुगतान हेतु प्रावधान शामिल किया जाता है।

2216-आवास

[05]-साधारण पूल आवास

{053}-रख-रखाव तथा मरम्मत

इस शीर्ष के अन्तर्गत भवनों, के रख-रखाव मरम्मत हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

[01]-वानिकी

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, वाहनों के रख रखाव पर होने वाले व्यय एवं इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक (विकास) के कार्यालय के सुदृढीकरण, एकीकृत वनों एवं वन वासियों के विकास, जलारू वृक्षारोपण हेतु प्रावधान रखा गया है।

{003}-शिक्षा तथा प्रशिक्षण

वन विद्यालय वन क्षेत्र पाल विद्यालय इस योजना के अन्तर्गत विभागीय क्षेत्रीय अमले को वानिकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय वन विद्यालय में प्रशिक्षण देने वाले अमले के वेतन भत्तों व कार्यालय व्यय का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत किया गया है।

{004}-अनुसंधान

वनों के विकास एवं वैज्ञानिक प्रबंध के लिये वन अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नये नये तकनीकों एवं प्रयोगों व अनुसंधान से वानिकी संबंधी कठिनाइयों का निराकरण कर उनकी समस्याओं का उचित हल निकालने के लिये वन अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की गई। प्रदेश में जबलपुर स्थित वन अनुसंधान संस्थान का वनों के विकास संबंधी समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में नये-नये यंत्रों, व तकनीकी उपलब्धियों के प्रार्दुभाव को देखते हुये वन अनुसंधान संस्थान का आधुनिकीकरण किया गया है। बढ़ते हुये प्रदूषण को रोकने के लिये नयी-नयी प्रजाति के पौधों तथा वृक्षों को तैयार कर वनों के विकास में वृद्धि की जा रही है। संपूर्ण प्रदेश में वनों के घनत्व में वृद्धि करने की दृष्टि से इस संस्था का आधुनिक युग में और भी महत्व बढ़ा है। इस योजना अंतर्गत वानिकी क्षेत्र में बीज विकास तथा वृक्ष प्रजाति की उन्नत नस्लों के विकास के संबंध में प्रयोगशालायें एवं अनुसंधान प्लाट स्थापित किये गये हैं। इस योजना अंतर्गत संस्था के संचालन के व्यय हेतु प्रावधान कराया गया है।

{101}-वन संरक्षण तथा विकास तथा संपोषण

इस योजना में वन भूमि पर किये जाने वाले अतिक्रमण का सर्वेक्षण सीमांकन तथा व्यवस्थापन करने, प्रादेशिक संभागीय कार्यालय में कार्यरत अमले के वेतन, भत्ते, मजदूरी, कार्यालय व्यय, वाहन संचालन व्यय आदि हेतु प्रावधान किया गया है तथा पर्यावरण वानिकी, अध्ययन एवं अनुसंधान, संरक्षित क्षेत्रों में ग्रामों का पुर्नवास एवं संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों के भू-अर्जन हेतु मुआवजा, वन्य प्राणी द्वारा फसल मुआवजा, इको पर्यटन, विकास बोर्ड को अनुदान, कार्य आयोजन का क्रियान्वयन हेतु प्रावधान रखा गया है।

{102}-समाज तथा फार्म वानिकी

वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए समाज तथा फार्म वानिकी हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{203}-ईमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार

वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए ईमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{204}-बांस का राजकीय व्यापार

वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए बांस का राजकीय व्यापार हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{206}-खैर का राजकीय व्यापार

इस शीर्ष के अंतर्गत खैर के विदोहन पर होने वाला व्यय इस योजनान्तर्गत रखा गया है |

{797}-आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें

इस लघुशीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों को हस्तान्तरण तथा जमा लेखे में पुनप्राप्तियां रखी गई है |

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत न्यायालयीन प्रकरणों में वकीलों की फीस एवं पुलिस विभाग से समय समय पर ली जाने वाली सुरक्षा के व्यय का प्रावधान किया गया है |डिक्रीधन का भुगतान (भारित)राज्य शासन के विरुद्ध न्यायालयीन आदेशों में डिक्रीधन का भुगतान करने हेतु इस मद में प्रावधान किया गया है |जंगली पशुओं के विनाश के लिये पुरस्कारइस योजना के अन्तर्गत जंगली पशुओं द्वारा की जाने वाली जन हानि पशु धन हानि आदि की रोकथाम की जाती है | हिंसक जंगली पशुओं के विनाश हेतु पुरस्कार इसी योजनान्तर्गत दिया जाता है |वन अपराध का पता लगाने के लिये पुरस्कारजनता द्वारा गुप्त रूप से वन अपराधों की जानकारी विभाग को देने पर उन्हें पुरस्कार देने हेतु इस शीर्ष से व्यय किया जाता है |वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्तिशासकीय क्षतिपूर्ति नियमानुसार हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जन हानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति करने हेतु इस योजनान्तर्गत व्यय किया जाता है |

[02]-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

{110}-वन्य जीवन

राष्ट्रीय उद्यानों के विकास, रख रखाव पदस्थ अमले के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, वाहन व्यय आदि इस शीर्ष के अन्तर्गत किये जाते हैं |बांधवगढ, माधव, कान्हा, वन विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों के संरक्षण संचालन का व्यय, वन्य प्राणी कक्ष की स्थापना राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों के नियंत्रण अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित कार्यालय की स्थापना का व्यय, कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत दूरस्थ कर्मचारियों के लिये आवास एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना, जिसके अन्तर्गत पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि का निर्माण, एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना हेतु प्रावधान रखे गये हैं |

{111}-चिडियाघर

वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए चिडियाघर हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

3054-सडक तथा सेतु

[04]-जिला तथा अन्य सडके
{337}-सडक निर्माण -कार्य

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
[60]-अन्य
{600}-अन्य योजनाएं

अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अन्य योजनाएं हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय
[01]-वानिकी
{070}-संचार तथा भवन

इस लघुशीर्ष में भवन-सडक, चौकी आदि निर्माण के लिए प्रावधान किया जाता है |

{101}-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय के लिए वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{102}-समाज तथा फार्म वानिकी

वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय के लिए समाज तथा फार्म वानिकी हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{800}-अन्य व्यय

वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

मांग संख्या - 011
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

2230-श्रम तथा रोजगार

{102}-कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा

श्रम तथा रोजगार के लिए कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[02]-रोजगार सेवायें

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत रोजगार, प्रशिक्षण तथा जिला कार्यालयों के वेतन भत्ते एवं जाब फेयर तथा केरियर कार्ड्स विंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य आदि हेतु प्रावधान रखा गया है।

{101}-रोजगार सेवाएं

इस शीर्ष में रोजगार कार्यालय एवं जॉब फेयर तथा केरियर काउंसिलिंग म.प्र. रोजगार निर्माण बोर्ड एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों तथा रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, रोजगार कार्यालयों की के लिये भी प्रावधान रखा गया है।

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

[00]-ग्राम तथा लघु उद्योग

{101}-औद्योगिक क्षेत्र

इस लघु शीर्ष में औद्योगिक संस्थान के संधारण कार्य की देख-रेख के लिये प्रावधान रखा गया है।

{102}-लघु उद्योग

उक्त लघु शीर्ष के अंतर्गत एम.आई.एस. प्रणाली के लिये एकल रसू की स्थापना हेतु प्रावधान किये गये हैं।

{108}-बिजली करघा उद्योग

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत नवभारत पावरलूम बुनकर सहकारी संघ बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय अंतर्गत प्रावधान रखा जाता है।

{200}-अन्य ग्रामोद्योग

ग्रामीण अंचलों में उद्योगों के विकास हेतु वहां के उद्योग में लगे व्यक्तियों को आवश्यक जानकारियां प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। नवीन उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पूरे प्रदेश में कार्यरत जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन समस्त गतिविधियों के लिये उक्त लघु शीर्ष में स्वीकृत अमले के वेतन भत्ते हेतु व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इसी लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने जिला उद्योगों की स्थापना हेतु ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण जहां उद्योगों के आवश्यकतानुसार समस्त मूलभूत सुविधाओं जैसे कच्चा माल आदि सुगमता से उपलब्ध हो सके, का सर्वेक्षण आदि, राज्य आयोजनान्तर्गत राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनुमान रखे गये हैं। यह व्यय शत प्रतिशत भारत शासन द्वारा वहनीय है।

2852-उद्योग

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आयुक्त उद्योग के कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संचालन अमले के वेतन भत्ते एवं मध्यवर्ती कार्यालय तथा परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय की स्थापना आदि हेतु व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

{003}-औद्योगिक शिक्षा - अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के प्रशिक्षण स्टडी टूर के लिये व्यय के अनुमान रखे गये हैं। व्यय का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न राज्यों में उद्योगों का विकास किस प्रकार किया जा रहा है, जानकारी प्राप्त की जाना है, तथा निर्यात हेतु राज्यों की अधोसंरचना सहायता हेतु अनुमान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु ए.के.व्ही.एन. को सहायता, उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु समस्त गतिविधियां, डेस्टिनेशन म.प्र. इन्वेस्टमेंट ड्राइव तथा म.प्र. ड्रेडफेयर अथारिटी को आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

[00]-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

{200}-अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन एक्ट 1932 के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत अमले के वेतन, भत्ते के भुगतान हेतु अनुमान रखे गये हैं।

4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-औद्योगिक बस्तियां

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों का निजी व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण के लिये मुआवजे के रूप में देय भुगतान, निवेश तथा इस योजना अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों के भुगतान हेतु भारित मद में अनुमान रखे गये हैं। इस लघु शीर्ष में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों के लिये अधोसंरचना विकास खण्ड एवं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र हेतु भू-अर्जन के प्रावधान रखे गये हैं तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में धनवेष्टन एवं ए.के.व्ही.एन. सागर में निवेश हेतु ट्रायफेक को अंशपूजी सहायता, नवीन जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण, आटो टेस्टिंग ट्रेक, राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण, प्लग एवं प्ले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के लिये विश्व स्तरीय अधोसंरचना के प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में धनवेष्टन अंतर्गत प्रावधान रखे गये हैं।

4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-विनिर्माण

{800}-अन्य व्यय

राज्य स्तरीय इनेवेस्टमेंट कारीडोरर्स के विकास अंतर्गत अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है।

4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

[60]-अन्य उद्योग

{190}-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अधोसंरचना विकास खण्ड स्थापना अंतर्गत विनिर्माण के लिये अन्य व्यय तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

[00]-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

{101}-औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु ए.के.व्ही.एन. को पूंजीगत विकास हेतु एन्यूटी का प्रावधान रखा गया है।

6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड को वेट की प्रतिपूर्ति हेतु कर्ज का प्रावधान है।

6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

[60]-अन्य

{600}-अन्य

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत उपभोक्ता उद्योगों को कर्ज हेतु प्रावधान रखा गया है तथा डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु ट्रायफेक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 012

ऊर्जा

2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

[00]-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

{103}-संग्रहण प्रभार - विद्युत शुल्क

मध्यप्रदेश ऊर्जा उपकर अधिनियम 1982 के अनुसार अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से प्राप्त राशि का अंतरण ऊर्जा विकास निधि को किया जाता है। जिसके लिये आयोजनेत्तर व्यय में भारित व्यय के रूप में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक ऊर्जा की स्थापना के अधीन वेतन भत्तों, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तेल आदि जिला कार्यालयों पर पदस्थ अमले के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय भवन के किराये तथा म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा वसूल किये गये कुल शुल्क का आधा प्रतिशत की दर से कमीशन का भुगतान तथा अनुसंधान के अन्तर्गत वाहनों के सुधार पर किये गये व्यय का प्रावधान शामिल किया गया है।

2801-बिजली

[05]-संचरण तथा वितरण

{052}-मशीनरी तथा उपस्कर

इस मद में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत डी.एफ.आई.डी. से प्राप्त राशि का विद्युत कंपनियों को भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है।

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन तथा प्रशासन

इस मद के अन्तर्गत पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान हेतु प्रतीक राशि का प्रावधान किया गया है।

{101}-बिजली बोर्डों को सहायता

इस मद में कमजोर वर्गों के पांच हार्सपॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं एवं एकलबत्ती धारकों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली की व्हीलिंग, कृषि उपभोक्ताओं एवं लाईफ लाईन घरेलू उपभोक्ताओं को कम दर पर दी जा रही बिजली के लिये विद्युत कंपनियों को टैरिफ अनुदान राज सहायता, कृषकों के नवीन विद्युत कनेक्शन, दीनबंधु योजना, कृषक समृद्धि योजना विद्युत वितरण कंपनियों की उदय योजना हेतु अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है।

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

[00]-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

इस मद के अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा वितरण प्रणाली की समग्र हानियों के स्तर को 15 प्रतिशत एवं उससे कम करने हेतु स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन राशि देने हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है।

4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

इस मद में श्री सींगाजी ताप विद्युत परियोजना (मालवा) फेस एक एवं दो, सतपुडा, एस.जी.टी.पी.एस. विस्तार, अमरकंटक विद्युत परियोजना एवं बाण सागर ताप विद्युत परियोजना में धनवेष्टन हेतु प्रावधान रखे गये है।

[05]-संचरण तथा वितरण

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

इस मद के अंतर्गत कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु धनवेष्ट, मुख्य मंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन, विद्युत वितरण कंपनियों के लिये उदय योजना, पारेषण उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों को अंशपूजी के रूप में सहायता देने हेतु प्रावधान रखा गया है। इसमें एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता के पेटे प्रदान की जाने वाली अंशपूजी की राशि भी शामिल है।

[80]-सामान्य

{101}-राज्य विद्युत बोर्डों में निवेश

इस मद के अन्तर्गत गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु टोकन प्रावधान रखा गया है।

6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

[00]-विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

इस मद के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को उनकी विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिये संसाधन तथा नकद प्रवाह को बनाये रखने हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिये ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

{204}-ग्रामीण विद्युतीकरण

इस मद के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये प्रदान की जाने वाली राशि के लिये प्रावधान किया गया है।

{205}-संचरण और वितरण

इस मद के अंतर्गत एशियन विकास बैंक से प्राप्त सहायता के पेटे प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे ऋण के लिये प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या - 013
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

2059-लोक निर्माण कार्य

[01]-कार्यालय भवन

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

इस मद के अन्तर्गत कार्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2401-फसल कृषि कर्म

[00]-फसल कृषि कर्म

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस योजना से व्यय उत्पादन एवं संबद्ध कार्यों से संलग्न अमले पर किया जा रहा है।

{102}-खाद्यान्न फसलें

इस शीर्ष के अन्तर्गत दलहन फसलों का उत्पादन, एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के संचालन, राज्य माइक्रो सिंचाई मिशन योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{103}-बीज

प्रदेश में वितरित किये जाने वाले बीज की गुणवत्ता उन्नत बनाये रखने के लिये, नवीन बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिये, ताकि बढ़ते हुए उन्नत बीज की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा बीज क्षेत्र में सुदृढीकरण हेतु शासकीय दरों पर बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

{105}-खाद तथा उर्वरक

कृषकों को उत्तम स्तर का उर्वरक प्रदान कराना, गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला की स्थापना एवं सुदृढीकरण है तथा गुणवत्ता वाले उर्वरकों को प्रदाय करने के उद्देश्य से उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना एवं उपलब्ध प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण करने हेतु प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस तथा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, स्वायत्त हेल्थ कार्ड, खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान, जैविक खेती को प्रोत्साहन संबंधी कार्यों हेतु बजट प्रावधान रखा गया है।

{107}-वनस्पति रक्षण

इस शीर्ष के अन्तर्गत पौध संरक्षण प्रयोगशाला, स्थानीय क्षेत्र योजना के तहत सहायक अनुदान के प्रावधान रखे गये हैं।

{108}-वाणिज्यिक फसलें

गन्ना विकास योजना अंतर्गत, गन्ना उत्पादकों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से उत्पादन का तकनीकी मार्गदर्शन देना राज्य पोषित सघन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम इस मद में किये जाते हैं।

{109}-विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत कृषकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का व्यय विकलित किया जाता है। कृषक मित्र के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यक्रम कृषकों को कृषक मित्र के रूप में प्रशिक्षित कर कृषि क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रावधान रखा गया है। नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ परियोजना के क्रियान्वयन के उपरांत इस क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रावधान रखा गया है।

{110}-फसल बीमा

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत, बीमा क्लेम एवं योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार आदि हेतु प्रावधान रखा जाता है।

{113}-कृषि इंजीनियरी

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना तथा सुदृढीकरण, नवीन उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन, कृषि यंत्रिकरण को प्रोत्साहन संबंधी कार्य हेतु प्रावधान इस लघु शीर्ष में रखा जाता है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत सघन कृषि कार्यक्रम के छोटे कृषकों की उन्नति तथा विकास एवं आदिवासी विकास परियोजना के क्रियान्वयन एवं योजनान्तर्गत कार्यरत अमले के वेतन, भत्ते आदि म.प्र. भूमि विकास निगम से अनुदान वाणिज्य कर एवं विद्युत अनुदान के भुगतान हेतु प्रावधान किया जाता है।

2402-मृदा तथा जल संरक्षण

{001}-निर्देशन और प्रशासन

भूमि एवं जल प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रमभूमि एवं जल के उत्तम प्रबंध की दृष्टि से अमले को प्रशिक्षण देने के लिये बैतूल में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। साथ ही केन्द्रीय भूमि एवं जल प्रबंध संस्थान देहरादून में भी विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को प्रशिक्षण में भेजा जाता है।

{101}-मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण

मृदा सर्वेक्षण योजनान्तर्गत: योजना का आरंभ प्रदेश की भूमि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। विस्तृत जानकारी के आधार पर मृदा वर्गीकरण करके उनका उपयोग किया जाता है।

{102}-मृदा संरक्षण

भूमि संरक्षण-कटावरोधक के बंधान की योजनाइस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल संरक्षण कार्य अपना कर भूमि कटाव को रोकना एवं नमी को संरक्षित करना है। इस योजना में अमले का वेतन तथा समायोजन हेतु ऋण की राशि का भी समावेश किया गया है।

{109}-विस्तार तथा प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भूमि संरक्षण प्रयोगशाला योजनान्तर्गत कार्यरत अमले के वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिये प्रावधान किया गया है। भूमि संरक्षण की दृष्टि से अमले को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

[80]-सामान्य

{120}-अन्य संस्थाओं को सहायता

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए अन्य संस्थाओं को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2801-बिजली

[06]-ग्रामीण विद्युतीकरण

{800}-अन्य व्यय

बिजली के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[80]-सामान्य

{101}-बिजली बोर्डों को सहायता

बिजली के लिए बिजली बोर्डों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

{103}-बीज

फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के लिए बीज हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 014

पशुपालन

2059-लोक निर्माण कार्य

[01]-कार्यालय भवन

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

लोक निर्माण कार्य के लिए रखरखाव तथा मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2403-पशु पालन

[00]-पशु पालन

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय तथा संभागीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय के लिये तथा देशी नस्ल के सबसे दुधारू गायों हेतु पुरस्कार हेतु प्रावधान रखा गया है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत विशेष पशु पालन कार्यक्रम तथा राज्य पशु चिकित्सा परिषद संचालित है। विशेष पशु पालन कार्यक्रम के तहत संकर जर्सी मादा वत्सों को 32 माह की उम्र तक खाद्यान एवं दवाइयों के रूप में अनुदान दिया जाता है। साथ ही सूकर इकाई, कुक्कुट इकाई एवं भेड इकाईयों की स्थापना के लिये अनुदान दिया जाता है। राज्य पशु चिकित्सा परिषद का उद्देश्य पशु चिकित्सा सेवाओं के नियमन तथा पशु चिकित्सकों का पंजीकरण करना है।

{101}-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पशु चिकित्सालय, विभागीय पशु औषधालय तथा जनपद पशु औषधालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त रोगाणुओं के अंतर्गत जांच चौकियां, सर्तकता इकाई आदि के लिये प्रावधान किया गया है।

{102}-पशु तथा भैंस विकास

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मुख्य ग्राम खंड, कृत्रिम रेशम केन्द्र, नियंत्रित पशु प्रजनन विस्तार इकाई, केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, गहन पशु विकास परियोजना, गोसदन, वृषभ पालन प्रक्षेत्र, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, प्रदर्शनी, भारतीय नस्लों के पशु संवर्द्धन एवं गौ सेवा आयोग को अनुदान की योजनाएं संचालित है। केनकठा पशु प्रजनन हेतु अनुदान, गौ संवर्द्धन एवं पशुओं का संवर्द्धन, एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक, पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण तथा बड़े पशुओं का उत्प्रेरण संबंधी कार्यों का प्रावधान इस मद में सम्मिलित है।

{103}-कुक्कुट विकास

इस लघु शीर्ष में कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, एक कुक्कुट अनुसंधान, झाबुआ, एवं शहडोल, जिलों में रानी खेत उन्मूलन योजना तथा कुक्कुट परियोजना के लिये प्रावधान किया गया है। छोटे पशुओं एवं कुक्कुट का उत्प्रेरण संबंधी प्रावधान को इस लघु शीर्ष में सम्मिलित है।

{104}-भेड तथा ऊन विकास

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शिवपुरी में भेड पालन प्रक्षेत्र कार्यरत है। इस प्रक्षेत्र में उन्नत नस्ल की विदेशी भेडों के संसर्ग से उत्पादित अच्छी किस्म की ऊन वाले भेडों का उत्पादन कर उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है।

{106}-अन्य पशुधन विकास

पशु पालन के लिए अन्य पशुधन विकास हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{107}-चारा तथा चारागाह विकास

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत चारा उत्पादन एवं चारा प्रक्षेत्रों का विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। पशुपालकों के 1-4 एकड़ सिंचित क्षेत्र में चारा उत्पादन हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। यह अनुदान चारा, जड़, बीज आदि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। विभागीय पशु प्रजनन केन्द्रों पर चारा उत्पादन के लिये संसाधन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

{109}-विस्तार तथा प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी के अलावा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल मंडल, जे.एन.के.वि.वि. जबलपुर को सहायक अनुदान, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ का प्रशिक्षण तथा कुक्कुट प्रशिक्षण शाला, रीवा का सुदृढीकरण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

{113}-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत रोग अनुसंधान संगठन सुदृढीकरण तथा एपीडेमिओलॉजिकल यूनिट भोपाल से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं। इनके लिये बजट में प्रावधान रखा गया है। इसी लघु शीर्ष के अंतर्गत महत्वपूर्ण पशु रोगों जैसे ब्रूसेलोसिस, रेबीज, सुकर ज्वर एवं कुक्कुट रोगों के रोकथाम के उपाय एवं दुग्ध, अंडा व मांस के उत्पादन की लागत का अनुमान लगाने संबंधी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं संचालित हैं। मुहखुरी बीमारी के रोकथाम के लिये मुहखुरी रोग व्यापकी इकाई के अंतर्गत प्रभावित पशु से जांच के नमूने एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत विभागीय पशु चिकित्सालय, औषधालय एवं अन्य भवनों में परिवर्तन परिवर्धन कर उन्हें उपयोगी बनाये जाने का प्रावधान है। डेयरी विकास विभाग समाप्त किया जाकर विभाग के पदों को पशुपालन विभाग में अंतरित किया है। इसलिए विभाग के अमले के वेतन भत्ते हेतु प्रावधान किया गया है। (7436) गुणवत्ता एवं स्वच्छ उत्पादन हेतु अधोसंरचना सुदृढीकरण गुणवत्ता एवं स्वच्छ उत्पादन हेतु अधोसंरचना सुदृढीकरण हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य

पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय के लिए पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण एवं प्रदेश में अधोसंरचना विकास योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 015

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[01]-अनुसूचित जातियों का कल्याण

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत विमुक्त जाति मुख्यालय हेतु वेतन भत्तो, मजदूरी, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां एवं विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{102}-आर्थिक विकास

इस शीर्ष के अंतर्गत समेकित विकास सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत जिला पंचायतों को दी जा रही सहायता राशि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{277}-शिक्षा

इस शीर्ष के अंतर्गत घुमक्कड़ वर्ग के छात्र-छात्राओं को गणवेश प्रदाय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत जाति प्रमाण-पत्रों के मुद्रण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2801-बिजली

[06]-ग्रामीण विद्युतीकरण

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 016
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

2405-मछली उद्योग

[00]-मछली उद्योग

{001}-निदेशन और प्रशासन

मत्स्य विकास के कार्यों को देखते हुये संचालनालय का सुदृढीकरण, जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर स्वीकृत अमले, कार्यालयों के लिये उपकरण वाहन व्यवस्था जैसे कार्यों के लिये इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया जाता है तथा इनके लिये प्रावधान रखा गया है ।

{101}-अन्तर्देशीय मछली उद्योग

जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास हेतु मत्स्य पालन के लिये जलाशयों पर अधोसंरना का विकास, नाव यंत्रिकृत नाव की व्यवस्था, इसका रख रखाव, चालन व्यय जलाशय के पास चौकीदार हट्टस का निर्माण जलाशयों के तल से जंगल सफाई मेजर कार्य मछली का बीज, बड़े आकार का तथा अधिक मात्रा में जलाशय में संचयन, जलाशयों के पास पेरीफेरल माडल के संवर्धनजलाशयों का निर्माण रख रखाव, अतिरिक्त जल क्षेत्र तथा नवीन बनने वाले बांधों को मछली पालन अन्तर्गत लाना आदि कार्यों हेतु इस लघु शीर्ष में प्रावधान किया जाता है ।

{109}-विस्तार तथा प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष अन्तर्गत मछली पालन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नवीनतम तकनीकों का ज्ञान मछुआरों को कराना, उनके प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है ।

{120}-मछली पालन सहकारी समितियां

इस शीर्ष के अंतर्गत सामान्य मछुआ सहकारी के सदस्यों के लिये मत्स्य जीवियों का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा एवं बचत सह राहत राष्ट्रीय कल्याण निधि अंतर्गत आवास गृहों का निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है ।

{800}-अन्य व्यय

मत्स्यपालन का रखरखाव मछलीपालन के प्रदर्शन कार्य, प्रदेश की स्थिति में मछलीपालन की नवीनतम तकनीकों का अध्ययन जैसे विविध कार्यों पर इस मद से व्यय किया जाता है तथा इसके लिये बजट अनुमान में प्रावधान रखा गया है ।

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

[05]-मछली पालन

{004}-अनुसंधान

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवहारिक अनुसंधान एवं प्रदेश में आदर्श आहार योजना हेतु प्रावधान रखा गया है ।

4404-डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

{102}-डेरी विकास परियोजनाएं

डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए डेरी विकास परियोजनाएं हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

4405-मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-अन्तर्देशीय मछली-पालन

मत्स्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र आदि के निर्माण हेतु प्रावधान रखे गये है।

{109}-विस्तार तथा प्रशिक्षण

मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय के लिए विस्तार तथा प्रशिक्षण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 017

सहकारिता

2425-सहकारिता

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आयुक्त, सहकारिता के मुख्यालय पर कार्यरत अमले एवं उनके अधीनस्थ प्रदेश में कार्यरत कार्यालयों पर होने वाले व्यय के अनुमानों सहित सहकारी न्यायाधिकरण की स्थापना के व्यय हेतु अनुमान दर्शाये गये हैं ।

{003}-प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अशासकीय व्यक्तियों के सहकारी, शिक्षण, अधिकारियों एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण, संचालन एवं राज्य तथा जिला सहकारी संघ को प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये अनुदान देने संबंधी अनुमान दर्शाये गये हैं ।

{101}-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रदेश की सहकारी समितियों के लेखा परीक्षा के लिये स्वीकृत अमले के वेतन भत्तों के लिये अनुमान रखे गये हैं । इसी लघु शीर्ष के अंतर्गत आडिट बोर्ड के लिये स्वीकृत स्थापना व्यय के लिये अनुमान रखे गये हैं ।

{107}-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता

इस लघु शीर्ष में राज्य आयोजना अंतर्गत भूमि विकास अधिकोष के स्तर पर कृषि साख स्थिरीकरण की स्थापना व महिला नागरिक सहकारी बैंकों को अनुदान एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला छिन्दवाडा, सीधी, भिण्ड, रतलाम, राजगढ, जबलपुर में लागू करने हेतु अनुमान रखे गये हैं । कृषि साख स्थिरीकरण निधि को सुदृढ बनाने की योजना का शत प्रतिशत व्यय भारत शासन द्वारा एवं कृषि साख राहत कोष की स्थापना का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत के अनुपात में वहन किया जाता है ।

{108}-अन्य सहकारी समितियों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान, बीज संघ की स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान तथा बीज संघ को गोदाम एवं ग्रिडिंग प्लांट हेतु अनुदान सम्मिलित किया गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत सहकारी विकास योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं ।

4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

{107}-क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत सहकारी बैंकों समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने कृषकों को ब्याज अनुदान तथा कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना संबंधी प्रावधान रखे गये हैं । इसी शीर्ष के अंतर्गत सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें के अंतर्गत प्रदेश में नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{108}-अन्य सहकारी समितियों में निवेश

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढीकरण, बीज संघ को अंशपूजी तथा अक्षम पैक्स एवं लैम्प्स समितियों को सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है।

6425-सहकारिता के लिए कर्ज

{106}-बहुदेशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को कर्ज

अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र.राज्य सहकारी बैंक हेतु प्रावधान रखे जाते हैं।

{107}-जमा सहकारी समितियों को कर्ज

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी ऋण पत्रों का क्रय, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना तथा इस अनुमान में निहित व्यय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त सहायता के आधार पर निर्धारित है के व्यय रखे गये हैं।

{108}-अन्य सहकारी समितियों को कर्ज

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत, प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढीकरण तथा भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्ज हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 018

श्रम

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

[01]-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी

{102}-कर्मचारी राज्य बीमा योजना

इस लघु शीर्ष में कर्मचारी राज्य बीमा योजना संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, राज्य बीमा अस्पतालों, के अमलों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय आदि तथा कल कारखानों में कार्यरत बीमित कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

2230-श्रम तथा रोजगार

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत श्रमायुक्त कार्यालय तथा जिला कार्यालय औद्योगिक न्यायालय, श्रम न्यायालय के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{101}-औद्योगिक संबंध

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिये वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{102}-कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा

इस लघु शीर्ष में पर्यवेक्षकीय अमले के वेतन भत्ते आदि का प्रावधान रखा गया है ।

{103}-सामान्य श्रम कल्याण

श्रम कल्याण निधि की स्थापना के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं ।

{112}-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास

असंगठित कर्मकार मंडल के लिये अनुमान रखे गये हैं ।

मांग संख्या - 019
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

2059-लोक निर्माण कार्य

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

इस शीर्ष के अन्तर्गत भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य के लिये प्रावधान रखा जाता है ।

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस शीर्ष में लोक स्वास्थ्य संचालनालय के वेतन भत्ते तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था सम्मिलित है । मुख्यालय स्थित अमले के वेतन, भत्तों के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{110}-अस्पताल और औषधालय

इस शीर्ष के अन्तर्गत औषधालय, जिला चिकित्सालय, क्षय चिकित्सालय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, भारतीय रेडक्रास,सिविल अस्पताल, चिकित्सा गारंटी योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा अवशिष्टों का विनिष्टिकरण, चिकित्सालयों का उन्नयन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, रक्ताधान परिषद का गठन, मानसिक चिकित्सालय, जिला स्तरीय ब्लड बैंक व सीमांक ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना, चिकित्सालयों के लिये जनरेटर, आपात कालीन चिकित्सा सेवायें (108) एम्बूलेंस के परिमाणन हेतु व्यय तथा अन्य अस्पतालों की सुविधा हेतु प्रावधान रखा जाता है । चिकित्सालयों का सुदृढीकरण, जय प्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण, विकिरण सुरक्षा ईकाई की स्थापना आदि हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत जिला पंचायतों को दी जा रही सहायता की राशि का प्रावधान रखा गया है ।

{200}-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं

इस शीर्ष में केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत अंध रोग उपचार के अंतर्गत अमले के वेतन, भत्ते व अन्य प्रकार के व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस मद के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निशुल्क औषधी प्रदाय हेतु राशि का प्रावधान रखा जाता है ।

[03]-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी

{103}-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं को सुचारु रूप से संचालन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष, जीवन ज्योति चलित औषधालय, ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन हेतु प्रावधान रखा जाता है ।

{197}-जनपद पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत जनपद पंचायतों को दी जा रही सहायता राशि का प्रावधान रखा गया है ।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को दी जा रही सहायता राशि का प्रावधान रखा गया है।

[05]-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

{105}-एलोपैथी

परिचारिकाओं के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

{003}-प्रशिक्षण

इस शीर्ष में नर्सों के बुनियादी पाठ्यक्रम, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय तथा राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिये प्रावधान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु भी प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

{101}-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण

इस शीर्ष में मलेरिया, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना, फायलेरिया आदि रोगों की रोकथाम, बी.सी.जी. टीका अभियान, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के लिये राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत मलेरिया, फायलेरिया, एन्टी लार्वा, अभियान के अंतर्गत होने वाले व्यय और केन्द्रीय क्षेत्रीय, योजना अंतर्गत कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, आई.डी.एस.पी. प्रोजेक्ट, हैजा नियंत्रण कार्यक्रम, गलगन्द नियंत्रण कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का प्रावधान सम्मिलित है।

{102}-खाद्य अपमिश्रण का निवारण

इस शीर्ष में खाद्य एवं औषधि प्रयोग शाला सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले के वेतन भत्ते पर होने वाला व्यय सम्मिलित है तथा भारत सरकार की सहायता से खाद्य एवं औषधि प्रयोग शालाओं के सुदृढीकरण सूचना और प्रौद्योगिकी के लिये प्रावधान औषध नियंत्रण रखा गया है।

{104}-औषध नियंत्रण

इस शीर्ष में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि नियंत्रण से संबंधित अमले के वेतन, भत्ते औषधि नियंत्रण की कार्यावधि के प्रचार प्रसार के लिये भी प्रावधान रखा गया है।

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत जिला पंचायतों को दी जा रही सहायता की राशि का प्रावधान रखा गया है।

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में एलोपैथिक शिक्षा से संबंधित भवनों के लघु निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

2211-परिवार कल्याण

[00]-परिवार कल्याण

{001}-निर्देशन और प्रशासन

निर्देशन और प्रशासन में राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन, जिला स्तरीय अमले आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{003}-प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में क्षेत्रीय परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, आक्जीलरी नर्स, मिडबाईफ एवं हेल्थ विजिटर को परिवार कल्याण प्रशिक्षण, दाईयों का प्रशिक्षण, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के लिये प्रावधान रखा गया है । राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{102}-शहरी परिवार कल्याण सेवाएं

शहरी परिवार कल्याण सेवाएं के अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{106}-सार्वजनिक शिक्षा

सार्वजनिक शिक्षा - इस शीर्ष में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पारितोषिक एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत सामूहिक शिक्षा एवं आई.सी.ई. प्रशिक्षण योजना स्टारलाईजेशन के लिये प्राप्त होने वाली राशि का प्रावधान रखा गया है ।

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत जिला पंचायतों को दी जा रही सहायता की राशि का प्रावधान रखा गया है ।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत जिला पंचायतों को दी जा रही सहायता की राशि का प्रावधान रखा गया है ।

2216-आवास

[05]-साधारण पूल आवास

{053}-रख-रखाव तथा मरम्मत

इस शीर्ष के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्रों के विस्तार हेतु स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण कार्य हेतु प्रावधान रखा जाता है ।

3606-सहायता सामग्री तथा उपस्कर

[00]-सहायता सामग्री तथा उपस्कर

{237}-संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपत्तिक निधि से सहायता

यूनिसेफ से सहायता - भारत सरकार से मलेरिया, फायलेरिया, परम्परागत गर्भ निरोधक, अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां, सामूहिक शिक्षा, यूनिवर्सल इमोनाईजेशन आदि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सामग्री सहायता का मूल्यांकन दर्शाया गया है ।

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

{110}-अस्पताल तथा औषधालय

इस शीर्ष में अस्पताल एवं औषधालय भवनों के निर्माण एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग) के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया है ।

[02]-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

{103}-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

इस शीर्ष के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य मूलभूत सेवाओं, नाबार्ड की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये प्रावधान रखा गया है।

{104}-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[04]-लोक स्वास्थ्य

{107}-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 020
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[01]-जल पूर्ति

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मुख्यालय इंदौर जबलपुर उज्जैन ग्वालियर सीहोर भोपाल देवास आदि जलप्रदाय योजनाओं की स्थापना, मुख्यालय की वर्कशाप, ड्रिलिंग रिग्स आपरेशन आदि के व्यय के लिये प्रावधान सम्मिलित है ।

{005}-सर्वेक्षण तथा जांच-पडताल

इस शीर्ष में ग्रामीण जलप्रदाय सर्वेक्षण और जांच पडताल, शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना और बड़े शहरों में ड्रेनेज योजना के सर्वेक्षण के लिये प्रावधान है ।

{052}-मशीनरी तथा उपस्कर

अनुरक्षण संबंधी औजार एवं संयंत्रों के क्रय हेतु प्रावधान है ।

{101}-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

इस शीर्ष के अंतर्गत जलप्रदाय गृह के संधारण की स्थापना पर व्यय रखा गया है । जलप्रदाय एवं स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं हेतु और भेल भोपाल के रॉ वाटर के प्रदाय की व्यवस्था से जुड़े अमले के वेतन, भत्ते, व्यवस्था के अनुरक्षण कार्य आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{102}-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के नलकूपों के अनुरक्षण तथा पाईप द्वारा जल प्रदाय के कार्य से जुड़े अमले के वेतन भत्ते तथा योजना के अनुरक्षण कार्य के लिये संधारण संचालन हेतु अनुदान का एवं नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जाता है । केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर की स्थापना के लिये भी प्रावधान रखा गया है ।

{192}-नगरपालिकाओं को सहायता

पुनरीक्षित जल प्रदाय तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पेंचव्हेली जल प्रदाय एवं खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पडताल के लिये प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

[02]-मल-जल तथा सफाई

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस मद में मुख्यालय में इस कार्य के लिये रखे अमले की स्थापना पर व्यय भार प्रावधानित किया जाता है । इस व्यय में 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है ।

{107}-मल-जल सेवाएं

मल निकासी और सफाई के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं के लिये तथा भोजवेट लैंड योजना का अनुरक्षण एवं केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के लिये प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-जल पूर्ति

{001}-निदेशन और प्रशासन

जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निदेशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{101}-शहरी जल पूर्ति

इस शीर्ष के अंतर्गत नई प्रयोगशाला का निर्माण, सहायक गतिविधियां एवं भोपाल तथा अन्य बड़े शहरों में पर्यावरण बचाव एवं प्रदूषण निवारण के लिये लघु निर्माण कार्य, पेंचवेली जल प्रदाय योजना तथा राज्य जल सहायता संगठन का प्रशासनिक भवन के लिये प्रावधान रखा गया है।

{102}-ग्रामीण जल पूर्ति

इस मद के अन्तर्गत पुर्नप्राप्तियों के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 021

लोक सेवा प्रबंधन

2053-जिला प्रशासन

[00]-जिला प्रशासन

{093}-जिला स्थापना

जिला प्रशासन के लिए जिला स्थापना हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

काल सेंटर की स्थापना, लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान, जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी को अनुदान, इ-डिस्ट्रीक्ट योजना का क्रियान्वयन एवं म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-कार्यालय भवन

{051}-निर्माण

लोक सेवा केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान रखा जाता है।

मांग संख्या - 022
नगरीय विकास एवं आवास

2059-लोक निर्माण कार्य

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राजधानी परियोजना मंडल की स्थापना के लिये, सतपुडा तथा विन्ध्याचल भवन एवं गैस त्रासदी राहत चिकित्सालयों के अनुरक्षण तथा तरुण पुष्कर हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

लोक निर्माण कार्य के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[80]-सामान्य

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत तीन निर्माण उप संभाग की स्थापना, विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग एवं उप संभाग कार्यालय, विभागाध्यक्ष भवनों का रख-रखाव, अधीक्षण यंत्री एवं संभागीय कार्यालय के वेतन भत्ते आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

[00]-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{108}-अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण

अन्य प्रशासनिक सेवाएं के लिए अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[02]-मल-जल तथा सफाई

{106}-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण

इस शीर्ष में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की विभिन्न योजनाओं के लिये प्रावधान रखा गया है जिसमें राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिये तथा प्रदेश की नदियों के किनारें बसे 11 नगरों के दूषित जल मल से प्रदूषण की रोकथाम का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2216-आवास

[05]-साधारण पूल आवास

{053}-रख-रखाव तथा मरम्मत

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भवनों की मरम्मत, विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह तथा गैस त्रासदी राहत चिकित्सालयों के आवास गृहों के अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

2217-शहरी विकास

[01]-राज्य की राजधानी का विकास

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष में तरण पुष्कर, लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना प्रादेशिक विकास योजना, प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना, वन संभाग की स्थापना आदि के लिए प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना जिसमें केन्द्र सरकार से भी राशि प्राप्त होती है के लिये प्रावधान रखे जाते हैं तथा राजधानी परियोजना प्रशासन में मोबिलिटी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य एवं पालिसी रिफार्म, इन्टरप्राइज विजन 2018 के लिये प्रावधान रखे जाते हैं।

[05]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत नगर और ग्राम निवेश संचालनालय, विकास योजनायें, योजना बनना एवं उनका पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, चित्रकूट गम्य स्थान परियोजना के लिये प्रावधान शामिल है।

{191}-नगर निगमों को सहायता

इस शीर्ष में पर्यावरण योजना एवं समन्वय (ईपको) से संबंधित योजनाओं, आपदा प्रबंध संस्थान को अनुदान, पर्यावरण सुधार एवं प्रबंधक के लिये इंदिरा गांधी फेलोशिप एवं झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिये विकास प्राधिकरणों को अनुदान, विशेष क्षेत्र विकास अनुदान हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय द्वारा अग्रिशमन सेवाओं हेतु नगरीय निकायों को अनुदान, नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना के क्रियान्वयन, म.प्र. सफाई कामगार आयोग का गठन, नगरीय प्रशासन संचालनालय और स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अमले के वेतन भत्तों, कार्यालयीन व्यय, अनुरक्षण कार्य आदि तथा एशियन विकास बैंक की सहायता से 6 नगर निगमों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर एवं रतलाम) में मूलभूत सुविधाओं के विकास, संचालनालय का कम्प्यूटरीकरण, गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम एवं नगर विकास योजना तथा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे के लिये संचालित योजना के अमले एवं कार्यालय व्यय तथा मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम, लोक परिवहन एवं यातायात, सर्वे अध्ययन के लिए तथा शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आवास योजना म.प्र. शहरी स्वच्छता एवं पर्यावरणीय कार्यक्रम का प्रावधान रखा गया है।

3054-सड़क तथा सेतु

[04]-जिला तथा अन्य सड़कें

{337}-सड़क निर्माण -कार्य

इस शीर्ष में राजधानी की सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये प्रावधान रखा गया है।

4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सरकारी रिहायशी भवन

{700}-अन्य आवास

आवास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य आवास हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[80]-सामान्य

{101}-भवन योजना तथा अनुसंधान

आवास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए भवन योजना तथा अनुसंधान हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-राज्य की राजधानी का विकास

{050}-भूमि

भू-अर्जन हेतु मुआवजा, मंत्रालय भवन के विस्तार के लिये प्रावधान रखा गया है।

{051}-निर्माण

इस शीर्ष में भोपाल स्थित राजधानी परियोजना द्वारा किये जा रहे अरिहायशी तथा रिहायशी भवनों के निर्माण कार्य, अनुरक्षण, राजधानी क्षेत्र के सडक और पुलों के लिये तथा भोपाल शहर की सडकों के निर्माण एवं वार मेमोरियल का निर्माण, उच्च सिविल सेवाओं हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण एवं उन्नयन, नवीन ट्रांजिस्ट हास्टल का निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

{052}-मशीनरी तथा उपस्कर

इस शीर्ष के अंतर्गत भोपाल क्षेत्र के सौदर्यीकरण एवं मशीनें उपस्कर के लिए प्रावधान रखा गया है।

[03]-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[05]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{800}-अन्य व्यय

शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[60]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{051}-निर्माण

इस शीर्ष के अन्तर्गत राजधानी में मूलभूत सेवाओं का विकास हेतु प्रावधान किया जाता है।

{191}-स्थानीय निकायों, निगमों आदि को सहायता

शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए स्थानीय निकायों, निगमों आदि को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

6217-शहरी विकास के लिए कर्ज

[01]-राज्य की राजधानी का विकास

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत राजधानी में एवं नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ऋण तथा अग्रिम का प्रावधान रखा गया है।

[02]-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउन्टर मैगनेट योजना के अंतर्गत सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है।

[60]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत राजधानी में एवं नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ऋण तथा अग्रिम एवं जल प्रदाय योजना (ए.डी.बी.) का प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 023

जल संसाधन

2700-मुख्य सिंचाई

[11]-चंबल परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[13]-तवा परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[15]-अपर बैन गंगा परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[16]-थावर परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[17]-कोलार परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[18]-बारना परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[19]-हलाली परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[20]-भांडेर परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[21]-सिंध परियोजना चरण-2

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[27]-सुक्ता परियोजना

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[28]-उर्मिल परियोजना

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[29]-सिंध परियोजना प्रथम चरण

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[30]-रंगवान परियोजना

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[31]-हाइड्रोलोजी परियोजना

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[32]-राजघाट परियोजना

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[33]-बाण सागर परियोजना यूनिट एक (बांध)

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[36]-बावनथडी परियोजना

{ 101 }-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[37]-बरियारपुर परियोजना

{101}-रख-रखाव और मरम्मत

मुख्य सिंचाई के लिए रख-रखाव और मरम्मत हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[80]-सामान्य

{005}-सर्वेक्षण और अन्वेषण

उक्त लघु शीर्ष के अन्तर्गत सर्वेक्षण व अन्वेषण की संरचना के व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बांध सुरक्षा कार्य के अनुरक्षण कार्य, निर्वाचित कृषक संस्थाओं को दी जाने वाली राशि का प्रावधान है।

2701-मध्यम सिंचाई

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत वेतन भत्ते आदि के व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{052}-मशीनरी तथा उपस्कर

सिंचाई परियोजनाओं के लिये आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण के क्रय, वाषक रखाव आदि के लिये इस लघु शीर्ष में अनुमान रखे गये हैं।

{799}-उच्चत

अंतिम वर्गीकरण अनुसार समायोजन के लिये अनुमान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में नहरें तथा तालाब एवं सिंचाई और बिजली केन्द्रीय मंडल के कार्य भारित, आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन व अनुरक्षण कार्य, निर्वाचित कृषक, संस्थाओं को राशि व्यय एवं डिक्रीधन भारित व्यय शामिल है।

2702-लघु सिंचाई

{800}-अन्य व्यय

लघु सिंचाई के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{201}-तवा आयाकट क्षेत्र विकास

आयाकट विकास से संबंधित कमान क्षेत्रों के लिये विकास कार्यो व संबंधित स्थापना व्यय हेतु अनुमान रखे गये हैं। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

{202}-बारना हलाली आयाकट क्षेत्र विकास

आयाकट विकास से संबंधित कमान क्षेत्रों के लिये विकास कार्यो व संबंधित स्थापना व्यय हेतु अनुमान रखे गये हैं। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

{203}-अपर बैन गंगा आयाकट क्षेत्र विकास

आयाकट विकास से संबंधित कमान क्षेत्रों के लिये विकास कार्यो व संबंधित स्थापना व्यय हेतु अनुमान रखे गये है। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

{204}-बाण सागर आयाकट क्षेत्र विकास

आयाकट विकास से संबंधित कमान क्षेत्रों के लिये विकास कार्यो व संबंधित स्थापना व्यय हेतु अनुमान रखे गये है। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

{205}-ग्वालियर आयाकट क्षेत्र विकास

आयाकट विकास से संबंधित कमान क्षेत्रों के लिये विकास कार्यो व संबंधित स्थापना व्यय हेतु अनुमान रखे गये है। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

{207}-बरगी आयाकट क्षेत्र विकास

आयाकट विकास से संबंधित कमान क्षेत्रों के लिये विकास कार्यो व संबंधित स्थापना व्यय हेतु अनुमान रखे गये है। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

{211}-बरियारपुर कमाण्ड क्षेत्र विकास

इस शीर्ष के अन्तर्गत कमान क्षेत्रों के लिये मुख्य फील्ड चैनल के निर्माण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{212}-राजघाट कमाण्ड क्षेत्र विकास

इस मुख्य शीर्ष में फील्ड चैनल के निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

{213}-पेंच डायवर्सन केडवम परियोजना

कमान क्षेत्र विकास के लिए पेंच डायवर्सन केडवम परियोजना हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{214}-थांवर केडवम परियोजना

थांवर केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{215}-महुअर मध्यम इंरीगेशन केडवम परियोजना

महुअर मध्यम इंहीगेशन केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{216}-सगड मध्यम केडवम परियोजना

सगड मध्यम केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{217}-बिलगांव मध्यम केडवम परियोजना

बिलगांव मध्यम केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{218}-सिंहपुर बैराज केडवम परियोजना

सिंहपुर बैराज केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{219}-महान वृहद केडवम परियोजना

महान वृहद केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{220}-कछाल मध्यम केडवम परियोजना

कछाल मध्यम केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{221}-रेहटी मध्यम केडवम परियोजना

रेहटी मध्यम केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{222}-संजय सागर (बाहा) केडवम परियोजना

संजय सागर केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{223}-सिंध फेस-2 केडवम परियोजना

सिंध फेस-2 केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{224}-बर्घरू मध्यम केडवम परियोजना

बर्घरू मध्यम केडवम परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

राज्य स्तरीय आयाकट सेल के स्थापना व्यय आदि हेतु प्रावधान रखे गये है। व्यय केन्द्र प्रवर्तित योनान्तर्गत है।

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक

{800}-अन्य व्यय

ड्रिप परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यो हेतु प्रावधान रखा गया है।

[11]-चंबल परियोजना

{800}-अन्य व्यय

परियोजना अंतर्गत निर्मित जल संरचनाओं के सुदृढीकरण के प्रावधान रखे गये है।

[12]-बाण सागर परियोजना यूनिट एक बांध

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

निष्पादन यूनिट स्थापना 1 एवं 2 तथा मंडल एवं मुख्यालय स्थापना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

बाण तथा संलग्न कार्य हेतु प्रावधान रखे गये है।

[13]-बाण सागर परियोजना यूनिट दो
{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

स्थापना व्यय के लिये प्रावधान रखे गये है।
{799}-उच्चत

अंतिम वर्गीकरण अनुसार समायोजन के लिये प्रावधान रखे गये है।
{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के लिये किये जाने वाले व्ययों हेतु प्रावधान रखा गया है।
[18]-बारना परियोजना
{800}-अन्य व्यय

सुधार सुदृढीकरण हेतु प्रावधान रखे गये है।
[19]-तवा परियोजना
{800}-अन्य व्यय

सुधार सुदृढीकरण हेतु प्रावधान रखे गये है।
[20]-अपर बैन गंगा
{800}-अन्य व्यय

सुधार सुदृढीकरण हेतु प्रावधान रखे गये है।
[21]-राजघाट परियोजना
{800}-अन्य व्यय

सुधार सुदृढीकरण हेतु प्रावधान रखे गये है।
[22]-बरियापुर परियोजना
{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

वेतन भत्तो हेतु प्रावधान रखे गये है।
{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों हेतु प्रावधान रखे गये है।
[23]-टिकटोली वितरिका
{800}-अन्य व्यय

सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना हेतु प्रावधान रखे गये है।

[24]-बावनथडी परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

स्थापना व्यय हेतु प्रावधान रखे गये है।

{799}-उच्चत

अंतिम वर्गीकरण अनुसार समायोजन के लिये अनुमान रखे गये है।

{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[26]-सिंध परियोजना द्वितीय चरण

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

स्थापना व्यय के लिये प्रावधान रखे गये है।

{799}-उच्चत

अंतिम वर्गीकरण के अनुसार समायोजन के लिये अनुमान रखे गये है।

{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के व्यय हेतु प्रावधान रखे गये है।

[27]-गरोठ

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[31]-रंगवान परियोजना

{800}-अन्य व्यय

सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना हेतु प्रावधान रखे गये है।

[35]-रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[39]-नई गढी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[50]-शामगढ सुबासरा

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[54]-कोठा बैराज

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[56]-लोअर ओर

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[60]-पार्वती रिंसी वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[61]-सम्राट अशोक सागर परियोजना

{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[63]-पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना

{799}-उच्चंत

अंतिम वर्गीकरण अनुसार समायोजन के लिये अनुमान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[67]-भानपुरा नहर परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[68]-बीना परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[69]-पंचमनगर परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[70]-बानसुजारा परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[71]-गणेशपुरा पिकअप वियर

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[78]-गौण वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[79]-हरसी सुधार सुदृढीकरण

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[80]-सामान्य

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

निर्देशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{052}-मशीनरी तथा उपस्कर

मशीनरी तथा उपस्कर हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[81]-उरी बाग परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[83]-मोहनपुरा परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[84]-कुण्डलियां परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[85]-पतने परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[86]-चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[87]-बंडा वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[88]-चंबल उद्ग्रहन सिंचाई परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[B3]-भानी वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[B4]-हनोता वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[B5]-मोगराखेडा वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[B6]-रिचोरा सिरोल लघु परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[B7]-रिहांड सुक्ष्म परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[B8]-सनकोटा वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[B9]-सीतानगर वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[C1]-सुथालिया वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[C2]-ताप्ती चिल्लुर वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[C3]-मौ रतनगढ वृहद परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[C4]-छिन्दवाड़ा सिंचाई कोम्प्लेक्स

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[10]-आसन बैराज परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[25]-माही

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[36]-तवा परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[40]-कुशलपुरा तालाब योजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[43]-संजय सागर (वाह तालाब)

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[44]-महुअर

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[48]-बरखेडा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[54]-बिलगांव परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[56]-कछाल मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[57]-पवई मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[60]-मझगवां मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[61]-सोनपुर मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[62]-कीटखेडी मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[66]-मध्यम परियोजनाओं का सुधार एवं सुदृढीकरण

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[68]-सूरजपुरा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[69]-तडपेड मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[76]-छीता खुदरी मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[78]-अपर तिलवारा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन तथा प्रशासन

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निदेशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{005}-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[81]-धोलावढ मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[82]-देजल देवडा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[83]-श्यामरी मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[89]-दीवानगंज नहर निर्माण परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[91]-गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[92]-गोपालपुरा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[93]-चोरल मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[94]-मकरोदा रामपुर मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[95]-मुरकी मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[96]-परकुल मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[97]-खरमेर परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[98]-कारम मध्यम सिंचाई परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[99]-पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[A4]-आपचंद मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[A5]-घोघरी मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[A6]-कोपरा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[A7]-मेघा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[A8]-निरगुण मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[A9]-सरकुला मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[B1]-सतलदेही मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[B2]-वर्धा मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-सतही जल

लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सतही जल हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{102}-भू जल

लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए भू जल हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

{202}-बारना हलाली आयाकट क्षेत्र विकास

कमान क्षेत्रों के लिये मुख्य फील्ड चौनल्स के निर्माण हेतु अनुमान रखे गये हैं।

{203}-अपर बैन गंगा आयाकट क्षेत्र विकास

कमान क्षेत्रों के लिये मुख्य फील्ड चौनल्स के निर्माण हेतु अनुमान रखे गये हैं।

{204}-बाण सागर आयाकट क्षेत्र विकास

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

{205}-ग्वालियर आयाकट क्षेत्र विकास

कमान क्षेत्रों के लिये मुख्य फील्ड चौनल्स के निर्माण हेतु अनुमान रखे गये हैं।

{207}-बरगी आयाकट क्षेत्र विकास

कमान क्षेत्रों के लिये मुख्य फील्ड चौनल्स के निर्माण हेतु अनुमान रखे गये है ।

{211}-बरियारपुर कमाण्ड क्षेत्र विकास

कमान क्षेत्रों के लिये मुख्य फील्ड चौनल्स के निर्माण हेतु अनुमान रखे गये है ।

{212}-राजघाट कमाण्ड क्षेत्र विकास

राजघाट कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु प्रावधान रखे गये है ।

{213}-पेंच डायवर्सन केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{214}-थांवर केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{215}-महुअर मध्यम इंरीगेशन केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{216}-सगड मध्यम केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{217}-बिलगांव मध्यम केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{218}-सिंहपुर बैराज केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{219}-महान वृहद केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{220}-कछाल मध्यम केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{221}-रेहटी मध्यम केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{222}-संजय सागर (बाह्य) केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

{223}-सिंध फेस-2 केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

{224}-बर्घरू मध्यम केडवम परियोजना

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये अनुमान रखे गये है।

{103}-सिविल निर्माण कार्य

बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सिविल निर्माण कार्य हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 024
लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल

3053-नागर विमानन

[60]-अन्य वैमानिक सेवाएं

{102}-नौ परिवहन तथा हवाई मार्ग सेवाएं

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत हवाई पट्टियों के रखरखाव एवं वार्षिक संधारण के लिये प्रावधान सम्मिलित है ।

3054-सडक तथा सेतु

[01]-राष्ट्रीय राजमार्ग

{337}-सडक निर्माण -कार्य

इस लघु शीर्ष में नगरीय सीमाओं में उपलब्ध राष्ट्रीय राजमार्गों के वार्षिक संधारण एवं मजदूरी के लिये वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है ।

[03]-राजकीय राजमार्ग

{337}-सडक निर्माण -कार्य

राज्य की शहरी सीमाओं को जोड़ने वाले मार्गों को इस श्रेणी में रखा गया है । इन राजमार्गों के वार्षिक संधारण आदि के लिये वित्तीय व्यवस्था इस लघु शीर्ष में सम्मिलित है । मार्गों के अतिरिक्त पुलों का रख रखाव भी रखे गये अनुमानों से किया जाता है ।

[04]-जिला तथा अन्य सडके

{337}-सडक निर्माण -कार्य

राज्य के जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली एवं ग्रामीण सडकों को उक्त श्रेणी में रखा गया है । मार्गों एवं पुलों के वार्षिक संधारण, वेतन एवं मजदूरी आदि कार्य इस लघु शीर्ष में रखी गयी राशि से किये जाते हैं ।

{800}-अन्य व्यय

राज्य के जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली एवं ग्रामीण सडकों को उक्त श्रेणी में रखा गया है । इन मार्गों एवं इन पर स्थित पुलों के वार्षिक संधारण एवं मजदूरी आदि कार्य इस लघु शीर्ष में रखी गयी राशि से किये जाते हैं ।

[80]-सामान्य

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सामान्य कार्यभारित स्थापना के लिये व्यय आदि के लिये अनुमान रखे जाते हैं ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत विविध व्यय एवं भारित व्यय के लिये अनुमान रखे गये हैं एवं इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत सहायक अनुदान देने के लिये अनुमान रखे गये हैं ।

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-विमान पत्तन

{102}-हवाई अड्डा

विमानन विभाग के अंतर्गत हवाई पट्टियों के निर्माण एवं विस्तार के लिये अनुमान इस लघु शीर्ष में रखे गये है ।

5054-सडकों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

[03]-राज्य राजमार्ग

{101}-सेतु

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत वृहद पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण आदि हेतु अनुमान रखे गये है ।

{337}-सडक निर्माण कार्य

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन, केन्द्रीय सडक निधि, सडकों की विशेष मरम्मत राज्य की सीमाओं को जोडने वाले राज्य मार्गों के निर्माण एवं उन्नतिकरण एवं विदेशी सहायित परियोजना से संबंधित सडकों के निर्माण के लिये अनुमान रखे गये है ।

[04]-जिला तथा अन्य सडकें

{337}-सडक कार्य

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मार्गों के निर्माण सर्वेक्षण, सुधार एवं निर्माण आदि के लिए अनुमान रखे गये है ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में रखे गये अनुमान मूलभूत सेवा के अंतर्गत जिला एवं ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लिये है । इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत मार्गों का निर्माण, एन्चुटी, सर्वेक्षण कार्य के लिये भी वित्तीय व्यवस्था सम्मिलित है ।

[05]-सडकें

{337}-सडक निर्माण कार्य

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत म.प्र. सडक विकास निगम के माध्यम से सडकों के निर्माण के लिये अनुमान रखे गये है ।

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भूमि का क्रय अधिग्रहण संबंधी भुगतान हेतु एवं बी.ओ.टी. मार्गों का निर्माण, एन्चुटी हेतु अनुमान रखा गया है ।

मांग संख्या - 025

खनिज साधन

2853-अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

[02]-खानों का विनियमन तथा विकास

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय, भौमिकी एवं खनिज कर्म के मुख्यालय में कार्यरत अमले के वेतन, भत्ते आदि का व्यय दर्शाया गया है। यह अमला प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण करता है।

{004}-अनुसंधान तथा विकास

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खनिजों के उत्खनन, विकास आदि के संबंध में किये जाने वाला व्यय दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला, सांख्यिकी कक्ष, अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है।

{101}-सर्वेक्षण तथा मानचित्रण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खनिज क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा उनके मानचित्रिकरण, संभागीय स्तर पर उडनदस्ते एवं मेसर्स कोल इंडिया लिमि. के लिये कोल पूर्वक्षण योजनाओं का व्यय दर्शाया गया है।

{102}-खनिज खोज (समन्वेषण)

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत चूना एवं बाक्साइट भंडारों का छेदन, झाबुआ जिले में राक फासफेट का अन्वेषण, आदिवासी क्षेत्रों में खनिज तालिका तैयार करने, मिनरल इकानामी एवं क्षेत्रीय प्रतिवेदन कक्ष एवं अन्य खनिजों के सर्वेक्षण के लिये अनुमान रखे गये हैं।

{797}-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण

अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग के लिए आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अन्तरण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खनिज अधिकार का रक्षित निधि में अंतरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्य, विशेष सेवाओं की अदायगियों हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4853-अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-खनिज अन्वेषण तथा विकास

{004}-अनुसंधान तथा विकास

खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिये अनुसंधान तथा विकास अंतर्गत प्रयोगशाला कार्य हेतु मशीने एवं संयंत्र, उपकरण क्रय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

[02]-अलोह धातु

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के लिये प्रावधान दर्शाया गया है।

मांग संख्या - 026

संस्कृति

2202-सामान्य शिक्षा

[03]-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

{103}-राजकीय कालेज और संस्थान

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ललित कला संस्थान एवं संगीत महाविद्यालय की स्थापना व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है।

2205-कला एवं संस्कृति

[00]-कला एवं संस्कृति

{102}-कला एवं संस्कृति का संवर्धन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय, अर्थाभाव ग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों, कलाकारों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्व विद्यालयों में सृजनपीठ की स्थापना, रामपथ विकास, बाल साहित्य शोध केन्द्र, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना, समारोह के आयोजन हेतु अनुदान, रवीन्द्र भवन का स्थापना व्यय, हिन्दी एवं अन्य बोलियों का विकास, अशासकीय संस्थाओं को पोषण अनुदान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य एवं वीरभारत योजना हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य नाट्य विद्यालय की स्थापना, चित्रकूट में लीला गुरुकुल की स्थापना, रेडियों आजाद हिन्द आदि के लिये प्रावधान रखे गये है।

{103}-पुरातत्व विज्ञान

पुरातत्व संचालनालय पुरातत्व के अमले के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय आदि लघु निर्माण कार्य, पुरातत्वीय संस्थाओं को अनुदान देने, कन्जरवेशन एवं संवर्धन, उत्खनन तथा सर्वेक्षण कार्य, प्रकाशन एवं प्रदर्श 2005, सूचना प्रौद्योगिकी के लिये प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही पुरातत्वीय महत्व की कलाकृतियों को क्रय करने, स्मारकों के अनुरक्षण एवं पुरातत्वीय क्षेत्र में नवीन खोजों की जानकारी के लिये भी प्रावधान सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत पुरावशेषों के पंजीयन की योजना तथा डॉ. वी.एस. वाकणकर सृजन पीठ की स्थापना के लिये अनुदान रखा गया है।

{104}-अभिलेखागार

अभिलेखागारों के अमले के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं अन्य प्रकार के व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है।

{105}-सार्वजनिक पुस्तकालय

पुरातत्व संचालनालय के पुस्तकालयों हेतु प्रावधान रखा गया है।

{107}-संग्रहालय

इस शीर्ष में संग्रहालयों संचालनालय एवं प्रदेश के संग्रहालयों के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं संग्रहालयों के अनुरक्षण एवं अनुदान देने के लिये प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही संग्रहालय, संग्रहालयों का युक्तियुक्तकरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान के लिये भी प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

विभिन्न परिषदों अकादमियों को विकास अनुदान एवं पोषण अनुदान और स्वराज भवन, शहीद भवन के व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है। 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत भवन को विकास अनुदान, राज्य पुरालेख संचालनालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्मारकों के अनुरक्षण कार्य, संग्रहालयों का उन्नयन एवं रेडियो आजाद हिन्द की स्थापना, धर्मपाल शोध पीठ, विक्रमादित्य शोध पीठ, महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान, महर्षिवेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान, भारत भवन में रंगमंडल की स्थापना, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद विकास अनुदान, स्वामी विवेकानंद 150 वां जन्म वर्ष समारोह एवं पालिसी रिफार्म, इन्टरप्राइज विजन 2018 आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

2217-शहरी विकास

[01]-राज्य की राजधानी का विकास

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में राज्य की राजधानी का विकास (800) अन्य व्यय के अंतर्गत भारत भवन एवं संस्कृति भवन के अनुरक्षण हेतु प्रावधान रखा गया है।

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

[02]-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

{110}-राज्य विवरणीका तथा सांख्यिकीय संस्मरण

इस शीर्ष में जिलो के गजेटीयर तैयार किये जाने के कार्य से जुड़े अमले के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण कार्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

गजेटीयर जिले एवं क्षेत्र की समस्त जानकारियों की निर्देशिका एवं संदर्भ संकलित करना है।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[04]-कला तथा संस्कृति

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वेदान्त पीठ की स्थापना, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भवन निर्माण एवं म.प्र. संस्कृति परिषद विकास अनुदान एवं संगीत महाविद्यालय खण्डवा, नरसिंहगढ, उज्जैन का भवन निर्माणस टैगोर कला सकुल विदिशा, खण्डवा एवं शहीदों की स्मृति में स्मारक निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 027
स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)

2202-सामान्य शिक्षा

[01]-प्रारंभिक शिक्षा

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड अधिकारी स्तर के कार्यालयों के शासकीय सेवकों के वेतन, भत्ते, कार्यालयीन व्यय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, अनुरक्षण कार्य, उत्कृष्टता पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है ।

{101}-राजकीय प्राथमिक विद्यालय

इस शीर्ष के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षको एवं अन्य शासकीय सेवकों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी कार्य, प्राथमिक शालाओं में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन को देय अनुदान, कस्तुरबा ग्राम बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु एवं बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बालिकाओं को गणवेशों का प्रदाय तथा बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु एन.पी.जी.ई.एल. योजना, संपूर्ण शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अमले का वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान हेतु, आई.डी.एम.आई. योजना अन्तर्गत व्यय के लिये तथा मदरसा बोर्ड को अनुदान, आर.टी.ई. के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, स्काउट गार्ड गतिविधियां, माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान एवं मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस का प्रावधान रखा गया है ।

{102}-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अमले को देय पोषण अनुदान तथा वेतन के अलावा अतिरिक्त वर्ग के लिये अनुदान व केन्द्र से सहायता प्राप्त राशि का मदरसा आधुनिकीकरण के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{107}-अध्यापक प्रशिक्षण

इस शीर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अमले के वेतन भत्ते, कार्यालय, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, सामग्री पूर्तियों के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{108}-पाठ्य पुस्तकें

इस शीर्ष में निःशुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, वृत्तियां, संपूर्ण शिक्षित ग्राम योजना, निशुल्क सायकल प्रदाय, कस्तुरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में बालिका छात्रावासों के विभिन्न व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं ।

[02]-माध्यमिक शिक्षा

{101}-निरीक्षण

इस शीर्ष में ई-गवर्नेंस के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{105}-अध्यापक को प्रशिक्षण

इस शीर्ष में राज्य की विज्ञान संस्था, जबलपुर एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा अंग्रेजी शिक्षा पढाई संस्थान भोपाल, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के वेतन भत्तों कार्यालय व्यय, शिक्षण प्रोत्साहन योजना, साक्षर भारत शाला भवन तथा छात्रावासों पर संधारण व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है।

{110}-अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अशासकीय माध्यमिक शालाओं को पोषण अनुदान हेतु प्रावधान रखा गया है।

[03]-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

{103}-राजकीय कालेज और संस्थान

इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित पी.जी.बी.टी. कालेज एवं सरकारी शिक्षा महाविद्यालय तथा अन्य महाविद्यालयों के लिये वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, सोलर लाईट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिकेशन आफ स्कूल प्राथमिक स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु निधि, एक्स्टेंशन आफ स्कूल के लिये प्रावधान रखा गया है।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सामान्य शिक्षा

{201}-प्रारम्भिक शिक्षा

इस शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों का निर्माण, स्कूल शिक्षा के लिये समेकित भवन निर्माण, शालाओं में बाउन्ड्रीवाल, शौचालयों का निर्माण, बालिका छात्रावासों की सुरक्षा एवं चौकीदार रूम हेतु प्रावधान किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की मूलभूत सुविधा के लिये प्रावधान रखा गया है।

[02]-तकनीकी शिक्षा

{105}-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

इस शीर्ष के अंतर्गत अंग्रेजी पढाई, शालाओं में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत निर्माण कार्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

[03]-खेलकूद तथा युवा सेवा

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत सरकारी शिक्षा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।

[04]-कला तथा संस्कृति

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण तथा छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 028

राज्य विधान मंडल

2011-संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल

[02]-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल

{101}-विधान सभा

इसमें विधानसभा सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय के साथ ही कार्यालय व्यय, वाहन क्रय इत्यादि के लिये व्यवस्था की जाती है। इसी मद में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित आर्थिक सहायता, अनुदान, अतिथि तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के लिये प्रावधान रखा गया है।

{103}-विधानमण्डल सचिवालय

इसमें विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों तथा संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय के लिये व्यवस्था की जाती है। इसी मद में विधानसभा सचिवालय के कार्यालय व्यय, संसदीय कार्य विभाग के कार्यालय व्यय, पेट्रोल, वाहन इत्यादि के लिये व्यवस्था की जाती है।

मांग संख्या - 029
विधि और विधायी कार्य

2014-न्याय प्रशासन

[00]-न्याय प्रशासन

{102}-उच्च न्यायालय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के व्यय हेतु व्यवस्था शामिल की गई है ।

{105}-सिविल और सेशन न्यायालय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायाधीशों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये व्यय शामिल किया गया है ।

{114}-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (कांउंसिल)

इस शीर्ष लघु शीर्ष के अन्तर्गत महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना तथा मुफसिल स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ते, अंतरिम राहत, चिकित्सा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, अन्य भत्ते, मकान किराया, मजदूरी, यात्रा व्यय, शासकीय अभिभाषकों एवं प्रायवेट अभिभाषकों को देय शुल्क, विधि व्यय, सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरणों के परिचालन हेतु शुल्क देय के लिये प्रावधान शामिल किया गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस उपशीर्ष के अधीन अभिभाषक संघों को पुस्तकालयों हेतु अनुदान माननीय मुख्य मंत्रीजी विधि मंत्रीजी एवं अन्य मंत्री गणों द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन एवं परिवार न्यायालय स्थापित करने हेतु प्रावधान को शामिल किया गया है ।

2015-निर्वाचन

{102}-निर्वाचन अधिकारी

इस उप शीर्ष के अन्तर्गत चुनाव कार्य के लिये स्वीकृत अमले के वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया, अंतरिम राहत, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तेल, किराया महसूल एवं कर, वाहनों का क्रय आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{103}-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत मतदाता सूची तैयार करने हेतु व्यय एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का कार्य संपादित करने वाली फार्मों के देयकों का भुगतान करने हेतु व्यय किया जाता है । व्यय के पचास प्रतिशत की पूर्ति भारत सरकार द्वारा वहन की जावेगी ।

{105}-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लोक सभा उप चुनाव संपन्न कराये जाने हेतु यात्रा देयकों का भुगतान संबंधी व्यय शामिल किया गया है ।

{106}-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार

चुनाव संबंधी समस्त व्यय राज्य शासन के बजट से लिये जाते हैं । बाद में लोक सभा चुनाव संबंधी व्यय की शत प्रतिशत राशि तथा सामान्य व्ययों एवं नामावलियों के व्ययों की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा की जाती है । राज्य विधान मंडल का निर्वाचन कराने का संपूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है ।

{108}-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

मतदाताओं को फोटो परिचय-पत्र जारी करने हेतु प्रावधान रखा गया है ।

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{090}-सचिवालय

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल किया गया है ।

{091}-संलग्न कार्यालय

मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था लिये प्रावधान शामिल किया गया है ।

{800}-अन्य व्यय

सचिवालय - सामान्य सेवाएं के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[01]-अनुसूचित जातियों का कल्याण

{800}-अन्य व्यय

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

{200}-अन्य कार्यक्रम

इस लघु शीर्ष में मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है ।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-कार्यालय भवन

{051}-निर्माण

लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्माण हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय

{106}-साधारण पूल आवास

आवास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए साधारण पूल आवास हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

[00]-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

{202}-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि के लिए मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 030

ग्रामीण विकास

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[02]-मल-जल तथा सफाई

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य जल स्वच्छता मिशन को अनुदान देने हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2216-आवास

[03]-ग्रामीण आवास

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत ग्रामीण आवास के रख-रखाव के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

[02]-सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद संबंधी प्रावधान रखे गये हैं।

[06]-स्वरोजगार कार्यक्रम

{101}-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2505-ग्रामीण रोजगार

[01]-राष्ट्रीय कार्यक्रम

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

ग्रामीण रोजगार के लिए ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{702}-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

इस शीर्ष के अंतर्गत भू-जल प्रबंध संस्थान के लिये प्रावधान रखा गया है।

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

[00]-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अन्तर्गत विकास आयुक्त, विकास खण्ड कार्यालय संभाग एवं जिला स्तरीय के वेतन के भत्ते आदि तथा जन अभियान परिषद के गठन हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{003}-प्रशिक्षण

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु अपेक्स संस्थान तथा अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है ।

{102}-सामुदायिक विकास

इस शीर्ष के अंतर्गत खण्ड कार्यालय भवनों में विद्युतीकरण व्यवस्था हेतु प्रावधान किया जाता है ।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबन्ध अमले में वेतन भत्ते आदि का प्रावधान तथा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु प्रावधान रखा गया है ।

3054-सडक तथा सेतु

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

सडक तथा सेतु के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, राज्य ग्रामीण सडक कनेक्टिविटी, सम्मिति किये जाते हैं ।

मांग संख्या - 031
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

{101}-योजना आयोग/योजना बोर्ड

इस मद में राज्य योजना मण्डल कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है। इसके अन्तर्गत नियुक्त अशासकीय सदस्यों को राज्य योजना मंडल की बैठकों में भाग लेने हेतु मानदेय के लिये प्रावधान शामिल है।

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

[01]-जनगणना

{101}-जनगणना आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण

बुन्देलखण्ड, महाकौशल एवं विन्ध्य विकास प्राधिकरण के गठन के कारण पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों की व्यवस्था के लिये प्रावधान शामिल है।

[02]-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अन्तर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय के कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा जिला स्तर के आय के अनुमान तैयार करने हेतु पदस्थ अमले के कार्यालय व्यय हेतु व्यय के अनुमान रखे जाते हैं।

{111}-जन्म-मृत्यु सांख्यिकी

इस शीर्ष के अन्तर्गत जन्म - मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण करने हेतु कार्यालय व्यय हेतु अनुमान रखे जाते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत जन्ममृत्यु अधिनियम 1969 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के थानों के उन मोहरिरीं को जो जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य करते हैं, मानदेय प्रदान करने एवं स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु अनुमान रखे जाते हैं। इसी शीर्ष के अंतर्गत संभागीय एवं जिला सांख्यिकी तंत्र के सुदृढीकरण हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

{201}-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

इस शीर्ष के अन्तर्गत इण्डियन एकानामी एसोसियेशन योजनान्तर्गत अमले के वेतन भत्तों हेतु व्यय के अनुमान रखे जाते हैं।

{203}-कम्प्यूटर सेवाएं

इस शीर्ष के अन्तर्गत संगणक कार्यालय हेतु बिजली, पानी, मजदूरी सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

{206}-आधार नम्बर पहचान योजना (यू.आई.डी.)

आधार नंबर पहचान योजना (यू.आई.डी.) के अन्तर्गत प्रदेश के नागरिकों को यू.आई.डी. कार्ड जारी किये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत आर्थिक गणना के संकलन करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि तथा जन अभियान परिषद के लिये प्रावधान किया जाता है ।

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

{103}-ग्रामीण विकास

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए ग्रामीण विकास हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 032

जनसंपर्क

2013-मंत्रिपरिषद

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2015-निर्वाचन

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2029-भू राजस्व

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2039-राज्य उत्पाद शुल्क

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2041-वाहन कर

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं

{103}-अल्प बचतों की अभिवृद्धि

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2051-लोक सेवा आयोग

{102}-राज्य लोक सेवा आयोग

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{090}-सचिवालय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2053-जिला प्रशासन

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2054-खजाना और लेखा प्रशासन

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2055-पुलिस

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2056-जेल

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2075-विविध सामान्य सेवाएं

{102}-विभाजन पूर्व अदायगियां

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2202-सामान्य शिक्षा

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2203-तकनीकी शिक्षा

[00]-तकनीकी शिक्षा

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2205-कला एवं संस्कृति

{001}-निदेशन और प्रशासन

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[01]-जल पूर्ति

{800}-अन्य व्यय

इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2217-शहरी विकास

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

उपरोक्त के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापन प्रचार प्रसार हेतु प्रावधान किया जाता है ।

2220-सूचना तथा प्रचार

[01]-फिल्म

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाएं एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने एवं जन सामान्य की समस्याओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से तथा सामाजिक समाचार, फीचर्स, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार प्रसार की गतिविधियों को अंजाम देने हेतु तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते कार्यालय व्यय आदि हेतु तथा प्रशिक्षण के लिये प्रावधान किया गया है । पत्रकारिता पुरस्कार एवं प्रशिक्षण के लिये भी प्रावधान किया गया है ।

{105}-फिल्मों का निर्माण

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत फिल्मों के माध्यम से जन जागृति कराने के उद्देश्य के लिये चलचित्र इकाई की स्थापना अमले के वेतन भत्ते आदि हेतु प्रावधान किया गया है ।

[60]-अन्य

{101}-विज्ञापन और द्रश्य प्रचार

सूचना तथा प्रचार के लिए विज्ञापन और द्रश्य प्रचार हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{106}-क्षेत्र प्रचार

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत विशेष अवसरों पर प्रसार जिला प्रचार के व्यय, समन्वित प्रचार प्रसार, जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार से संबंधित व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है।

{110}-प्रकाशन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है।

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[02]-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है।

2230-श्रम तथा रोजगार

[01]-श्रम

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[02]-समाज कल्याण

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है।

2251-सचिवालय - सामाजिक सेवाए

[00]-सचिवालय - सामाजिक सेवाए

{090}-सचिवालय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है।

2401-फसल कृषि कर्म

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है।

2403-पशु पालन

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2405-मछली उद्योग

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

[01]-वानिकी

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2425-सहकारिता

[00]-सहकारिता

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत योजनाओं की उपलब्धियों, सामाजिक कुरुतियों के उन्मूलन संबंधी जानकारी संगीत, नाटक के माध्यम से जन जन को सुलभ कराने के उद्देश्य से अमले के वेतन आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2701-मध्यम सिंचाई

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2702-लघु सिंचाई

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2810-अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत

[60]-अन्य

{800}-अन्य व्यय

अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

[00]-ग्राम तथा लघु उद्योग

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से लिये प्रावधान रखा गया है |

2852-उद्योग

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है |

3054-सड़क तथा सेतु

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है |

3452-पर्यटन

[01]-पर्यटक अवसंरचना

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है |

3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

[00]-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के संबंध में जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य के लिये प्रावधान रखा गया है |

{101}-भवन

सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय के लिए भवन हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

मांग संख्या - 033
आदिमजाति कल्याण

2059-लोक निर्माण कार्य

[01]-कार्यालय भवन

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

इस शीर्ष के अन्तर्गत छात्रावास आश्रमों के संधारण एवं अनुरक्षण के लिये व्यय के प्रावधान रखे गये हैं।

2202-सामान्य शिक्षा

{101}-राजकीय प्राथमिक विद्यालय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं में कार्यरत अमले के लिये वेतन भत्ते तथा ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान देने के लिये प्रावधान रखा गया है।

[02]-माध्यमिक शिक्षा

{109}-राजकीय माध्यमिक विद्यालय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत माध्यमिक शालायें, उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कार्यरत अमले के लिये वेतन भत्ते के लिये प्रावधान रखा गया है।

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[01]-अनुसूचित जातियों का कल्याण

{001}-निदेशन और प्रशासन

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए निदेशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[02]-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत संचालनालय, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर वित्तीय नियंत्रण, विशेष पिछड़ा समूह प्रकोष्ठ, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर का उन्नयन तथा पुनर्गठन, आदिम जाति क्षेत्रिय विकास योजनाएं, आदिवासी विकास प्राधिकरण विकास खण्डों का पुनर्गठन, वित्तीय प्रकोष्ठ योजानन्तर्गत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं विभिन्न अन्य मदों में व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है।

{102}-आर्थिक विकास

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालित है, इसमें आदिवासी बच्चों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने हेतु प्रावधान रखा गया है। तथा कानूनी सहायता योजना संचालित है, इसमें आदिवासियों को कोर्ट फीस आदि के भुगतान हेतु प्रावधान रखा गया है।

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

|

{277}-शिक्षा

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत म.प्र. अनुसूचित जनजाति आयोग, कन्या शिक्षा परिसर, क्रीडा परिसर तथा इनके भवन निर्माण कार्य हेतु अमला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्तियां आश्रम और शालाएं, छात्रावास, राज्य छात्र वृत्तियां अशासकीय संस्थाओं को कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय, पटवारी, प्रशिक्षण वृत्तियां, प्राविण्य छात्रवृत्तियां, विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल को परिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान संचालित है, जिनके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों का मानसिक एवं गुणात्मक विकास किये जाने हेतु शिक्षा की व्यवस्था है, इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं विभिन्न मदों में व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत राहत योजना, आदिवासी अन्वेषण संस्था संचालित है, इनमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं विभिन्न मदों में व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है ।

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

[00]-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{101}-पंचायती राज

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पंचायती राज हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

{102}-सामुदायिक विकास

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत परियोजना मुख्यालय योजना संचालित है, इसमें विकासखण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है ।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सामान्य शिक्षा

{202}-माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

{102}-आर्थिक विकास

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए आर्थिक विकास हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

{277}-शिक्षा

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए शिक्षा हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

{800}-अन्य व्यय

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 034
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

{001}-निदेशन और प्रशासन

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष में निर्देशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत संचालनालय समाज कल्याण के कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय आदि तथा योजना एवं सांख्यिकी इकाई का सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिये अमला, मूक - बधिरों को फोटोग्राफी प्रशिक्षण केन्द्र और अमला हेतु तथा अपंग कल्याण योजनाओं के प्रभावी संचालन मुख्यालय हेतु अतिरिक्त अमले के वेतन भत्ते संबंधी व्यय तथा अन्त्योदय मेला आयोजन हेतु प्रावधान रखा गया है। कला पथक योजना एवं जिला मुख्यालय के वेतन भत्ते, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य आदि का प्रावधान शामिल है।

{101}-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिये शालाएं तथा संस्थाएं, राज्य स्तरीय अपंग कल्याण संस्थान की स्थापना, विकलांग तथा अपंगों की सहायता के लिये योजनान्तर्गत अंध-मूक बधिरों की शालाओं को अनुदान तथा अंध-मूक बधिरों को छात्रवृत्तियां दिये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

{104}-वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत भिक्षुक प्रवेश केन्द्र एवं कर्मशाला संचालित किये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

{106}-सुधारक सेवाएं

इस लघु शीर्ष में मध्य प्रदेश किशोर न्याय-अधिनियम नियम के अन्तर्गत संस्थाएं एवं सुधारात्मक सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{200}-अन्य कार्यक्रम

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत कला पथक, दूरदर्शन कार्यक्रम आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत समाज कल्याण संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जाने तथा दधीची पुरस्कार के लिये तथा समाज कल्याण संस्थाओं को सहायक अनुदान, समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निकाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

{101}-निर्धन परिवारों के लिये वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम के लिये कृत्रिम अंग वितरण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{102}-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम के लिये समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{110}-अन्य बीमा योजनायें

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम के लिये अन्य बीमा योजनाओं हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{191}-नगर निगमों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम के लिये पेंशन योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम के लिये पेंशन योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम के लिये पेंशन योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत भिक्षु गृह की स्थापना, वृद्धजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम, नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 035
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

[01]-पुनर्वास

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्वास आयुक्त एवं उनके स्टाफ के अन्य पदस्थ कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये राशि का प्रावधान किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस मद के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के मुआवजा आदि के भुगतान का प्रावधान किया जाता है।

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

[00]-ग्राम तथा लघु उद्योग

{001}-निदेशन और प्रशासन

राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट कारीडोरर्स के विकास अंतर्गत अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है।

{101}-औद्योगिक क्षेत्र

ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{102}-लघु उद्योग

बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्रों के अनुसंधान, रानी दुर्गावती सहायता योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{108}-बिजली करघा उद्योग

पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय, ब्याज अनुदान हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{200}-अन्य ग्रामोद्योग

ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरण एवं जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

एम.एस.एम. ई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन, सुविधा हेतु परामर्शी सेवाओं की अदायगी, म.प्र. राज्य उद्योग निगम के विधिक बंटीकरण एवं रख रखाव हेतु राज सहायता, म.प्र. ट्रेडफेयर अथारिटी को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इन्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन कौंसिलिंग का गठन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, उपकरण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-औद्योगिक बस्तियां

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्राम तथा लघु उद्योगों हेतु भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज हेतु पूंजीगत परिव्यय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास, नवीन जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के भवनों का निर्माण हेतु प्रावधान रखे गये है।

{800}-अन्य व्यय

एकजीविशन सेंटर की स्थापना, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अनुदान एवं कलस्टरों की स्थापना अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय हेतु प्रावधान रखे गये है।

मांग संख्या - 036

परिवहन

2041-वाहन कर

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस मद के अन्तर्गत विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मजदूरी, कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण, स्मार्ट कार्ड योजना एवं विभाग का सुदृढीकरण एवं पुर्नसंरचना हेतु नवीन पदों के सृजन, कार्यालय सुविधाओं का विस्तार, लघु निर्माण कार्य जिला कार्यालयों में जन सुविधाओं का विस्तार, जीर्ण-शीर्ण फर्नीचर का प्रतिस्थापन, चालक परिचालक कल्याण कोष को सहायता एवं अभिलेख संधारण व्यवस्था उन्नयन हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{101}-संग्रहण प्रभार

इस मद में परिवहन आयुक्त कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के वेतन भत्ते, गोपनीय सेवा व्यय, अन्तर लेखा अन्तरण तथा डिक्रीधन के भुगतान के लिये प्रावधान रखे गये हैं। कार्यालय सुविधाओं का विस्तार, लघु निर्माण कार्य, विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

{102}-मोटर वाहनों का निरीक्षण

इस मद के अन्तर्गत मोटर वाहनों के निरीक्षण हेतु उडनदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना के वेतन भत्ते आदि के लिये राशि का प्रावधान किया गया है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[80]-सामान्य

{201}-भूमि का अर्जन

इस मद में समेकित चेक पोस्ट के भूमि अर्जन, कार्यालय भवनों का निर्माण, परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन व 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण, चार महानगरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में कौशल विकास केन्द्रों एवं मुख्यालय जिला कार्यालयों का निर्माण एवं उपायुक्त कार्यालयों का निर्माण आदि संबंधित प्रावधान रखे गये हैं।

6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

[00]-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत म.प्र. सडक परिवहन निगम को उसकी देनदारियों जैसे निगम के शेष बचे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एवं अन्य संस्थाओं की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

मांग संख्या - 037

पर्यटन

3452-पर्यटन

[01]-पर्यटक अवसंरचना

{101}-पर्यटक केंद्र

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत युवा एवं साहसिक कार्य हेतु सहायता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्थानीय संस्थाओं पंजीकृत संस्थाओं के अनुदान, केन्द्रीय योजनाओं का संधारण एवं संचालन, मेला उत्सव के लिये अनुदान, पर्यटन केन्द्रों का विकास एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा, जबलपुर तथा होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल एवं पालिसी रिफार्म, इन्टरप्राइज विजन 2018 एवं हवाई उड़ान सेवा के लिये अनुदान आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पर्यटन संवर्धन इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना एवं प्रचार हेतु अनुदान, पर्यटन प्रचार प्रसार के अंतर्गत निगम द्वारा प्रदेश के बाहर स्थित पर्यटन कार्यालयों के संचालन एवं संधारण व पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य व्यवस्था का संचालन, पर्यटन का विकास, हेरिटेज होटल के लिये ब्याज सबसिडी, संपत्तियों के नवीनीकरण अनुरक्षण हेतु सहायता आदि के लिये प्रावधान किया गया है।

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पर्यटन संचालनालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा समस्त कार्यालय व्यय, प्रबंधकों को भू-विनिवेश हेतु सेवा प्रभार के लिये म.प्र. पर्यटन के मास्टर प्लान हेतु सहायता, मार्केटिंग कार्यालयों की स्थापना व्यय हेतु सहायता, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग हेतु सहायता आदि हेतु प्रावधान किया गया है।

{003}-प्रशिक्षण

पर्यटन के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को राजगार हेतु प्रशिक्षण हेतु प्रावधान रखा गया है।

5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-पर्यटक अवसंरचना

{101}-पर्यटक केन्द्र

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन एवं संधारण तथा यात्रिकाओं के निर्माण में राज्य शासन का अंशदान दिया जाता है एवं जल पर्यटन विकास हेतु म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्यटन जनसुविधा केन्द्रों का विकास हेतु प्रावधान रखा गया है।

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पर्यटन निगम की इकाइयों के उन्नयन हेतु प्रावधान किया गया है एवं होटल प्रबंध संस्थान के भवन निर्माण, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को सहायता एवं म.प्र. पर्यटन विकास निगम की अंशपूंजी में धनवेष्ठन के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

म.प्र. पर्यटन के मास्टर प्लान हेतु प्रावधान रखे गये है।

{003}-प्रशिक्षण

इस शीर्ष के अंतर्गत लाइट एण्ड साउंड शो, पर्यटन सांख्यिकी कार्य हेतु प्रावधान रखे गये है।

{104}-संवर्धन तथा प्रचार

पर्यटन के लिये संवर्धन तथा प्रचार हेतु प्रावधान रखे गये है।

{800}-अन्य व्यय

पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 038

आयुष

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

[01]-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत अन्य व्यय से संबंधित प्रावधान रखे गये हैं।

[02]-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां

{101}-आयुर्वेद

इस शीर्ष में संचालनालय आयुर्वेद, प्रशासन का सुदृढीकरण, आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो जिला आयुर्वेद कार्यालय के अमले के वेतन, भत्ते, दवाईयों का क्रय व अस्पतालों से संबंधित अन्य व्यय, आयुष अकादमी की स्थापना, ड्रग कन्ट्रोल (आयुष) कार्यालय की स्थापना, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां, चिकित्सा गारंटी योजना आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{102}-होम्योपैथी

इस शीर्ष में होम्योपैथिक औषधालयों एवं महाविद्यालयों तथा शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय पर होने वाले व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है।

{103}-यूनानी

इस शीर्ष में यूनानी अस्पताल तथा यूनानी फार्मसी, औषधालय तथा भोपाल में यूनानी महाविद्यालय से संबंधित व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है।

[03]-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी

{101}-स्वास्थ्य उप - केन्द्र

इस शीर्ष के अंतर्गत एलोपैथी स्वास्थ्य उपकेन्द्र के संचालन हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[04]-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां

{101}-आयुर्वेद

इस शीर्ष में आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय तथा अन्य अस्पतालों से संबंधित व्यय हेतु प्रावधान रखा गया है।

[05]-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

{101}-आयुर्वेद

इस शीर्ष में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से संबंधित व्यय तथा आयुर्वेदिक अन्वेषण के प्रसार, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान एवं अशासकीय संस्थाओं को अनुदान, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, योग क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिये प्रावधान रखा गया है।

{102}-होमियोपैथी

इस शीर्ष में अशासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों से संबंधित व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है ।

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

{ 101 }-स्वास्थ्य उप-केन्द्र

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्र हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

{ 110 }-अस्पताल तथा औषधालय

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अस्पताल तथा औषधालय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

[03]-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

{ 101 }-आयुर्वेद

इस शीर्ष के अन्तर्गत आयुर्वेदिक महाविद्यालय भवन निर्माण के लिये प्रावधान रखा गया है ।

[04]-लोक स्वास्थ्य

{ 101 }-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए रोगों का निवारण तथा नियंत्रण हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 039

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

2408-खाद्य, भंडारण और भांडागार

[01]-खाद्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत संचालनालय, जिला कार्यालय एवं उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मजदूरी, यात्रा, कार्यालय व्यय एवं पुरस्कार योजना से संबंधित खर्चों के लिये प्रावधान किया जाता है ।

{101}-प्रापण तथा पूर्ति

खाद्य, भंडारण और भांडागार के लिए प्रापण तथा पूर्ति हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

{102}-खाद्य सहायता

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली निम्न योजनाओं के संचालन हेतु बजट अनुमान में प्रावधान रखा गया है ।(570) उचित मूल्य की दुकानों का सहकारीकरणशासन नीति के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है । इन दुकानों से निर्धारित मापदण्ड अनुसार राशि प्रतिपूर्ति हेतु इस योजना में प्रावधान रखा जाता है ।(3229) मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्तिमध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शासन की उपार्जन नीति अनुसार खाद्यान्न का उपार्जन का कार्य किया जाता है । उपार्जन कार्य में यदि निगम को हानि उठानी पडती है तो उसकी पूर्ति इस योजना के अन्तर्गत रखे प्रावधान से की जाती है ।(3248) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्तिइस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन के कार्य में यदि हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति इस योजना से की जाती है ।(7165) खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजनाप्रदेश में खाद्यान्न उपार्जन काफी अधिक मात्रा में हो रहा है तथा शासकीय गोदामों की उपलब्धता काफी सीमित है । अतः निजी वेयर हाऊस संचालकों के अधिक से अधिक मात्रा में गोदाम प्राप्त करने हेतु साढे तीन माह की गारंटी प्रदाय करने हेतु प्रावधान किया गया है ।

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

खाद्य, भंडारण और भांडागार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को 5 लीटर कुपी प्रदान करने की योजना तथा उपभोक्ता कल्याण योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं ।

[02]-भंडारण तथा भांडागार

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

खाद्य, भंडारण और भांडागार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

[00]-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

{106}-भार और माप का विनियमन

नाप तौल विभाग उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विभाग है। व्यापारिक लेन देन एवं औद्योगिक संस्थान में प्रयोग में लाये जा रहे उपकरणों की जांच कर सील लगाना विभाग का दायित्व है। बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 85 के अंतर्गत व्यापारिक संस्थान अथवा औद्योगिक संस्थान द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे उपकरणों का सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाता है। नाप तौल के कार्यवेक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिये स्वीकृत अमले, आवश्यक उपकरण, प्रयोगशाला संचालक आदि के लिये व्यय हेतु अनुमान रखे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण सप्ताह पर प्रतिवर्ष परिचर्चा प्रदर्शनी आदि के आयोजन के लिये व्यय हेतु अनुमान भी इस लघुशीर्ष में शामिल है।(5474) प्रयोगशाला कार्यालय भवन का निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

4408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-खाद्य

{800}-अन्य व्यय

खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[02]-भंडारण और भंडागार

{800}-अन्य व्यय

खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

6408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज

[01]-खाद्य

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[02]-भंडारण और भंडागार

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

इस शीर्ष के अंतर्गत अन्न का क्रय तथा गोदाम के निर्माण हेतु ऋण के प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 040

स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

2202-सामान्य शिक्षा

[01]-प्रारंभिक शिक्षा

{800}-अन्य व्यय

सामान्य शिक्षा के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[02]-माध्यमिक शिक्षा

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत संयुक्त संचालक विधि एवं खेल प्रकोष्ठ कार्यालय तथा संयुक्त संचालक कार्यालयों के वेतन, भत्ते आदि के लिये तथा शिक्षण अभ्युत्थान, महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान की स्थापना, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सुदृढीकरण, कौशल विकास, शालाओं में बाउन्ड्रीबाल, छात्रावास भवनों का निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, बालिका छात्रावास का संस्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस संचालन, राष्ट्रीय अकादमी एवं मुख्य मैस सेवायें, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप का प्रदाय हेतु प्रावधान रखा गया है।

{106}-पाठ्य पुस्तके

सामान्य शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तके हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{109}-राजकीय माध्यमिक विद्यालय

इस शीर्ष में हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाओं, माडल स्कूलों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, शासकीय उच्चतर शालायें 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण, अशासकीय विद्यालय, अधिग्रहित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु सहायता, सैनिक स्कूल रीवा तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक योजना अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय किये जाने, निशुल्क सायकल प्रदाय किये जाने, ग्रंथालयों का सुदृढीकरण तथा माध्यमिक शाला का हाई स्कूलों में तथा हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास, सक्सेस योजना अन्तर्गत हाईस्कूलों का सुदृढीकरण, आई.टी.आई. एवं एम.बी.बी.एस. कोचिंग हेतु अनुदान, माडल स्कूलों की स्थापना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन, बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन अतिथि शिक्षकों का मानदेय, उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस मद के अन्तर्गत हाईस्कूलों का सुदृढीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूलों में उन्नयन के फलस्वरूप अमले का वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, शिक्षण प्रोत्साहन, एन.सी.सी. के विकास एवं सुदृढीकरण आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

[05]-भाषा विकास

{103}-संस्कृत शिक्षा

इस शीर्ष में संस्कृत शालाओं हेतु अनुदान के लिये प्रावधान रखा गया है।

{200}-अन्य भाषाओं की शिक्षा

इस शीर्ष में विभागीय परीक्षा परिषद् जिसका प्रमुख कार्य हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन की परीक्षा आयोजन करना है, के लिये प्रावधान रखा गया है।

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष में लोक शिक्षण संचालनालय के अमले के लिये वेतन, भत्ते, वाहन प्रतिस्थापन, परीक्षा प्रशिक्षण, व्यावसायिक सेवाओं की अदायगी एवं एक गांव से दूसरे गांव अध्ययन के लिये जाने वाले बालक, बालिकाओं हेतु साइकिल प्रदान करने हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{107}-छात्रवृत्तियां

इस शीर्ष के अंतर्गत छात्रवृत्तियों तथा वृत्तियों के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में जीवाजी वैद्य शाला उज्जैन से जुड़े अमले के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यवस्था एवं नेशनल फाउन्डेशन फार टीचर वेलफेयर फण्ड के लिये तथा विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रबंधन हेतु सहायता कृषि विश्वविद्यालय का सुदृढीकरण, माध्यमिक विद्यालयों में विकलांगों के लिये समेकित शिक्षा (आई.डी.एस.एम.) आदि के लिये, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु, बालिकाओं की परिवहन व्यवस्था (जो साइकिल का लाभ नहीं ले पा रही है) तथा बेटी बचाव योजना अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति हेतु प्रावधान रखा गया है ।

2204-खेल तथा युवा सेवायें

[00]-खेल तथा युवा सेवायें

{101}-व्यायाम शिक्षा

इस शीर्ष में टी.टी. नगर महाविद्यालय शिवपुरी तथा खेलकूद निरीक्षण से संबंधित अमले एवं कार्यालय व्यवस्था के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{102}-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम

इस शीर्ष के अंतर्गत एन.सी.सी. के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ संभाग के अमले के वेतन भत्ते कार्यालय व्यय आदि तथा एन.सी.सी. केम्प का प्रावधान रखा गया है । भारत स्काउट एवं गाईड को देय अनुदान तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, रेसीडेन्सियल स्कूल स्पोर्ट्स पर होने वाले व्यय एवं भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं में राष्ट्रीय दक्षता दल योजना एवं खेलकूद गतिविधियों पर होने वाले व्यय के लिये प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

{800}-अन्य व्यय

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों एवं स्कूल गोम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित खेलों पर होने वाले व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है ।

2205-कला एवं संस्कृति

{101}-ललित कला शिक्षा

इस शीर्ष के अंतर्गत विशेष विद्यालय जो कि ललित कला शिक्षा के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय शैक्षणिक कार्य से संबद्ध है और गायन विद्यालय को अनुदान देने के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{105}-सार्वजनिक पुस्तकालय

संभागीय शासकीय पुस्तकालयों के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय, सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान देने की व्यवस्था सम्मिलित की गई है ।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सामान्य शिक्षा

{202}-माध्यमिक शिक्षा

इस शीर्ष के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद शाला भवनों का सुदृढीकरण तथा संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के भवनों का निर्माण के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत लोक शिक्षण कार्यालय के लिये दो लिफ्टों के पुर्नस्थापन के लिये प्रावधान रखा गया है।

[03]-खेलकूद तथा युवा सेवा

{800}-अन्य व्यय

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 041
प्रवासी भारतीय

2852-उद्योग

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

उद्योग के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 042

भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

2202-सामान्य शिक्षा

[01]-प्रारंभिक शिक्षा

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत गैस पीड़ितों को स्वरोजगार प्रशिक्षण, आर्थिक पुनर्वास हेतु प्रावधान किया गया है।

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत गैस पीड़ितों के चिकित्सीय पुनर्वास के लिये चार चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं। आठ डिस्पेंसरी एवं चार पालीक्लिनिक कार्यरत है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी की तीन-तीन डिस्पेंसरियां कार्यरत है। इनके अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये प्रावधान रखा गया है।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[02]-समाज कल्याण

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय वेतन, भत्ते, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु राशि रखी गयी है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत गैस प्रभावित अनाथ बच्चों आदि का व्यय शामिल है।

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

[60]-अन्य

{200}-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत गैस त्रासदी से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने एवं लेखों का संकलन करने हेतु पुनर्वास अध्ययन केन्द्र का गठन किया गया है। इस अध्ययन केन्द्र हेतु संचालक, पुनर्वास अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत अमला कार्यरत है। वर्तमान में संचालक पुनर्वास अध्ययन केन्द्र द्वारा गैस पीड़ितों से संबंधित दो अति महत्वपूर्ण योजनाएं स्पर्क एवं स्पंदन संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष आयु तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

{110}-अस्पताल तथा औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत निम्नांकित चिकित्सा भवनों के निर्माण व्यय निहित है :-कमला नेहरू अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, पल्मोनरी इकाई की स्थापना इंदिरा गांधी अस्पताल, मा. लालसिंह चिकित्सालय, शाकिर अली खान अस्पताल हेतु वृहद निर्माण कार्य का प्रावधान है।

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

{201}-अन्य पुनर्वास योजनाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत गैस पीडित क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 043
खेल और युवा कल्याण

2204-खेल तथा युवा सेवायें

[00]-खेल तथा युवा सेवायें

{103}-गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम

गैर विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम इस शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय के अन्तर्गत निर्देशन प्रशासन योजना एवं खिलाड़ियों के छात्रावास में पदस्थ अमले के वेतन भत्ते कार्यालयीन व्यय, परीक्षा एवं परिशिक्षण के अंतर्गत आनन्दम के लिये एवं होस्टल पर आने वाले व्यय का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, शासकीय कर्मचारी वृन्द के कल्याण के लिये संस्था तथा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेस खेलकूद प्रतियोगिता, उत्कृष्टता पुरस्कार योजना हेतु प्रावधान शामिल किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत खेल परिषद, खेल संघों, तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षकों का मानदेय, स्टेडियम खेल मैदानों का विकास सुधार, स्पोर्ट्स होस्टल एवं युवा संधि अभियान तथा म.प्र. खेल प्राधिकरण भोपाल को अनुदान, खेल अकादमियों की स्थापना एवं संचालन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, महिला हॉकी अकादमी की स्थापना, क्रिकेट अकादमी, बैडमिन्टन अकादमी ग्वालियर, प्रशिक्षकों को मानदेय, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, मूलभूत सुविधाओं में विकास सुधार हेतु स्टेडियम, पायका (पंचायत युवा क्रीडा) एवं खेल अभियान के अन्तर्गत ग्वालियर एवं अन्य अकादमियों के लिये प्रावधान रखा गया है। संभागीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, फीडर सेंटर (तीरंदाजी प्रशिक्षण केन्द्र), बेटी बचाओ अभियान, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय ट्रॉफी खेल का आयोजन, भोपाल झील महोत्सव का आयोजन, अकादमी के खिलाड़ियों को हाई एल्टीट्यूट प्रोग्राम हेतु सहायता, ओलंपिक 2020, हॉकी फीडर सेंटर, डे बोर्डिंग बेजमिन्टन टेनिस योजना, सेन्ट्रल जोन मेडिसिन सेंटर, हॉकी सिन्थेटिक टर्फ, विवेकानंद युवा केन्द्रों की स्थापना, जिला ओलंपिक युवा ओलंपिक तथा एथलेटिक फीडर सेंटर की स्थापना के लिये प्रावधान रखा गया है।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सामान्य शिक्षा

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत खेल स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण, खेल अकादमियों की स्थापना एवं अधोसंरचना कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।

[03]-खेलकूद तथा युवा सेवा

{102}-खेलकूद स्टेडियम

इस शीर्ष के अंतर्गत फुटबाल फीडर सेंटर मऊ, बाक्सिंग फीडर सेंटर ग्वालियर, स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेंटर हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 044

उच्च शिक्षा

2202-सामान्य शिक्षा

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत उच्च शिक्षा संचालनालय एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालकों के कार्यालय के वेतन, भत्तों, कार्यालय व्यय तथा उत्कृष्टता पुरस्कार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि व राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{102}-विश्व विद्यालयों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय रीवा, जबलपुर विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय को ब्लाक ग्रांट के रूप में वेतन भत्ते एवं पेंशन आदि, राष्ट्रीय विधि संस्थान चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं विभिन्न प्रयोजनों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त होने पर देय राज्यांश, सृजन पीठों हेतु अनुदान आदि तथा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु, पुस्तकालयों का विकास एवं आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एवं हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना, छत्रसाल विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रदेश के 39 जिलों में उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्व विद्यालय उज्जैन तथा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन अधिनियम, 2007 के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{103}-राजकीय कालेज और संस्थान

इस शीर्ष के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों कला विज्ञान एवं वाणिज्य और संस्थाओं के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय आदि के लिये प्रावधान रखा गया है । इसके साथ ही छात्र कल्याण निधि, शासकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेलकूद विकास, अकादमिक स्टाफ कालेज तथा महाविद्यालयों के विकास के लिये इस मद में स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना, गांव की बेटे योजना, पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना, प्रतिभा किरण स्वशासी महाविद्यालय की स्थापना, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना एवं छात्राओं हेतु आवासीय व्यवस्था, स्वशासी महाविद्यालयों को अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत एरियर्स का भुगतान, नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन संकाय खोलने हेतु तथा प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों को स्मार्ट फोन का प्रदाय, युवाओं को रोजगार उन्नमुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, स्वशासी महाविद्यालयों हेतु मानदेय का भुगतान, उच्च शिक्षा में सुधार, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना, अनाथ बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा योजना, प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना, पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{104}-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत अशासकीय महाविद्यालयों को देय पोषण अनुदान, योग प्रसार समिति, नट नागर शोध संस्थान, कस्तूरबा ग्राम रुरल इंस्टिट्यूट को अनुदान उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, जनभागीदारी समितियों के माध्यम से रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों के मानदेय के आधार पर भरने, एवं म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान को अनुदान आदि को अनुदान देने के लिये निरंतर व्यय के रूप में प्रावधान रखा गया है ।

{106}-पाठ्य पुस्तक विकास

इस शीर्ष के अन्तर्गत मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी को पोषण अनुदान एवं मुद्रण कार्य के लिये देय अनुदान हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{107}-छात्रवृत्तियां

इस शीर्ष के अन्तर्गत महाविद्यालयों के छात्रों को विभिन्न प्रकार की देय छात्रवृत्तियों, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों संस्कृत शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां, छात्र छात्राओं को आवागमन सुविधा असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, विकलांग छात्रों को शोध छात्रवृत्ति से पुरस्कृत, प्रयोग शाला का उन्नयन, उत्कृष्ट विद्यालय को पुरस्कृत, उत्कृष्ट प्राचार्यों को पुरस्कार, कला महाविद्यालयों में छात्रवृत्तियां, छात्राओं को आवागमन सुविधा आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु प्रावधान रखा गया है ।

[05]-भाषा विकास

{103}-संस्कृत शिक्षा

इस शीर्ष के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा महाविद्यालयों के अमले के वेतन, भत्ते कार्यालय व्यय आदि के लिये प्रावधान रखा गया है ।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सामान्य शिक्षा

{203}-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

इस शीर्ष में महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों को विकसित किये जाने, स्टाफ रुम का निर्माण, शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण, छात्रावास, प्रेक्षागृह, अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण व इन संस्थाओं की सुविधाओं संबंधी पूंजीगत व्यय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा हेतु प्रावधान किया जाता है ।

[03]-खेलकूद तथा युवा सेवा

{102}-खेलकूद स्टेडियम

इस शीर्ष के अन्तर्गत पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना के लिये प्रावधान रखे गये हैं ।

6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

[01]-सामान्य शिक्षा

{203}-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

इस शीर्ष में अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनर्स को पेंशन भुगतान हेतु ऋण के रूप में राशि रखी गई है ।

मांग संख्या - 045
लघु सिंचाई निर्माण कार्य

2702-लघु सिंचाई

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में पूर्ण की गयी तालाब एवं उदवहन सिंचाई योजनाओं के वार्षिक संधारण, संचालन एवं रख रखाव के लिये व्यय के अनुमान रखे गये है। इसी लघु शीर्ष के अंतर्गत कृषकों की निर्वाचित संस्थाओं को अनुदान देने हेतु व्यय एवं 13वें वित्त आयोग के लिये अनुमान रखे गये है।

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-सतही जल

नवीन सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण व लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं खनिज क्षेत्र विकास निधि तथा नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत अनुमान रखे गये है।

{102}-भू जल

इस लघु शीर्ष के तहत मुख्यतः संबंधित स्थापना व्यय के अनुमान रखे गये है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में तालाब एवं उदवहन सिंचाई योजनाओं के वार्षिक संधारण, संचालन एवं रख-रखाव, पायलेट प्रोजेक्ट एवं त्वरित सिंचाई लाभ, लघु योजनाओं के व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 046
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

[60]-अन्य

{200}-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, वेतन भत्तों तथा विश्वविद्यालय मेडिकल तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये योजना, विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता और सुदूर संवेदन केन्द्र तकनीक के लिये वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय में प्रकोष्ठ तथा परिषद की स्थापना तथा मिशन एक्सीलेंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामीण तकनीक प्रयोग केन्द्र की स्थापना, एटलस परियोजना एवं जलवायु परिवर्तन शोध केन्द्र की स्थापना एवं जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता केन्द्र हेतु प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त पेटेन्ट सूचना केन्द्र भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली की योजना प्रारंभ की गई है जिस हेतु प्रावधान रखा गया है एवं जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता केन्द्र अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण, गांव सीमांकन और प्रदेश के वास मानचित्रण के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हेतु प्रावधान रखा गया है।

{600}-अन्य योजनाएं

इस शीर्ष के अन्तर्गत एन.आई.सी. जिला केन्द्रों के रख-रखाव, मेप आई.टी. को सहायता के अंतर्गत जी.एस.आई. लेब की स्थापना, परियोजनाओं के अध्ययन, कर्मशाला-सेमिनार के आयोजन की स्थापना आदि के लिए प्रावधान रखा गया है एवं समाधान केन्द्र की स्थापना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, स्टेट डाटा सेन्टर का संधारण स्थापना व्यय हेतु नई तकनीकी हेतु मेप आई.टी. एवं अन्य संस्थाओं को सहायता, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों को ब्याज अनुदान, स्किल गैप प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन, सभी जिलों की जिला प्रशासन की मुख्य वेबसाइटों की री-डिजाइन एवं री डेवलपमेंट करने ई-मेल सुविधा, तकनीकी छात्रों के संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिये राज्य स्तरीय ई-आई.सी.टी. अकादमी की स्थापना, विश्व स्तरीय तकनीक स्टार्टअप पारिस्थिति की तंत्र के लिये आधार बनाने परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, क्षेत्रीय संवर्धन केन्द्रों की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग को अनुदान, न्याय प्रशासन में आई.सी.टी. का समन्वय, गुणवत्ता प्रमाणिकता व्यय की प्रतिपूर्ति, जैव विज्ञान संस्थान की स्थापना, जैव प्रौद्योगिकी ईकायों की स्थापना एवं विकास हेतु सहायता, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण से संबंधित प्रावधान रखा गया है।

5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

{600}-अन्य सेवाएं

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रदेश में आई.आई.आई.टी. की स्थापना, डाटा सेंटर बिल्डिंग का निर्माण, औद्योगिक ईकाइयों को लागत पूंजी अनुदान, पूंजीगत परिव्यय एवं आई.टी. पार्कों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत परिषद के भवन निर्माण, विज्ञान पार्क की स्थापना हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 047

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

2203-तकनीकी शिक्षा

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष में तकनीकी शिक्षा संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अमले के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, मशीनी उपकरण एवं संयंत्र उत्कृष्टता पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{003}-प्रशिक्षण

इस शीर्ष के अन्तर्गत तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{104}-अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थाओं को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदेश के गैर शासकीय तथा स्वशासी इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेक्निक, ग्रीनकार्ड धारकों की संतानों के लिये शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु एवं पोलिटेक्निक कालेज विदिशा, इंजीनियरिंग कालेज विदिशा, जी.एस.टी.आई. इंदौर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फेशन टेक्नालॉजी भोपाल की स्थापना तथा आई.आई.टी. इंदौर की स्थापना, उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों की स्थापना, स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना को अनुदान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिये प्रावधान रखा गया है।

{105}-बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय

इस शीर्ष में शासकीय पोलिटेक्निक जिनमें महिला पोलिटेक्निक भी सम्मिलित है, के अमले के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय तथा संस्थाओं की प्रयोग शालाओं, वर्कशाप, छात्रावास आदि पर होने वाले व्यय तथा विकासीय गतिविधियों, प्रदेश में पोलिटेक् विद्यालय में नवीन संकाय प्रारंभ किये जाने हेतु एवं पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत पोलिटेक् की स्थापना एवं पोलिटेक्निक के उन्नयन, एवं फिनिशिंग स्कूल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

{106}-पुस्तक संवर्धन

तकनीकी शिक्षा के लिए पुस्तक संवर्धन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{107}-छात्रवृत्तियां

इस शीर्ष में राज्य के बाहर की तकनीकी संस्थाओं में राज्य के अध्ययनरत छात्रों तथा प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पोलिटेक्निक के छात्रों को देय छात्रवृत्तियों के लिये प्रावधान रखा गया है।

{112}-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

इस शीर्ष में अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के एरियर्स के भुगतान हेतु अनुदान एवं इजी. महा. में कार्यरत अमले के वेतन भत्ते एवं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिये ड्राइंग व स्टेशनरी का प्रदाय, विशेष कोचिंग कक्षाएँ तथा निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वृत्तियों आदि के लिये प्रावधान सम्मिलित है।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष में इमारतों के अनुरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के लिये प्रावधान रखा गया है।

2230-श्रम तथा रोजगार

[02]-रोजगार सेवायें

{001}-निदेशन और प्रशासन

श्रम तथा रोजगार के लिए निदेशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{101}-रोजगार सेवाएं

श्रम तथा रोजगार के लिए रोजगार सेवाएं हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[03]-प्रशिक्षण

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष में प्रशिक्षण संचालनालय के अमले के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डेव्हलपमेंट सेंटर, एस.डी.सी. आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{003}-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

इस शीर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय छात्र सेना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अमले के वेतन भत्ते, प्रयोग शाला कर्मशालाओं पर होने वाले व्यय लघु निर्माण कार्य, छात्रवृत्तियों एवं म.प्र. कांऊडक्षसल शिक्षा एवं ट्रेनिंग की स्थापना, निर्धन वर्ग को छात्रवृत्ति वृत्तिया, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा, ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना, युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किये जाने के लिये प्रावधान रखा गया है तथा नये पोलीटेक्निक विद्यालय केन्द्र क्षेत्रीय प्रवर्तित योजना हेतु वेतन भत्तों एवं कार्यालय तथा निर्माण के लिये प्रावधान रखा गया है, तथा संयुक्त संचालक कार्यालय उज्जैन की स्थापना, जिला स्तर पर आदर्श आई.आई.टी. की स्थापना, आई.आई.टी. का सुदृढीकरण, अनसर्विस्ड ब्लॉक में निजी निवेशकर्ताओं के माध्यम से आई.आई.टी. की स्थापना, विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना एवं प्रचार-प्रसार, व्यावसायिक शिक्षा का सुदृढीकरण एवं कौशल विकास की महत्ता, प्रचार-प्रसार, आई.टी.आई., विद्युत वैकल्पिक व्यवस्था, शिल्पकारों की दक्षता का प्रमाणीकरण, प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक भ्रमण, आई.टी.आई. में खेलकूद व्यवस्था पुस्तकालयों का उन्नयन एवं मापदण्डों के अनुसार पदों का सृजन, आई.टी.आई. में पारितोषिक एवं पुरस्कार, म.प्र. काऊसिलिंग ऑफ वोकेश नल शिक्षा एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था, विश्व बैंक की सहायता से वोकेश नल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्सट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संसाधनों को उत्कृष्ट संस्थाओं में विकसित किया जाना, पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना, मल्टी स्किल डेव्हलपमेंट की स्थापना, एम.ई.एस. योजना के तहत प्रशिक्षण एवं स्किल डेव्हलपमेंट मिशन, माड्यूलर ईम्प्लायबल एवं डेव्हलपमेंट सेंटर एस.डी.सी., मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन तथा ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु प्रावधान रखा गया है।

{101}-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

इस शीर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, सामग्री एवं पूर्तिया, छात्रवृत्तिया एवं वृत्तियां आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-तकनीकी शिक्षा

{004}-अनुसंधान और विकास

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य, डेव्हलपमेंट सेंटर, एस.डी.सी. हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{104}-बहुशिल्प

इस शीर्ष के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण, आई.आई.टी. की स्थापना, संस्थाओं के भवन निर्माण के लिये प्रावधान रखे गये है ।

{ 105 }-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के लिए इंजीनियरिंग तकनीकी कालेज तथा संस्थान हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

[03]-खेलकूद तथा युवा सेवा

{003}-खेलकूद तथा युवा सेवा

इस शीर्ष के अंतर्गत ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) अंतर्गत निर्माण कार्यो हेतु प्रावधान रखे गये है ।

4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

{201}-श्रम

इस शीर्ष के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण उन्नयन कार्य हेतु प्रावधान रखे गये है ।

6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

[02]-तकनीकी शिक्षा

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आई.टी.आई. के भवनों के निर्माण हेतु ऋण की वापसी योजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है ।

मांग संख्या - 048

नर्मदा घाटी विकास

2055-पुलिस

[00]-पुलिस

{104}-विशेष पुलिस

सुरक्षा के लिये लगाये गये पुलिस बल हेतु प्रावधान किया गया है।

2401-फसल कृषि कर्म

{800}-अन्य व्यय

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास हेतु प्रावधान रखा गया है।

2405-मछली उद्योग

{109}-विस्तार तथा प्रशिक्षण

इस लघु शीर्ष में मत्स्य पालन प्रसार की केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु अनुमान रखे गये हैं।

2801-बिजली

[01]-हाइडल उत्पादन

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत बरगी केनाल बेड पावर हाऊस तथा सरदार सरोवर परियोजना से विद्युत उत्पादन में परिचालन एवं संधारण व्यय के प्रावधान रखे गये हैं।

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

बरगी नहर व्यपवर्तन, (सी.ए.डी. प्लान) आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

अति.के.सहा. अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

निष्पादन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2 मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी मुख्यालय स्थापना आदि के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान, नहर तथा उससे संबंधित कार्यों के लिये प्रावधान रखा गया है।

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

निष्पादन यूनिट-1 एवं 2 मुख्यालय स्थापना, रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

रानी अवंती बाई सागर परियोजना के लिये प्रावधान रखा गया है।

[65]-अपर वेदा परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्देशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

[66]-लोअर गोई परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्देशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिये प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत नहरों से उद्बहन द्वारा सिंचाई एवं माइक्रों पद्धति से सिंचाई की वृद्ध व मध्यम परियोजनाओं के निर्माण के प्रावधान रखे गये हैं।

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[11]-मान परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

मान परियोजना नाबार्ड अंतर्गत प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[12]-जोबट परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

जोबट परियोजना नाबार्ड हेतु प्रावधान रखा गया है |

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[45]-हालोन परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्देशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[46]-अपर नर्मदा परियोजना

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्देशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन तथा प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत वेतन भत्ते आदि से संबंधित प्रावधान रखे गये है |

{800}-अन्य व्यय

मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-हाइडल उत्पादन

{001}-निदेशन तथा प्रशासन

इस लघु शीर्ष में इंदिरा सागर केनाल बड़े पावर हाऊस से सम्बद्ध स्थापना के वेतन, भत्ते आदि से संबंधित व्यय के प्रावधान रखे गये है |

{203}-नर्मदा घाटी में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का दोहन

नर्मदा, क्षिप्रा एवं सोननदी में प्रदूषण की रोकथाम के लिये इस लघु शीर्ष में अनुमान रखे गये हैं । इसी लघु शीर्ष के तहत इंदिरा सागर परियोजना यूनिट एक का एन.एच.डी.सी. को देय अंश का प्रावधान सम्मिलित है ।

{205}-सरदार सरोवर परियोजना

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय अनुसार गुजरात में निर्माणाधीन सरदार सरोवर परियोजना को अंशदान के रूप में मध्यप्रदेश द्वारा भुगतान करने हेतु इस लघु शीर्ष में प्रावधान रखा गया है । इस लघु शीर्ष में गुजरात सरकार व म.प्र. के परस्पर देयताओं को राज्य के लेखों में समायोजन हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{206}-इन्दिरा सागर परियोजना युनिट एक व तीन

यह बहुउद्देशीय परियोजना खण्डवा जिले में स्थित है । इस लघु शीर्ष के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना के बांध, पावर हाउस, पुनर्वास, वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र के उपचार आदि के कार्य हेतु प्रावधान रखे गये है । इंदिरा सागर परियोजना यूनिट एक व तीन एन.एच.डी.सी. में अंशपूजी निवेश को राज्य के लेखों में समायोजित करने के लिये प्रावधान रखा गया है । इस लघु शीर्ष में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाला ऋण सहायता से होने वाले व्यय के अनुमान भी रखे गये हैं ।

{235}-पर्यावरण कार्य योजना (डिपोजिट कार्य)

इस लघु शीर्ष में पर्यावरण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थापना व्यय सहित अनुमान रखे गये हैं ।

{800}-अन्य व्यय

विविध व्यय हेतु प्रावधान रखे गये है ।

{001}-निदेशन तथा प्रशासन

इस लघु शीर्ष में पर्यावरण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थापना व्यय सहित अनुमान रखे गये हैं ।

{800}-अन्य व्यय

बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 049
अनुसूचित जाति कल्याण

2202-सामान्य शिक्षा

[03]-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
{103}-राजकीय कालेज और संस्थान

सामान्य शिक्षा के लिए राजकीय कालेज और संस्थान हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[01]-अनुसूचित जातियों का कल्याण
{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत जिला तथा परियोजना प्रशासन, निर्देशन, आयोग तथा समितियां इत्यादि के तहत कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय एवं अन्य आवश्यक व्यय का प्रावधान किया गया है।

{102}-आर्थिक विकास

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, अंशकालीन अध्ययन सह व्यवसायिक मार्ग दर्शन केन्द्र के तहत कार्यरत अमले के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां और अन्य आवश्यक व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{277}-शिक्षा

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का कल्याण हेतु आश्रम और शालायें, छात्रावास, छात्रवृत्तियां, ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क तथा अशासकीय शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, बेडिया, बांछडा, सांसी, सहसियाँ जाति के लिये आश्रम शालाए, अस्वच्छ धंधों में कार्यरत अनुसूचित जाति के लिये प्रीमेट्रिक छात्रावास, आश्रम और छात्रावास, बाल वाडियां, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियों और वृत्तियां, सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का उन्नयन तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र आदि योजनाओं में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय इत्यादि तथा इन योजनाओं की अन्य मदों में संचालन हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण आयोग का गठन संबंधी योजनाओं के तहत कार्यरत अमले के वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय तथा अनुदान के लिये प्रावधान रखा गया है।

2801-बिजली

[06]-ग्रामीण विद्युतीकरण
{800}-अन्य व्यय

बिजली के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-अनुसूचित जातियों का कल्याण

{190}-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{277}-शिक्षा

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए शिक्षा हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 050
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

2401-फसल कृषि कर्म

[00]-फसल कृषि कर्म

{109}-विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शनी, मेला तथा प्रचार हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{119}-बागवानी तथा वनस्पति फसलें

इस शीर्ष के अन्तर्गत पौध शाला एवं उद्यान, सघन फलोद्यान योजना, फल संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान पचमढी के वेतनमानो हेतु प्रावधान रखे गये हैं। इसके साथ ही मिनिकिट्स प्रदर्शन, उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रंखला की अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहन, व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की सुरक्षित खेती की प्रोत्साहन, उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, बहुउद्देशीय विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना, फल एवं सब्जी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, सागभाजी क्षेत्र विस्तार तथा मसाला क्षेत्र विस्तार, औषधि एवं सुगंध फसल कार्यक्रम, हार्टिकल्चर हब की स्थापना, नेशनल मिशन ऑफ फुड प्रोसेसिंग के लिये प्रावधान रखा गया है।

4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

{119}-बागवानी तथा वनस्पति फसलें

फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के लिए बागवानी तथा वनस्पति फसलें हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 051

अध्यात्म

2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ

{103}-पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रखरखाव

तीर्थ स्थानों, मंदिरों आदि की देखभाल (आयोजनेत्तर) इस लघु शीर्ष में देवालियों, मंदिरों के साज सज्जा हेतु भत्ते, धर्मार्थ भत्ते, समाधियों, मंदिरों का रखरखाव हेतु विविध भत्ते, हेतु आर्थिक सहायता सहायक अनुदान के लिये प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत धार्मिक स्वरूप की संस्थाओं आदि के लिये अनुदान दिये जाने, हिंगलाज मंदिर तथा ननकाना साहब यात्रा हेतु अनुदान, सेवादारों के मानदेय एवं नेमनुक तथा शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार माफी विभाग के वेतन भत्ते, कैलास मानसरोवर यात्रा हेतु अनुदान तथा वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्रा के लिये राजसहायता हेतु प्रावधान रखा गया है ।

4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 052

चिकित्सा शिक्षा

2059-लोक निर्माण कार्य

[01]-कार्यालय भवन

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य के लिये प्रावधान रखा जाता है ।

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

{110}-अस्पताल और औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, केन्सर चिकि. इंदौर, चिकित्सा गारंटी योजना तथा चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय के अमले के वेतन भत्तों, दवाईयां तथा अन्य व्यय के लिये प्रावधान रखा गया है । इस शीर्ष के अंतर्गत केन्सर चिकित्सालय भोपाल एवं ग्वालियर को अनुदान हेतु भी प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निःशुल्क औषधि प्रदाय हेतु राशि का प्रावधान रखा जाता है ।

[05]-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

{105}-एलोपैथी

इस शीर्ष के अन्तर्गत इंदौर में परिचर्या महाविद्यालय, संचालनालय के वेतन भत्ते आदि, दत्त महाविद्यालय, क्षेत्रीय नेत्ररोग संस्थान भोपाल, चिकित्सा महाविद्यालय, निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना हेतु प्रावधान रखे गये हैं ।

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

[03]-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

{105}-एलोपैथी

चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में न्युरोसर्जरी विभाग की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण, महाराजा तुकोजीराव अस्पताल इंदौर का उन्नयन (13वां वित्त आयोग), चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलाजी लैब की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंध चिकित्सालय आदि हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{800}-अन्य व्यय

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं ।

मांग संख्या - 053

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2202-सामान्य शिक्षा

[02]-माध्यमिक शिक्षा

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

सामान्य शिक्षा के लिए जिला पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[01]-जल पूर्ति

{102}-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण नलकूपों के अनुरक्षण के लिये प्रति हेण्ड पंप रु. 500 के हिसाब से प्रावधान सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान देने के लिये भी प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

[02]-मल-जल तथा सफाई

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत समग्र स्वच्छता अभियान के तहत अनुदान हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2216-आवास

[03]-ग्रामीण आवास

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इंदिरा आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत प्रावधान शामिल किया गया है।

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[01]-अनुसूचित जातियों का कल्याण

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए जिला पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित, विधवा विकलांगों को पेंशन दिये जाने हेतु डेबलपमेन्ट इन हेबीटेट के लिये प्रावधान रखा गया है।

{197}-जनपद पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित, विधवा विकलांगों को पेंशन दिये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत नशाबंदी उन्मूलन हेतु प्रावधान रखे गये हैं। उपरोक्त के अलावा प्रौढ शिक्षा योजना के तहत अनुदान हेतु प्रावधान भी रखे गये हैं।

2401-फसल कृषि कर्म

[00]-फसल कृषि कर्म

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत दलहन फसलों के उत्पादन हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

2403-पशु पालन

{102}-पशु तथा भैंस विकास

पशु पालन के लिए पशु तथा भैंस विकास हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{103}-कुक्कुट विकास

पशु पालन के लिए कुक्कुट विकास हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पशु औषधालय के लिये आर्थिक सहायता सहायक अनुदान हेतु प्रावधान किया जाता है।

2405-मछली उद्योग

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों को अनुदान के तहत प्रावधान रखे गये हैं।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत विस्तार और प्रशिक्षण के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

[01]-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{001}-निर्देशन और प्रशासन

ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के लिए निर्देशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत जल संग्रहण कार्य योजना, प्रशिक्षण, जलग्रहण उपचार विकास कार्य, जलग्रहण सामुदायिक संगठन एवं प्रशासकीय व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[03]-मरुस्थल विकास कार्यक्रम

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2505-ग्रामीण रोजगार

[01]-राष्ट्रीय कार्यक्रम

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

[00]-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है।

{197}-जनपद पंचायतों को सहायता

पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु जनपद पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क वसूली, जिला पंचायतों के सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान, पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधा तथा प्रशिक्षण, सचिवालय व्यवस्था, त्रिस्तरीय पुरस्कार, जिला पंच सम्मेलन एवं पंचायत गजट तथा मूलभूत कार्यों के लिये राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान देने के लिये प्रावधान रखा गया है। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2702-लघु सिंचाई

[02]-भू-जल

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

लघु सिंचाई के लिए जिला पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

[00]-ग्राम तथा लघु उद्योग

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत मलबरी रेशम केन्द्रों की स्थापना, रेशम उद्योग क विकास एवं मलबरी योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को रिवाल्विंग फण्ड हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी समितियों की संरचना, उत्पादन व प्रक्रिया के लिये एवं प्रोजेक्ट पैकेज हाथकरघा योजनान्तर्गत बुनाई प्रशिक्षण हेतु अनुदान के लिये प्रावधान रखे गये है।

2853-अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

{02}-खानों का विनियमन तथा विकास

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु प्रावधान रखे गये है।

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

{00}-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

{196}-जिला पंचायतों को सहायता

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान अंतर्गत जिला पंचायतों हेतु प्रावधान रखा गया है।

{197}-जनपद पंचायतों को सहायता

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान अंतर्गत जनपद पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखा गया है।

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

उपरोक्त लघु शीर्षों में स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद में प्रावधान किया जाता है, एवं वाणिज्यिक कर पर लगाये गये सरचार्ज से प्राप्त आय से 30 प्रतिशत राशि पंचायतों को अनुदान हेतु प्रावधान किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायतों के मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान मद में प्रावधान किया जाता है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान किया गया है।

{200}-अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के लिए अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

{60}-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{800}-सिंहस्थ

शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए सिंहस्थ हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

{00}-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

{198}-ग्राम पंचायतों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सहायता, अधोसंरचना निर्माण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के लिये अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 054
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

[01]-फसल कृषि कार्य

{120}-अन्य संस्थाओं को सहायता

इस योजना के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय ग्वालियर तथा अन्य कृषि महाविद्यालय को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ताकि ये संस्था सुचारु रूप से क्रियान्वित होकर कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 055
महिला एवं बाल विकास

2059-लोक निर्माण कार्य

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

इस शीर्ष के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास के भवनों के रख-रखाव हेतु प्रावधान रखा गया है ।

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मंगल दिवस के अंतर्गत राशि का प्रावधान रखा गया है ।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[02]-समाज कल्याण

{001}-निर्देशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित जिला कार्यक्रम के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतनभत्ते आदि के लिये तथा बच्चों का मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिये बालभवन संचालन अनाथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण देने के लिये आश्रमगृह योजना के संचालन हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{102}-बाल कल्याण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रमुखतः महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत बच्चों, महिलाओं के विकास हेतु विश्व बैंक भारत शासन द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है । एकीकृत बाल सेवा योजना एवं आंगनवाडी स्तर के कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य कार्यालयीन व्यय एकीकृत बाल सेवा योजना में आंगनवाडी से संबंधित कर्मचारियों पर व्यय, एकीकृत बाल सेवा योजनाओं का पर्यवेक्षण का व्यय, आदि किया जाता है । जिसमें अटल बाल आरोग्य मिशन, संचालनालय क्षेत्रीय संचालनालय के कर्मचारियों को वेतन भत्ते तथा कार्यालय व्यय किशोर कल्याण निधि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, राज्य महिला आयोग का गठन शामिल है ।

{103}-महिला कल्याण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, स्वागतम लक्ष्मी योजना, शौर्या दलों का गठन अंतर्गत सेमीनार प्रशिक्षण तथा राज्य महिला आयोग के अधिकारी, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय, तेजस्वीनी योजना हेतु प्रावधान किया जाता है ।

{106}-सुधारक सेवाएं

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत परीवीक्षा इकाई हेतु प्रावधान रखा गया है ।

{107}-स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं अनुदान हेतु प्रावधान किया जाता है ।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत वेटी बचाओं अभियान, म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तथा विविध कार्यक्रम हेतु प्रावधान किया जाता है।

2236-पोषाहार

{101}-विशेष पोषण कार्यक्रम

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रमुखतः कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार देकर कुपोषण दूर करना तथा धात्री मां तथा गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है तथा राष्ट्रीय पूरक पोषण आहार मिशन एवं विशेष पोषण आहार के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) में प्रावधान रखा गया है।

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

{102}-बाल कल्याण

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रमुखतः आंगन बाडियों के भवन निर्माण के लिये प्रावधान किया गया है।

{103}-महिला कल्याण

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए महिला कल्याण हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रमुखतः महिला आर्थिक विकास निगम के धनवेष्टन निवेश, महिला विश्रामालय भवन का निर्माण एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास के भवन के निर्माण, तथा म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 056

कुटीर एवं ग्रामोद्योग

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

[00]-ग्राम तथा लघु उद्योग

{103}-हाथकरघा उद्योग

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं में मुख्य रूप से विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगने वाले अमले के वेतन, भत्ते एवं कार्यालय व्यय की मदें शामिल हैं। अन्य योजनाओं में मुख्य रूप से बुनकरों को उत्पादन एवं उनके उत्पाद के विपणन हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना सम्मिलित है। इसी लघु शीर्ष के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों हेतु वित्तीय पैकेज, युवा बुनकरों को संस्थागत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। उक्त लघु शीर्ष में हाथकरघा योजनाओं हेतु व्यय के अनुमान रखे गये हैं, एवं हाथकरघा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा हाथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु बाजार का अध्ययन करने के लिये अनुमान रखे गये हैं। एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम, प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण, उद्यमियों स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग तथा स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम हेतु अनुमान रखे गये हैं।

{104}-हस्तशिल्प उद्योग

हस्तशिल्प के विकास तथा इससे संबद्ध जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के आशय से राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। हस्तशिल्प की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा किया जाता है तथा निगम हस्तशिल्पियों को कच्चे माल की व्यवस्था के साथ तैयार माल के विक्रय की व्यवस्था करता है। हस्तशिल्प की विभिन्न योजनाओं तथा मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना अनुदान संबंधी व्यय के अनुमान उक्त लघु शीर्ष में रखे गये हैं। एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम, प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण, उद्यमियों स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग तथा स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम हेतु अनुमान रखे गये हैं।

{105}-खादी ग्रामोद्योग

राज्य की ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने तथा खादी के विकास हेतु मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद कार्यरत है। इस परिषद के माध्यम से हितग्राहियों को खादी तथा अन्य उत्पादों के लिये विभिन्न मदों के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। खादी के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 10 प्रतिशत उत्पादन अनुदान, कत्तियों को 20 पैसे प्रति गुण्डी श्रमिकार्ड, पूंजी के लिये 90 प्रतिशत अनुदान, कारीगरों को प्रशिक्षण, विकास एवं विपणन सहायता आदि मुख्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद की स्थापना अनुदान सहित विभिन्न योजना के क्रियान्वयन के लिये उक्त लघु शीर्ष के अंतर्गत व्यय संबंधी अनुमान रखे गये हैं।

{106}-माटीकला उद्योग

इस शीर्ष के अन्तर्गत माटीकला उद्योग की गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं विकास के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

{107}-रेशम उद्योग

राज्य में टसर एवं मलबरी रेशम का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे वस्त्र उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश की जनता, विशेष कर ग्रामीण आदिवासी अनुसूचित जाति को जीवकोपार्जन साधन उपलब्ध होता है। रेशम उद्योग के विकास एवं संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर रेशम संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्पादन केन्द्र कार्यरत हैं। कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग के लिये विभिन्न योजनाएं राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं मलबरी एवं टसर रेशम विकास एवं विस्तार और प्रशिक्षण तथा अनुसंधान योजनाएं हैं। रेशम उद्योग की योजनाएं उत्पादन एवं रोजगार उन्मुखी होने से राज्य शासन शहतूत उत्पादन, कृमि पालन, कोसा उत्पादन, सूत उत्पादन आदि के लिये हितग्राहियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ विक्रय की व्यवस्था भी करता है। रेशम उद्योग की विभिन्न योजनाओं के पर्यवेक्षण, एवं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत अमले के वेतन, भत्तों के साथ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त लघु शीर्ष में व्यय संबंधी अनुमान रखे गये हैं। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत मलबरी स्वावलम्बन योजना व 6 मिनी आई.टी.आई. उत्प्रेरण विकास कार्य हेतु भी अनुमान रखे गये हैं।

4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

{107}-रेशम उत्पादन उद्योग

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित रेशम केंद्रों पर सिंचाई सुविधायें विकसित करने व कृमि पालन गृह के निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी कार्य हेतु अनुमान रखे गये हैं।

मांग संख्या - 057

पर्यावरण

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[02]-मल-जल तथा सफाई

{106}-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{800}-अन्य व्यय

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

2217-शहरी विकास

[05]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{001}-निर्देशन और प्रशासन

शहरी विकास के लिए निर्देशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

{191}-नगर निगमों को सहायता

शहरी विकास के लिए स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-राज्य की राजधानी का विकास

{051}-निर्माण

शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्माण हेतु प्रावधान रखे गए हैं |

मांग संख्या - 058

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

{101}-आनुग्रहिक राहत

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अग्नि पीड़ितों को राहत पहुंचाने, तहसीलदारों के माध्यम से राहत कार्यों का क्रियान्वयन एवं सूखा एवं रोजगार हेतु प्रावधान किया जाता है।

{102}-पीने के पानी की पूर्ति

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत पेय जल की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता- सहायक अनुदान हेतु प्रावधान किया जाता है।

{103}-विशेष पोषण

इस शीर्ष के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण आहार के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अन्य कार्यों हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

[02]-बाढ़, चक्रवात आदि

{101}-आनुग्रहिक राहत

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ओला पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु प्रावधान किया जाता है।

{122}-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत अग्नि पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु प्रावधान किया जाता है।

{193}-स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं दवाओं की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों संस्थाओं को सहायता देने के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

[05]-अपदा राहत निधि

{101}-आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण-आपदा राहत निधि

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों में राशि के अंतरण हेतु प्रावधान किया जाता है।

[06]-भूकम्प

{101}-आनुग्रहिक राहत

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भूकंप पीडितों को राहत पहुंचाने हेतु प्रावधान किया जाता है।

[80]-सामान्य

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत निदेशन एवं प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।

{102}-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध

आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{103}-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य को सहायता

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आपदा आकस्मिक निधि से राज्य को सहायता हेतु प्रावधान रखा जाता है। साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु भी प्रावधान रखा गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा से पीडितों को राहत पहुंचाने हेतु प्रावधान किया जाता है।

4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-प्राकृतिक आपदायें

अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए प्राकृतिक आपदायें हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

[01]-सूखा

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु प्रावधान किया जाता है।

मांग संख्या - 059

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये प्रावधान रखे गये है।

मांग संख्या - 060
जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत विधायक स्वेच्छानुदान निधि के लिये प्रावधान किया जाता है।

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-पंचायती राज

इस शीर्ष के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक गण प्रतिवर्ष रुपये 80 लाख तक लागत से छोटे-छोटे पूंजीगत प्रगति के कार्य किये जाने की अनुसंशा जिलाध्यक्ष को कर सकेंगे। इस कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जनभागीदारी योजना के क्रियान्वयन हेतु एवं नवाचार को प्रोत्साहन हेतु प्रावधान रखा गया है।

{103}-ग्रामीण विकास

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए ग्रामीण विकास हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस मांग संख्या के अंतर्गत जनभागीदारी योजना एवं म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के लिये शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यय करने के लिये प्रावधान किया जाता है। बुन्देलखण्ड विकास महाकौशल विकास एवं विन्ध्य विकास प्राधिकरण के कारण होने वाले व्यय की व्यवस्था के लिये प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या - 061
बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय

2401-फसल कृषि कर्म

{102}-खाद्यान्न फसलें

बुन्देलखण्ड पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि कृषि विभाग से संबंधित शामिल है।

{109}-विस्तार और किसानों को प्रशिक्षण

बुन्देलखण्ड पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि कृषि विभाग से संबंधित शामिल है।

2403-पशु पालन

{800}-अन्य व्यय

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली पशुपालन से संबंधित प्रावधान शामिल है।

2405-मछली उद्योग

{800}-अन्य व्यय

पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान के रूप में प्रावधान रखा गया है।

{101}-वन संरक्षण तथा विकास तथा संपोषण

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत बुन्देलखण्ड विकास हेतु प्रावधान रखा गया है।

{102}-समाज तथा फार्म वानिकी

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत बुन्देलखण्ड विकास हेतु प्रावधान रखा गया है।

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

[00]-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{102}-सामुदायिक विकास

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि जलप्रबंध से संबंधित प्रावधान शामिल है।

2700-मुख्य सिंचाई

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

अवशेष निपटारा हेतु प्रावधान रखा जाता है।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

[03]-खेलकूद तथा युवा सेवा

{003}-खेलकूद तथा युवा सेवा

तकनीकी संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।

4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-जल पूर्ति

{102}-ग्रामीण जल पूर्ति

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज अन्तर्गत ग्रामीण जल पूर्ति व्यवस्था से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं।

4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

{102}-खाद्यान्न फसल

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि कृषि, उद्यानिकी विभाग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-वानिकी

{070}-संचार तथा भवन

वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय के लिए संचार तथा भवन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-भंडारण और भंडागार

{800}-अन्य व्यय

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि वेयरहाउसिंग विभाग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[22]-बरियापुर परियोजना

{800}-अन्य व्यय

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि डूक्षसचाई से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

[69]-पंचमनगर परियोजना

{800}-अन्य व्यय

नहरों से संबंधित निर्माण कार्य हेतु अवशेष निपटारा के लिये प्रावधान रखा गया है।

[80]-सामान्य

{001}-निर्देशन तथा प्रशासन

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए निर्देशन तथा प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[57]-पवई मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।

[61]-सोनपुर मध्यम परियोजना

{800}-अन्य व्यय

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है।

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

[00]-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

{101}-सतही जल

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि जलप्रबंध, डूक्सचाई विभाग से संबंधित प्रावधान शामिल है।

4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

{211}-बरियारपुर कमाण्ड क्षेत्र विकास

बुन्देलखण्ड से संबंधित पैकेज में व्यय की जाने वाली राशि डूक्सचाई विभाग से संबंधित प्रावधान शामिल है।

{800}-अन्य व्यय

कमाण्ड क्षेत्र विकास राजघाट परियोजना हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 062

पंचायत

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

{101}-पंचायती राज

पंचायती राज (आयोजनेत्तर) पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण संबंधी संस्था, पंचायत संचालनालय तथा ग्राम सहायकों के वेतन भत्ते आदि के लिये और संजय गांधी युवा संस्थान को अनुदान हेतु प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या - 063
अल्प संख्यक कल्याण

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[03]-पिछड़े वर्गों का कल्याण

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस शीर्ष के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस शीर्ष के अन्तर्गत अल्प संख्यक आयोग, अल्प संख्यक संचालनालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य व्ययों के अलावा वक्फ कमिश्नर का कार्यालय म.प्र. हज कमेटी, म.प्र. वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी भोपाल, चर्च एवं दरगाह तथा उर्दू अकादमी के लिये अनुदान, वक्फ समितियों के न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए प्रावधान किया गया है। म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का सुदृढीकरण राज्य छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 064
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

2202-सामान्य शिक्षा

[01]-प्रारंभिक शिक्षा

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

इस मद में संविदा शिक्षकों के वेतन भत्ते एवं अध्यापक संवर्ग के वेतन भत्तों हेतु प्रावधान रखा गया है।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

इन मदों में स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों के लिये देय अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

[02]-माध्यमिक शिक्षा

{191}-नगर निगमों को सहायता

इस मद में स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों के लिये देय अनुदान के लिये प्रावधान रखा गया है।

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

[01]-जल पूर्ति

{001}-निर्देशन और प्रशासन

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए निर्देशन और प्रशासन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{101}-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{191}-नगर निगमों को सहायता

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए नगर निगमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

जल पूर्ति तथा सफाई के लिए नगर पालिकाओं को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हस्तांतरित की गई शहरी जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नगरीय जल प्रदाय गृहों के विशेष संधारण अनुदान के रूप में देय राशि की व्यवस्था की गई है।

[05]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{191}-नगर निगमों को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों एवं 13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार सामान्य अनुपालन अनुदान एवं केश शिल्पी कल्याण योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य एवं पालिसी रिफार्म, इन्टरप्राइज विजन 2018 हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को सहायता एवं 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार अनुपालन अनुदान हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

उपरोक्त शीर्षों में म. प्र. शहरी अधोसंरचना कोष, हाथ ठेला एवं सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना नगरीय निकायों को प्रशिक्षण, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवी मिशन, एकीकृत शहरी मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत मूलभूत कार्यों के लिये नगरीय निकायों को अनुदान, शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम आदि के लिये प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं।

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

[02]-समाज कल्याण

{191}-नगर निगमों को सहायता

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए नगर निगमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए नगर पालिकाओं को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निराश्रितों, विधवा, विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

[00]-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

{191}-नगर निगमों को सहायता

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के लिए नगर निगमों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{192}-नगरपालिकाओं को सहायता

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के लिए नगर पालिकाओं को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

उपरोक्त शीर्षों में म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 133 (अ) तथा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 (161) के अधीन स्थानीय निकायों को भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1819 की धारा 27 के अन्तर्गत स्थानीय संस्था जिसकी सीमा में सम्पत्ति स्थित है, ऐसी सम्पत्ति के अंतरण की दशा में अचल सम्पत्ति के मूल्य पर भोग बन्धक की दशा में प्रतिभूत रकम पर शासन नगरनिगम एवं नगरपालिका क्षेत्र में मुद्रांक शुल्क के रूप में क्रमशः 2 एवं 4 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल करता है। वसूल की गई राशि राज्य की संचित निधि में जमा कर अतिरिक्त शुल्क के बराबर राशि स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 1995 से यात्री कर समाप्त होने के एवज में विशेष अनुदान अन्य प्राप्तियां शासन के पास जमा करने के कारण इस आय की हानि की क्षतिपूर्ति भी निकाय को जाती है। राशि लघु शीर्ष के अनुसार बताये गये प्रयोजन के लिये है। मध्यप्रदेश अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में अधिरोपित अर्थदंड की राशि जो शासन के संचित निधि में जमा होती है। 50 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अनुदान के स्वरूप प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन के लिये व्यय के अनुमान इस लघु शीर्ष में रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान तथा निर्यात कर क्षतिपूर्ति एवं नगरीय निकायों के लिये स्वच्छता पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है।

{200}-अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के लिए अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

6217-शहरी विकास के लिए कर्ज

[60]-अन्य शहरी विकास योजनाएं

{191}-स्थानीय निकायों, निगमों आदि को उधार

इस शीर्ष के अन्तर्गत पेयजल पूर्ति के लिये स्थानीय निकायों को दिये गये कर्ज के लिये प्रावधान रखे गये हैं।

{192}-नगर पालिकाओं को सहायता

शहरी विकास के लिए कर्ज के लिए नगर पालिकाओं को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

{193}-नगर पंचायतों को सहायता

शहरी विकास के लिए कर्ज के लिए नगर पंचायतों को सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

मांग संख्या - 065

विमानन

2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

[00]-सचिवालय - सामान्य सेवाएं

{091}-संलग्न कार्यालय

इसके अंतर्गत विमानन संचालनालय कार्यालय के लिये अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य व्यय की व्यवस्था के लिये प्रावधान किया गया है ।

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

[80]-सामान्य

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टर के प्रयोग हेतु प्रावधान रखा गया है ।

3053-नागर विमानन

{003}-प्रशिक्षण तथा शिक्षा

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत फ्लाइंग क्लब को सहायता, रीजनल कनेक्टिविटी, प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं एयर होस्टेज एवं फ्लाइंट्स स्टीवर्ड का प्रशिक्षण एवं पालिसी रिफार्म, इन्टरप्राइज विजन 2018 हेतु प्रावधान रखा गया है ।

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत एयर होस्टेज एवं फ्लाइंट स्टीवर्ड का प्रशिक्षण एवं हेलीकाप्टर क्रय हेतु प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या - 066

पिछड़ा वर्ग कल्याण

2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

[03]-पिछड़े वर्गों का कल्याण

{001}-निदेशन और प्रशासन

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय में एवं जिला तथा परियोजना प्रशासन स्तर पर कार्यरत अमले के वेतन तथा भत्ते, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय की आवश्यकता के लिये प्रावधान रखा गया है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत संचालनालय तथा जिला कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु प्रावधान कराया जाता है।

{277}-शिक्षा

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत परिचय पत्र प्रदाय, छात्र गृह योजना, मुख्य मंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, प्रदेश के कक्षा 6 से 10वीं तक अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्तियों के व्यय एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये प्रावधान किया गया है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत आश्रम और छात्रावास में शिक्षारत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, छात्रावास, छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, प्राविध्य छात्रवृत्तियों के आवश्यक व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, पी.एम.टी. पी.ई.टी. के व्याख्याताओं के मानदेय, उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, फार्मों का मुद्रण, विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार, पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्यांकन आदि हेतु भी प्रावधान किया गया है।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, विद्यार्थी कल्याण योजना, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा, स्व. श्रीरामजी महाजन स्मृति पुरस्कार, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अमले हेतु वेतन भत्तों एवं सहायक अनुदान तथा अन्य आवश्यक व्यय, बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, पी.एम.टी. पी.ई.टी. पी.ए.टी. के व्याख्याताओं के मानदेय, विद्यार्थियों की कल्याण योजना, पिछड़ा वर्ग प्रतिभा पुरस्कार योजना के लिये प्रावधान रखा गया है।

4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत भवनों का निर्माण तथा म.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की अंशपूंजी में धनवेष्टन हेतु प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या - 067
लोक निर्माण कार्य - भवन

2059-लोक निर्माण कार्य

[01]-कार्यालय भवन

{053}-रखरखाव तथा मरम्मत

इस लघु शीर्ष के अंतर्गत शासकीय गैर आवासीय भवनों के वार्षिक संधारण हेतु अनुमान सम्मिलित है।

{800}-अन्य व्यय

जेलो में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रावधान रखा गया है।

[80]-सामान्य

{001}-निर्देशन और प्रशासन

वेतन भत्तों आदि के लिये इस लघु शीर्ष में व्यय के अनुमान रखे गये हैं।

{052}-मशीने तथा उपस्कर

विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना पर होने वाले व्यय आदि के अनुमान रखे गये हैं।

{799}-उच्चत

स्टाम तथा विविध लोक निर्माण पेशगियों से संबंधित व्यय इस शीर्ष में रखे गये हैं।

{800}-अन्य व्यय

इस लघु शीर्ष में डिक्रीधन के भुगतान हेतु प्रावधान रखा जाता है।

2216-आवास

[05]-साधारण पूल आवास

{053}-रख-रखाव तथा मरम्मत

शासन के आवास गृह के वार्षिक संधारण एवं अनुरक्षण कार्यों के लिये इस लघु शीर्ष में अनुमान रखे गये हैं।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-कार्यालय भवन

{051}-निर्माण

इस शीर्ष के अन्तर्गत शासकीय कार्यालय भवनों का निर्माण आदि हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

[03]-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

{105}-एलोपैथी

इस शीर्ष के अन्तर्गत शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण एवं बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य के लिये कार्यो हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय

[01]-सरकारी रिहायशी भवन

{106}-साधारण पूल आवास

इस शीर्ष के अन्तर्गत शासकीय आवासीय भवनों में लघु मूल प्रकृति के निर्माण कार्य एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु प्रावधान रखे गये हैं।

4853-अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

[02]-अलोह धातु

{800}-अन्य व्यय

अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अन्य व्यय हेतु प्रावधान रखे गए हैं।